खण्ड-198, अंक-3
शुक्रवार, 21 भाद्रपद, शक संवत् 1880
(12 सितम्बर, 1958 ई0)

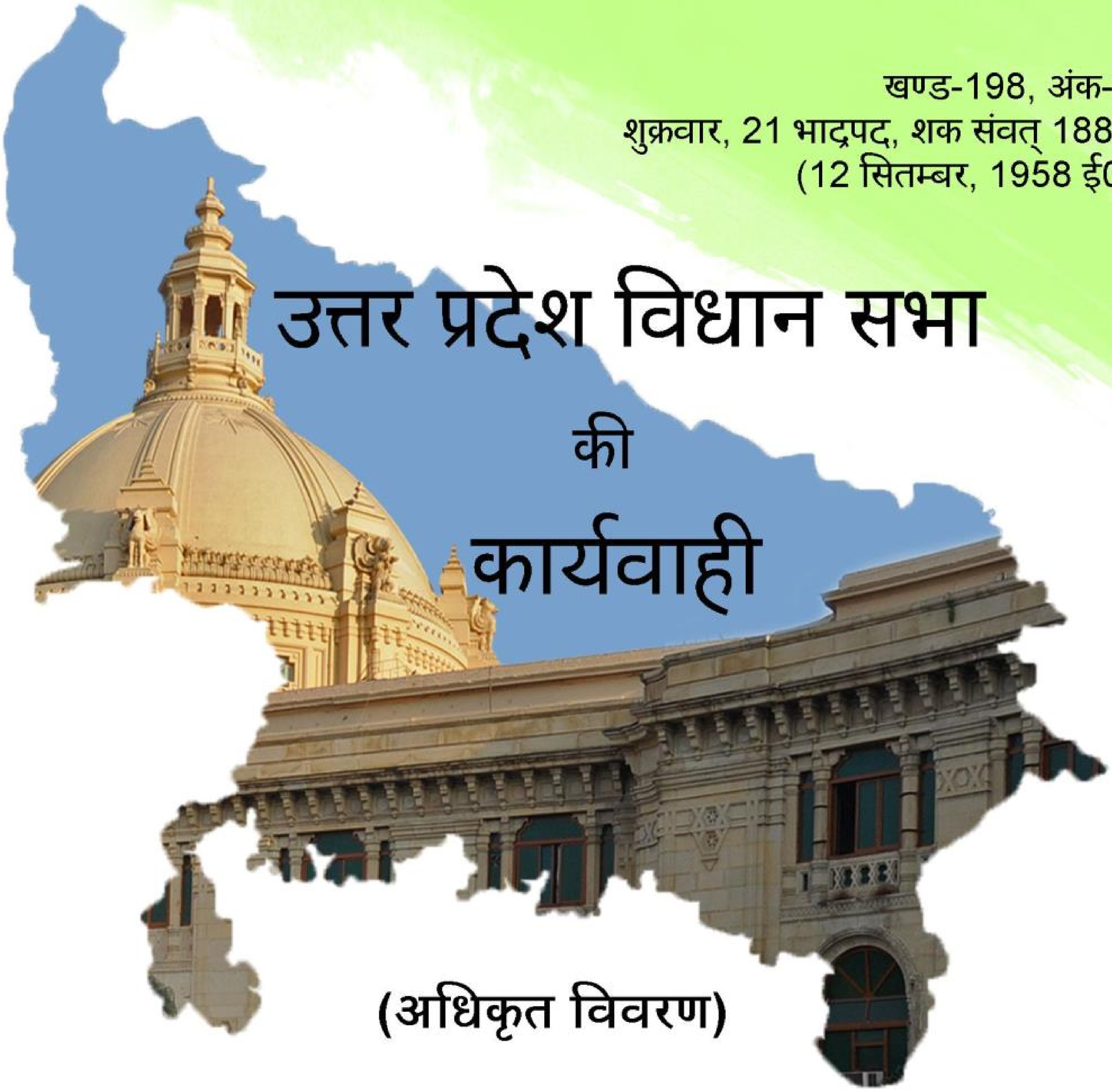

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 198 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १२ सितम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—२५०

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम , श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अली जहीर, श्री सैयद
अहमद बख्श, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयशंकर , श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपति सिंह, श्री

जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्म सिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासी लाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूदअली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा ,श्री
राजदेव उपाध्याय ,श्री
राजनारायणसिंह, श्री

राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १२ सितम्बर, १९५८

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

बस्ती जिले में धान की फसल को गंधी कीड़े से बचाने के लिये प्रार्थना

**१--श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)-- क्या सरकार को ज्ञात है कि बस्ती जिले में (Early paddy) धान खरीफ में गंधी कीड़े लगने का व्यापक रूप में प्रकोप हो रहा है ?

कृषि मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)--बस्ती जिले की धान की (Early paddy) फसल में गंधी कीड़ा कहीं कहीं लगा था।

श्री रामलखन मिश्र--क्या श्रद्धेय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि फसल की रक्षा के लिए किसानों को क्या सुख और सुविधा पहुंचायी गयी है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जहां गन्धी कीड़ा लगता है उसकी सूचना मिलते ही उसका इन्तजाम किया जाता है उसको पाउडर करने के लिए, और इसके लिये नियम यह है कि ३ रुपया फी एकड़ उसके चार्जेज लिये जाते हैं और जो किसान उसको दे देते हैं उनके यहां पाउडरिंग कराया जाता है, लेकिन इस साल यह मालूम हुआ कि काफी गंधी लगी है, इसलिये गवर्नमेंट आफ इंडिया से एक खास तौर से हवाई जहाज मांगा गया और जहां जहां यह मालूम हुआ वहां बिना लिहाज इस बात के कि किसानों ने सूचना दी है या नहीं, वह ३ रुपया फी एकड़ चार्जेज देने के लिये तैयार हैं या नहीं, हवाई जहाज से यह तमाम छिड़काव करा दिया गया और यह भी व्यवस्था कर दी गई कि अगर कोई ३ रुपया फी एकड़ एक साथ देने के योग्य नहीं है तो डेफर्ड पेमेंट करा दिया गया। तो जहां तक हो सका रोक-थाम करा दी गयी और इसके अलावा अगर कहीं माननीय सदस्य बतावें तो उसका फौरन् इन्तजाम किया जायगा।

श्री रामलखन मिश्र-- क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि बस्ती जिले में वायुयान से औषधि की कोई वर्षा नहीं की गयी ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां, बस्ती जिले में यह वर्षा नहीं की गयी।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)-- क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने कोई अनुसंधान कराया है जिससे यह मालूम हो कि यह गन्धी मक्खियां क्यों लग रही हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां, इसका अनुसंधान भी हुआ है और कारण भी मालूम हुआ है, सब इसकी जानकारी है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--क्या कृपया वह प्रकाश डालेंगे कि किन कारणों से गन्धी मक्खी इस साल बहुत लग रही हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह ऐसा टेक्निकल सवाल है, अगर माननीय सदस्य मेरे यहां आ जायं तो टेक्निकल अफसरों को बुलाकर समझवा दूं।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह गन्धी कीड़ा जहां दूसरे जिलों में लगा हुआ है वहां भी गैमेक्सीन पाउडर पहुंचाने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम--अगर इजाजत हो तो थोड़ा विस्तार से बता दूं। इसके लिए यह व्यवस्था है कि हर एक ब्लाक में २-२ मशीन और काफी मात्रा में यह पाउडर रख दिया गया है और वहां के लोगों को ट्रेनिंग भी दे दी गयी है, जिससे ज्योंही सूचना ब्लाक में मिले तो बिना किसी बाहर के अफसर को सूचना दिए हुए वह पाउडर छिड़कवा कर इन्तजाम कर दें। जब नेशनल डेवलपमेंट ब्लाक के अफसरों के काबू से बाहर की चीज हो जाती है तो वे सूचना देते हैं और जितने एक्स्ट्रा पाउडर, मशीनों और आदमियों की मांग होती है वह बाहर से पूरा करने की कोशिश की जाती है। यह हो सकता है कि कहीं हमारे आदमी पूरी तरह से न पहुंच पाये हों तो उसके लिये मैं यही प्रार्थना करूंगा कि अगर वह सूचना हमको मिल जाय तो मैं उसकी पूरी कोशिश करूंगा।

श्री अध्यक्ष--वे यह जानना चाहते हैं कि बस्ती में ऐसा किया गया या नहीं ?

श्री मोहनलाल गौतम--मैंने अर्ज किया कि हर एक ब्लाक के हेडक्वार्टर पर दो मशीनें और एक, दो टन पाउडर रखा रहता है। इसके अलावा जितनी और मांग होती है वह पहुंचा दी जाती है।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि ३ रुपया फी एकड़ जमा करने पर भी १ रुपया सफर खर्च का लिया जाता है ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसके लिये मुझे नोटिस की आवश्यकता है। सफर खर्च किसका, यह मेरी समझ में नहीं आया।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जहां यह दवा छिड़की गयी है वहां का चारा मवेशियों के खाने के काम में नहीं आ रहा है ?

श्री मोहनलाल गौतम--ऐसी कोई सूचना नहीं है और टेक्निकल आदमियों की यह राय नहीं है कि जहां यह दवा छिड़की जाती है वहां का चारा खराब हो जाता है, नहीं तो हम हवाई जहाज से यह काम हर्गिज न कराते।

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले में रबी व खरीफ की फसल का क्षेत्र

*१--**श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)--क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में कितनी रबी की फसल बोई जाती है और कितनी खरीफ की ?

श्री मोहनलाल गौतम--वांछित सूचना सन् १९५६-५७ के वर्ष की निम्न-प्रकार है--

तहसील	क्षेत्रफल एकड़ में	
	खरीफ	रबी
सगरी	१,२३,५४१	९३,९०५
फूलपुर	१,४८,२०९	१,१०,९९७
लालगंज	१,४०,९०३	८०,५२८
मोहम्मदाबाद	१,१७,३४७	७८,६६९
आजमगढ़	१,०३,५९१	८०,३४८
घोसी	१,१९,९६१	१,१२,८६६

*२---श्री मुक्तिनाथराय---वर्ष १९५७ में सूखे के कारण जिले की प्रत्येक तहसीलों में अगहनी धान में कितनी क्षति का अन्दाजा है ?

श्री मोहनलाल गौतम---सूचना एकत्र करने तथा उत्तर तैयार करने में जितना समय और धन लगेगा वह प्राप्त ध्येय के अनुरूप न होगा।

श्री मुक्तिनाथराय---चार्ट के देखने से पता चलता है कि आजमगढ़ जिला जो बाढ़ और सूखे से ग्रस्त रहता है खरीफ की फसल पर अधिक निर्भर करता है। तो क्या सरकार खरीफ की फसल के बचाव के लिये जिले में कोई व्यापक योजना बना रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम---फसल को बचाने के लिये व्यापक योजना के तीन अंग हैं। एक तो आबपाशी का इंतजाम करना, दूसरे फ्लड्स से बचाव करना और तीसरे जहां वाटरलागिंग हो जाता है वहां ड्रेनेज द्वारा पानी निकालने का इंतजाम करना। यह तीनों योजनायें चल रही हैं और जो कमी है उसको पूरा करने के लिये जितने साधन हैं हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री मुक्तिनाथराय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हर तहसील में प्रति वर्ष बाढ़ से तथा सूखा से जो क्षति होती है उसका नक्शा बनता है ? यदि हां, तो आजमगढ़ का नक्शा बनने में कितना व्यय हुआ है ?

श्री मोहनलाल गौतम---वह तो बहुत हद्द तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जहां छूट दी जाती है, रहता है। मेरे पास इस वक्त वह आंकड़े नहीं हैं।

बिजली सप्लाई कम्पनियों को ऋण

*३---श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि किन-किन बिजली सप्लाई कम्पनियों को सरकार ने गत पांच वर्षों में कब-कब और किस ब्याज की दर पर कितना कर्ज दिया है ?

स्वास्थ्य मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)---वांछनीय सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४६७ पर)

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---श्री देवकीनन्दन विभव के उपस्थित न होने के कारण क्या मंत्री महोदय उस सूचना को सदन के सम्मुख पढ़कर सुनाने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह---यह इस प्रकार है :---

कम्पनी का नाम	ब्याज की दर	कर्ज का रुपया तथा देने की तिथि	
१---आगरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, आगरा ..	५ फीसदी साधारण ब्याज	१२ लाख,	२९-३-५६
२---बरेली इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, बरेली	,, ,,	३ लाख, ५ लाख,	२९-३-५५ ३१-३-५६
३---बनारस इलैक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, वाराणसी ..	,, ,,	१० लाख, १५ लाख,	२९-३-५५ ३१-३-५६
४---झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, झांसी		२ लाख,	३१-३-५५
५---कोसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० कोसी कलां, जिला मथुरा ..	,, ,,	३ लाख,	३०-३-५५
६---रोहतक ऐन्ड हिसार डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, इलाहाबाद ..	,, ,,	५ लाख,	२९-३-५७
७---पीलीभीत इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि० पीलीभीत	,, ,,	५०,०००,	२९-३-५७

नोट:---तारांकित प्रश्न ३ श्री जगन्नाथ लहरी ने पूछा।

श्री जगन्नाथ लहरी--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के लिये भी सरकार ने कुछ कर्जा दिया है, यदि हां, तो कब और कितना ?

श्री अध्यक्ष--मैनपुरी का नाम तो उत्तर में उन्होंने पढ़ा ही नहीं।

श्री जगन्नाथ लहरी--मान्यवर, मैनपुरी में किसी फर्म को कर्जा दिया गया है।

श्री धर्मसिंह--मैनपुरी में १० हजार रुपया ६ प्रतिशत व्याज पर दिया गया है। यह १२-१-५२ को दिया गया है। पांच साल का पूछा था इसलिये इसको निकाल दिया कि यह ५ साल से पहले का था।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल (जिला आगरा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी ने धनाभाव के कारण लोगों को नये कनेक्शन देना बन्द कर दिया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)--मुझे ऐसी खबर नहीं है।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी, नये कनेक्शन दिये जायं, इसके लिये सरकार कोई कदम उठाने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन-- इस सिलसिले में मैं कानूनी चाराजोई करना चाहता हूं।

श्री जगन्नाथ लहरी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिस इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को मैनपुरी में सरकार ने कर्जा दिया है वही वहां काम संचालन कर रही है अथवा कोई दूसरी कम्पनी कर रही है ? यदि कोई दूसरी कम्पनी कर रही है तो कर्जा किस प्रकार से वसूल किया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--क्योंकि यह सवाल मैनपुरी के सम्बन्ध में पूछा नहीं गया था इसलिये उसका जवाब इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि वे कानूनी कार्यवाही कब तक करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसमें हम कोई देरी नहीं करना चाहते।

*४-५--**श्री जंगबहादुर वर्मा** (जिला बाराबंकी)--[हटा दिये गये।]

राजकीय विद्युत्-गृहों द्वारा उत्पादित विद्युत् के वितरण के संबंध में जानकारी

*६--**श्री गंगाप्रसादसिंह** (जिला बलिया)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसका विचार राजकीय विद्युत् गृहों द्वारा उत्पादित विद्युत् का वितरण कम्पनियों से स्वयं अपने हाथ में लेने का है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री धर्मसिंह--राजकीय विद्युत् विभाग से बिजली पाने वाली कम्पनियों को लेने का प्रश्न कम्पनियों के लाइसेंस की अवधि के समाप्ति पर ही उठता है। अभी से इस विषय में कुछ कहना अनुचित होगा।

*७--९--**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)--[हटा दिये गये।]

लैण्ड मार्टगेज बैंक स्थापित करने का विचार

*१०---श्री गंगाप्रसाद सिंह---क्या यह सही है कि कुछ काल पूर्व इस प्रदेश में सरकार का विचार एक लैण्ड मार्टगेज बैंक स्थापित करने का था ? यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त विचार को अब भी कार्यान्वित करने का इरादा रखती है ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां। आशा की जाती है कि लैण्ड मारगेज बैंक चालू वित्तीय वर्ष में स्थापित हो जायगी।

श्री गंगाप्रसाद सिंह---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस बैंक की रूप रेखा क्या है ?

श्री मोहनलाल गौतम---लैण्ड मारगेज बैंक की एक आवश्यकता थी। शार्ट टर्म लोन और मीडियम टर्म लोन का तो इंतजाम दूसरे तरीकों से कर दिया गया था, लेकिन लांग टर्म लोन का इन्तजाम नहीं था। किसानों को लांगटर्म लोन की आवश्यकता खेतों में सुधार करने के लिये होती है, जिसको वह ५ साल से २० साल तक के पीरियड में अदा कर सकता है। इसलिये ऐसे बैंक को स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई जो जमीन को मारगेज कर के ५--२० साल तक का लोन दे सके। इससे किसान अपनी जमीन में आवश्यक सुधार कर सकेंगे और उनको ज्यादा रुपया मिल सकेगा।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इससे केवल भूमिधरों को ही कर्जा मिल सकेगा ?

श्री मोहनलाल गौतम---भूमिधरों के बारे में तो है ही। सीरदारों के सम्बन्ध में अभी मतभेद है कि क्या उनका वह अधिकार जो उनको सीरदारों की जमीन पर होगा, वह काफी होगा या नहीं। रिजर्व बैंक उसको मान लेगा या नहीं मान लेगा इसमें मतभेद है।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार का ध्यान इस ओर भी गया है कि जब केवल भूमिधरों को ही इस प्रकार का कर्जा प्राप्त करने का अधिकार होगा तो उससे केवल थोड़े से लोग ही लाभ उठा सकेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम---मुझे ठीक आंकड़े इस वक्त याद नहीं हैं, लेकिन मेरे खयाल से १,६५,००,००० एकड़ जमीन भूमिधरों के पास है और अगर डेढ़ करोड़ (१,५०,००,०००) एकड़ जमीन का इन्तजाम शुरू में कर दें तो वह काफी होगा। बहरहाल, अगर सीरदारों के लिये भी इन्तजाम हो जाय तो मुझे खुशी होगी।

श्री जगन्नाथ लहरी---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अगले वित्तीय वर्ष में लैण्ड मारगेज बैंक की स्थापना कर दी जायगी तो उसका क्षेत्र सारे प्रदेश में होगा या कुछ जिलों तक ही वह सीमित होगा ?

श्री मोहनलाल गौतम---सारे प्रदेश में ही होगा।

*११-१२---श्री भुवनेश भूषण शर्मा (जिला इटावा)---[हटा दिये गये]

आगरा सरोजनी नायडू अस्पताल में एक्स-रे की मशीन खराब होना तथा आगरा में बच्चों का अस्पताल खोलने का विचार

*१३---श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)---क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह सूचित करेंगे कि आगरा सरोजिनी नायडू अस्पताल में एक्स-रे तथा कैन्सर की मशीनें कब से खराब पड़ी हैं और इनको बनाने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई ?

नोट---तारांकित प्रश्न १३-१४ श्री जगन्नाथ लहरी ने पूछे।

स्वास्थ्य उपमंत्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)---डीप एक्स-रे मशीन, कैंसर की मशीन तथा २०० एम०ए० की एक्स-रे मशीन ठीक हैं तथा सुचारु रूप से कार्य कर रही हैं। १०० एम०ए० एक्स-रे मशीन अक्तूबर, १९५७ से खराब है। उसके बनवाने की उचित व्यवस्था तुरन्त की गई किन्तु अभी तक मरम्मत नहीं हो पाई है।

*१४---श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)---क्या वे कृपया यह भी सूचित करेंगे कि आगरा में एक टी०बी० क्लिनिक तथा बच्चों का एक अस्पताल बनाने के लिये कुछ विदेशी सहायता का वचन प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उसका उपयोग कहां तक हुआ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---आगरा में टी० बी० क्लिनिक स्थापित करने के लिये किसी प्रकार की विदेशी सहायता का वचन प्राप्त नहीं हुआ। बच्चों के अस्पताल के लिये कुछ सहायता सामान के रूप में मिलने का वचन मिला था। यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री जगन्नाथ लहरी---क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो मशीन अक्तूबर, सन् ५७ से यानी लगभग एक वर्ष से खराब पड़ी हुई है उसके अब तक ठीक न होने का क्या कारण है?

श्री हुकुम सिंह विसेन---दिल्ली की एक फर्म से वह मशीन खरीदी गयी थी, उनसे करेस्पोंडेंस की गयी, देर से उनका इंजीनियर आया और उसने देखकर बतलाया कि ट्रांसफार्मर खराब हो गया है। उसे वह दिल्ली रिपेयर करने के लिये ले गया है, जिस वक्त ठीक हो जायगी तो आ जायगी।

श्री जगन्नाथ लहरी---क्या मंत्री महोदय, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से और रोगों के उपचार के लिये आज एक्स-रे मशीन एक अनुपम साधन है, इसको देखते हुये जल्द से जल्द दूसरा ट्रांसफार्मर लगा कर उस मशीन को चालू करने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन---तब तक हमारा काम और मशीनों से चल रहा है, वही बन कर आ जायगी, इस वक्त बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना ठीक नहीं है।

श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कैन्सर रोग की चिकित्सा के लिये कितने चिकित्सालय हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसके लिये मैं नोटिस चाहता हूं।

श्री जगन्नाथ लहरी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि फीरोजाबाद के टी०बी० क्लिनिक के लिये कोई विदेशी सहायता प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कितनी?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसके लिये मैं नोटिस चाहता हूं क्योंकि मैं फीरोजाबाद के लिये तैयार होकर नहीं आया हूं।

*१५-१७---श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---[हटा दिये गये।]

*१८---श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)---[हटा दिया गया।]

*१९---श्री जंगबहादुर वर्मा---[हटा दिया गया।]

*२०---राजायादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---[हटा दिया गया।]

*२१-२२---श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---[८ सितम्बर, १९५८ को प्रश्न संख्या ८१-८२ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*२३-२४---श्री रामचन्द्र विकल---[३ अक्तूबर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२५---श्री रामचन्द्र विकल---[हटा दिया गया ।]

*२६---श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी गढ़वाल)---[३ अक्तूबर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

गन्ने के शीरे पर अनुसंधान

*२७---श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या सरकार गन्ने के शीरे पर अनुसंधान करने पर विचार करेगी कि इसमें कौन-कौन से मनुष्य के लिये पौष्टिक तत्व हैं ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---प्रान्तीय सरकार के पोषण तथा अन्य विभागों द्वारा गन्ने के शीरे पर अनुसंधान हो चुका है और इससे प्राप्त पौष्टिक तत्वों की जानकारी हासिल हो चुकी है । अब आगे इस विषय पर अनुसंधान की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । शीरे का रासायनिक बंधन (chemical composition) इस प्रकार है---

जल (Moisture)	२४.३	प्रतिशत
राख या लवण (Ash or minerals)	४.६८	,,
शकर (Sugar)	६२.१८	,,
नत्रजन युक्त पदार्थ (Nitrogenous bodies)	१.००	,,
गंधक (Sulphur)	०.३१	,,
अन्य पदार्थ (Soluble gums, free and combined acids) ..	७.५३	,,

श्री जगन्नाथ लहरी---क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अपने प्रदेश के पूर्वी अंचल के कई जिलों में वर्षों तक लोग इस शीरे को पीते हैं जिनकी संख्या करोड़ों में है उनके स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---बहुत टेक्निकल है । क्या प्रभाव पड़ता है यह तो डाक्टर ही बता सकते हैं । लेकिन जहां तक मेरा खयाल है अच्छा ही पड़ता है ।

*२८---श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)---[३ अक्तूबर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२९---श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---[हटा दिया गया ।]

सीतापुर जिले में परिवार नियोजन संबंधी आपरेशन तथा राज्य में एतदर्थ स्थापित केंद्र

*३०---श्री ताराचन्द माहेश्वरी जिला सीतापुर)---क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना पर परिवार नियोजन से संबंधित कितने आपरेशन जिला सीतापुर में हुये ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---१५ आपरेशन हुये ।

*३१---श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवार नियोजन योजना उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में लागू है ?

नोट:---तारांकित प्रश्न २७ श्री गंगाप्रसाद ने पूछा ।

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन योजना निम्नलिखित जिलों में लागू है--

जिन जिलों में राजकीय केन्द्र हैं--

१---आगरा	२---अलीगढ़	३---इलाहाबाद
४---अल्मोड़ा	५---आजमगढ़	६---बहराइच
७---बलिया	८---बाराबंकी	९---बस्ती
१०---बदायूं	११---बुलन्दशहर	१२---बरेली
१३---देहरादून	१४---देवरिया	१५---एटा
१६---फर्रुखाबाद	१७---फैजाबाद	१८---गोरखपुर
१९---जालौन	२०---झांसी	२१---कानपुर
२२---लखनऊ	२३---मेरठ	२४---मिर्जापुर
२५---नैनीताल	२६---रामपुर	२७---सहारनपुर
२८---सुल्तानपुर		

जिन जिलों में रेड क्रास केन्द्र हैं--

१---इलाहाबाद	२---आजमगढ़	३---आगरा
४---अलीगढ़	५---अल्मोड़ा	६---बहराइच
७---बलिया	८---बाराबंकी	९---बस्ती
१०---बाराणसी	११---बुलन्दशहर	१२---बरेली
१३---बदायूं	१४---बिजनौर	१५---देहरादून
१६---देवरिया	१७---फर्रुखाबाद	१८---इटावा
१९---फैजाबाद	२०---गढ़वाल	२१---गाजीपुर
२२---गोंडा	२३---गोरखपुर	२४---हरदोई
२५---हमीरपुर	२६---जौनपुर	२७---झांसी
२८---कानपुर	२९---खीरी	३०---मुजफ्फरनगर
३१---मिर्जापुर	३२---मुरादाबाद	३३---मथुरा
३४---मेरठ	३५---मैनपुरी	३६---नैनीताल
३७---प्रतापगढ़	३८---रायबरेली	३९---शाहजहांपुर
४०---सीतापुर	४१---सहारनपुर	४२---पीलीभीत
४३---रामपुर	४४---फतेहपुर	४५---लखनऊ

श्री अध्यक्ष---मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो रेड क्रास के केन्द्र हैं वह परिवार नियोजन के अन्तर्गत हैं ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---जी हां, यह रेड क्रास के केन्द्र हैं और परिवार नियोजन का काम इनके अन्तर्गत होता है ।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)---जो सीतापुर में १५ आपरेशन हुये हैं उनमें पुरुषों के कितने और स्त्रियों के कितने हुये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---दो पुरुषों के हुये हैं और १३ स्त्रियों के हुये हैं ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---खाद्य समस्या को दृष्टि में रखते हुये परिवार नियोजन को प्रथम पंच वर्षीय योजना के मुकाबिले अधिक व्यापक बनाने के प्रश्न पर माननीय मंत्री जी विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सवाल करने से फेमिली प्लानिंग नहीं हो सकता है जब तक माननीय सदस्य कटिबद्ध होकर खुद उदाहरण स्थापित न करें।

श्री अध्यक्ष---आपका मतलब यह है कि लोग स्वयं अपने को आफर करें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां ।

श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार परिवार नियोजन को अनिवार्य रूप में परिणत करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसा कोई कानून है नहीं ।

जौनपुर जिले में बिजली की सप्लाई न हो सकना

*३२---**श्री रामसमझावन** (जिला जौनपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५८-५९ ई० में जौनपुर जिले के किन-किन कस्बों में बिजली पहुंच जायगी ?

श्री धर्मसिंह---जौनपुर जिले के किसी भी कस्बे में इस साल बिजली लगाना सम्भव न होगा।

श्री रामसमझावन---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष बिजली लगाने में क्या कठिनाई पड़ रही है ?

श्री धर्मसिंह---धन की कमी ।

श्री रामसमझावन---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक जौनपुर जिले में किन-किन कस्बों में बिजली लगायी जा चुकी है ?

श्री धर्मसिंह---मड़ियाहूं में १९५७-५८ में बिजली लगने जा रही है। इस समय कार्य चल रहा है ।

जौनपुर जिले में चेचक से मृत्युयें

*३३---**श्री रामसमझावन**---क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९५८ से लेकर अब तक जौनपुर जिले में चेचक से कितनी मौतें हुई हैं ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---जौनपुर जिले में जनवरी, सन् १९५८ से जुलाई तक चेचक से २८ मृत्यु हुई हैं।

*३४-३५---**श्री मुरलीधर कुरील** (जिला कानपुर)---[३ अक्तूबर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३६-३७---**श्री अनन्तराम वर्मा** (जिला अलीगढ़)---[३ अक्तूबर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३८-४०---**श्री जगन्नाथ चौधरी** (जिला बलिया)---[३ अक्तूबर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४१---**श्री भजनलाल** (जिला इटावा)---[हटा दिया गया ।]

धौराटाडा व रिछा, जिला बरेली को बिजली की आवश्यकता

*४२---**श्री बाबूराम** (जिला बरेली)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि सरकार ने कोई योजना पांच हजार से अधिक आबादी वाले कस्बों में बिजली लगाने की बनाई है ? यदि हां, तो कस्बा धौरा टाडा व रिछा, जिला बरेली में बिजली कब तक लगेगी ?

श्री धर्मसिंह—जी हां ।

परन्तु धौराटांडा व रिछा नगरों के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री बाबूराम—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि धौरा टांडा की आबादी और जरूरतों को देखते हुये वहां बिजली लगाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री धर्मसिंह—जी नहीं । क्योंकि खर्चा अधिक पड़ेगा ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले के किन-किन कस्बों में बिजली लगाने की योजना है ?

श्री धर्मसिंह—अलीगढ़ जिले की लिस्ट तो मेरे पास है नहीं ।

श्री जगन्नाथ लहरी—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे आगरा जिले के वह कस्बे जिनकी आबादी ५ हजार से अधिक है उनका बिजलीकरण करने के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—है तो । द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस पर विचार करेंगे ।

*४३—४५—**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—[हटा दिये गये ।]

*४६—**श्री द्वारिकाप्रसाद** (जिला फर्रुखाबाद)—[हटा दिया गया ।]

मऊ, जिला आजमगढ़ में बिजली न पहुंच सकना

*४७—**श्री अब्दुल लतीफ नोमानी** (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला आजमगढ़ में मऊ बिजली की लाइन फैलाने में क्या रुकावट है और कब तक उसे पूरा करने की योजना है ?

श्री धर्मसिंह—जिला आजमगढ़ में मऊ नगर का विद्युतीकरण किया जा चुका है इसलिये बिजली की लाइन फैलाने में रुकावट का तो प्रश्न ही नहीं उठता परन्तु जिन क्षेत्रों में ये लाइन नहीं फैली है उन क्षेत्रों में तभी फैलाई जा सकती है जब उपभोक्ता विद्युत विभाग के इंडियन एलेक्ट्रीसिटी ऐक्ट, १९१० के schedule के ५ वें, ६ वें clause के अन्तर्गत बिजली लेने की मांग करें ।

श्री अब्दुल लतीफ नोमानी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में मऊ का कस्बा जो सबसे बड़ा है उसमें ही बकिया सड़कों पर बिजली फैलाने में यह कानूनी रुकावट खास तौर पर क्यों पड़ रही है ?

श्री धर्मसिंह—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और चीफ इंजीनियर के द्वारा सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर को लिखा जा चुका है कि यदि एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट की धारा ५ और ६ की शर्तों को पूरा करते हैं तो बिजली लगा दी जायगी ।

श्री अब्दुल लतीफ नोमानी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस विचार का अन्तिम फैसला कब तक हो सकेगा ?

श्री धर्मसिंह—रिपोर्ट आने पर, सर्वे इत्यादि कर रहे हैं वे ।

*४८-४९—**श्री बिहारीलाल** (जिला पीलीभीत)—[हटा दिये गये।]

*५०—५१—**श्री सजीवनलाल** (जिला उन्नाव)—[हटा दिये गये ।]

*५२--कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)--[३ अक्तूबर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५३--श्री राजेंद्रसिंह (जिला हरदोई)--[हटा दिया गया ।]

टेहरी गढ़वाल जिले के कुछ राजकीय औषधालयों में कम्पाउन्डर तथा चौकीदार न होने की शिकायत

*५४--श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी गढ़वाल)--क्या स्वास्थ्य मंत्री को मालूम है कि टेहरी गढ़वाल में अभी तक कुछ ऐसे भी राजकीय औषधालय हैं जहां न तो कम्पाउन्डर हैं और न फुल टाइम चौकीदार ?

डाक्टर जवाहरलाल रोतहगी--जी हां ।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन--क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि टेहरी गढ़वाल में अभी तक कम्पाउन्डर और फुल टाइम चौकीदार नहीं हैं उनको वहां नियुक्त करने की व्यवस्था करेंगे, यदि हां तो कब तक नियुक्त किये जायेंगे और नहीं तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--हम कोशिश करेंगे ।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन--कब तक ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जब तक सम्भव हो सकेगा ।

ब्रह्मपुरी में कोढ़ियों के निवास की अधूरी इमारत

*५५--श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन--क्या स्वास्थ्य मंत्री को मालूम है कि ब्रह्मपुरी में कोढ़ियों के निवास के लिये जो इमारत बन रही है वह अधूरी रह गई है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--जी हां ।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन--क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ब्रह्मपुरी में कोढ़ियों के लिये जो बिल्डिंग अधूरी है उसको पूरा करने का विचार है, यदि हां तो उसको उल्द से जल्द पूरा करायेंगे और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अभी तक वह धनाभाव की दिक्कत की वजह से पूरी नहीं हुई । अब उसके लिये ४४ हजार रुपया सैंक्शन कर दिया है तो वह बहुत जल्द पूरी हो जायगी ।

बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट में दिये गये सुझावों पर विचार विमर्श

*५६--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बैकवर्ड क्लास कमीशन ने जो भारत सरकार को रिपोर्ट दी है, क्या उसकी प्रतिलिप उत्तर प्रदेशीय सरकार को प्राप्त हुई है ?

हरिजन कल्याण राज्य मंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)--जी हां ।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बैकवर्ड क्लासेज कमीशन ने जो सुझाव पिछड़ी हुई जातियों के उत्थान के लिये दिये हैं उनको मानने में यहां की सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री मंगलाप्रसाद--बहुत से ऐसे मसले हैं जो हिन्दुस्तान भर की स्टेट्स के साथ चलने वाले हैं । उसके सम्बन्ध में हमारी स्टेट और सेन्ट्रल गवर्नमेंट से बातचीत हो रही है । यह सब बातें विचाराधीन हैं । इनके खत्म होने पर कार्यवाही होगी ।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बैकवर्ड क्लासेज कमीशन के विचार इस सदन के सन्मुख उपस्थित करेंगे ?

श्री मंगलाप्रसाद---जैसा मैंने कहा कि बहुत से ऐसे मसले हैं जिन पर विचार हो रहा है। विचार करने के बाद ही वे तय होंगे। उसके बाद ही रिपोर्ट रखने का विचार होगा ।

श्री अब्दुल लतीफ नोमानी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार में विचार विमर्श हो रहा है इसका अन्तिम निर्णय कब तक हो सकेगा ?

श्री मंगला प्रसाद---इसका बताना मुश्किल है, लेकिन कोशिश यह है कि जल्दी हो।

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि कुछ अन्य प्रान्तों की सरकारों ने बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की कुछ सिफारिशों को मान लिया है ?

श्री मंगलाप्रसाद---यह तो मुझे मालूम नहीं है।

*५७-५८---**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)---[हटा दिये गये।]

*५९---**श्री देवनारायण भारतीय** (जिला शाहजहांपुर)---[हटा दिया गया।]

*६०---**श्री शिवप्रसाद नागर** (जिला खीरी)---[हटा दिया गया।]

*६१-६२---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा)---[हटा दिये गये।]

इटावा जिले के भरथना और औरैया जनाना अस्पतालों में लेडी डाक्टर का न होना

*६३---**श्री मिहरबानसिंह** (जिला इटावा)---क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि इटावा जिले के जनाने अस्पतालों में लेडी डाक्टर कब से और किन-किन अस्पतालों में नहीं है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---इटावा जिले के जनाना अस्पताल भरथना में २१ अप्रैल, १९५८ से और जनाना अस्पताल औरैया में फरवरी, १९५८ से कोई लेडी डाक्टर नहीं है।

श्री मिहरबानसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इसका क्या कारण है कि इन जनाने अस्पतालों में अक्सर महिला चिकित्सकों का अभाव रहता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---भरथना अस्पताल में लेडी डाक्टर के बच्चे बीमार हो गये थे इसलिये वह लांग लीव पर चली गई। औरैया ने फैमिली प्लानिंग के सिलसिले में वहां की लेडी डाक्टर डफरिन अस्पताल, लखनऊ, में तैनात हो गई। कोशिश हो रही है कि उनकी जगह दूसरे डाक्टर को भेजा जाय, लेकिन चूंकि इनकी कमी है इसलिये देर हो रही है।

श्री मिहरबानसिंह---क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि अब से एक साल पहले तक उस चिकित्सालय में कोई महिला डाक्टर नहीं रही ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---सम्भवतः ऐसा वाकया हो, लेकिन मुझे इस वक्त उसका पता नहीं है।

गढ़वाल जिले में विद्युत उत्पादन योजनायें

*६४--श्री नरेंद्रसिंह भंडारी (जिला गढ़वाल)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गढ़वाल जिले में विद्युत् उत्पादन की कितनी छोटी और बड़ी योजनायें सरकार के सामने हैं और कब से उन पर विचार हो रहा है ?

श्री धर्मसिंह--गढ़वाल जिले में विद्युत् उत्पादन की निम्नलिखित चार योजनायें नवम्बर, १९५६ से सरकार के विचाराधीन हैं--

(क) नई गेंटी छेड़ा योजना,
(ख) रूद्र प्रयाग योजना,
(ग) नन्दाकिनी योजना,
(घ) चमौली योजना,

पर रुपये तथा विदेशी मुद्रा की कमी के कारण उन पर काम शुरू नहीं किया जा सका ।

श्री नरेंद्रसिंह भंडारी--क्या विद्युत् मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन योजनाओं का उल्लेख किया गया है उनका कुछ सम्बन्ध प्रायरिटी से भी है ?

श्री धर्मसिंह--प्रायरिटी का जहांतक सम्बन्ध है, जैसे ही हमको धन प्राप्त होगा, हम विचार करेंगे ।

*६५--श्री भूपकिशोर (जिला एटा)--[हटा दिया गया ।]

बस्ती जिले के ट्रांस राप्ती रीजन में नलकूपों को बिजली

*६६--श्रीमती राजेंद्रकिशोरी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या डुमरियागंज (बस्ती) के ट्रांस राप्ती रीजन में ट्यूबवेलों को चलाने के लिये बिजली दी गई है ? यदि हां, तो कितने ट्यूब वेलों को बिजली दी जा चुकी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां । राप्ती नदी के उत्तर में ३ ट्यूबवेलों (नं० २३, २४ व २५) का विद्युत्न किया गया है और राप्ती के दक्षिण में २२ ट्यूबवेलों का विद्युत्न किया गया है ।

*६७--श्रीमती राजेंद्रकिशोरी (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या निकट भविष्य में कस्बा डुमरियागंज जिला बस्ती को बिजली मिलने की संभावना है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं ।

*६८--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--[हटा दिया गया ।]

*६९-७०--श्री रामसिंह चौहान वैद्य (जिला आगरा)--[हटा दिये गये ।]

*७१-७२--श्री सुक्खनलाल (जिला मुरादाबाद)--[२४ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ५६-५७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, रुड़की में टेहरी गढ़वाल जिले के अभ्यर्थियों के लिये स्थान सुरक्षित रखने की प्रार्थना

*७३--श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या वह टेहरी गढ़वाल जिले के विलीनीकरण के पूर्व की भांति इस जिले के अभ्यर्थियों के लिये इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय रुड़की में कुछ स्थान सुरक्षित रखन की व्यवस्था करा रही है ?

श्री धर्मसिंह--टेहरी गढ़वाल जिले के विलीनीकरण के पूर्व रुड़की विश्वविद्यालय में उस जिले के अभ्यर्थियों के लिये कोई स्थान सुरक्षित नहीं रखा जाता था। इस समय भी कोई ऐसा प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन--क्या सरकार को मालूम है कि मैदानी इलाकों के इंजीनियर पहाड़ी जिलों में नियुक्त होने पर जल्दी-जल्दी अपना तबादला करवाने की कोशिश करते हैं। ऐसी हालत में क्या यह उचित नहीं है कि पहाड़ी जिलों के लिये अधिकाधिक पहाड़ी छात्रों को इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--शिक्षा देने में कोई पाबन्दी नहीं है। जाएं और रुड़की जा कर पढ़ें और कम्पीटीशन में बैठ कर पास करें।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन--क्या टेहरी गढ़वाल के छात्रों को यह सुविधा मिले यह उचित नहीं है और इसलिये रुड़की विश्वविद्यालय में सरकार टेहरी गढ़वाल के छात्रों के लिये कुछ सीटें सुरक्षित करवा दे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इस पर मैं अपनी राय नहीं दे सकता। वैसे अभी तक तो यह प्रश्न सरकार के सामने नहीं आया। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में होगा तो देखा जायगा।

कृषि महाविद्यालय, कानपुर में हरिजन तथा पिछड़ी जातियों के विद्यार्थी

*७४--श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि राजकीय कृषि विद्यालय कानपुर में इस वर्ष कुल कितने छात्र लिये गये ? उनमें कितने हरिजन व कितने पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--कानपुर में राजकीय कृषि विद्यालय तो कोई नहीं है। पर एक कृषि महाविद्यालय है और उस महाविद्यालय में इस वर्ष कुल २४५ छात्र भर्ती किये गये। जिनमें से २० हरिजन हैं और ३९ पिछड़ी जाति के हैं।

श्री रामवचन यादव--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कुल कितनी दरख्वास्तें हरिजनों की थीं और कितनी पिछड़ी जातियों की, उस महाविद्यालय में ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इसमें हरिजनों का १८ फीसदी का कोटा पूरा होता है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--पहले तो आप यह पूछें कि छात्रों के लिये यह १८ फीसदी का कोटा जरूरी है भी या नहीं ?

श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि २४५ छात्रों में जो २० हरिजन हैं उनसे क्या यह कोटा पूरा होता है ?

श्री अध्यक्ष--छात्रों के बारे में कोई कोटा है या नहीं, पहले तो आप यह पूछें, तब जवाब मिलने पर आप का यह प्रश्न उत्पन्न होगा।

श्री गंगाप्रसाद--छात्रों के लिये कोई रिजर्वेशन है या नहीं ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी प्रकार के विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के लिये कोई कोटा नहीं है।

*७५--श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)--[३ अक्तूबर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*७६-७७--श्री मुनीन्द्रपालसिंह (जिला पीलीभीत)--[हटा दिये गये ।]

सुजानगंज, जौनपुर के अस्पताल की इमारत के निर्माण का आयोजन

*७८--श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुजानगंज, जौनपुर के अस्पताल भवन के बनने की स्वीकृति सरकार द्वारा कब दी गई ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--३० अक्तूबर, १९५७ को स्वीकृति दे दी गई ।

*७९--श्री नागेश्वरप्रसाद--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त भवन बनाने का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--१५ सितम्बर, १९५८ तक कार्य शुरू हो जाने की सम्भावना है ।

श्री नागेश्वरप्रसाद--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसका ठेका कब दे दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मुझे यह सूचना है कि सूटेबिल टेंडर्स आ गये हैं और पी० डब्ल्यू डी० ठेका देने का काम कर रही है ।

झांसी जिले के ताल बेहट, राजकीय बीज भंडार से अधिक बीज लेकर बेचने की शिकायत

*८०--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ताल बेहट, जिला झांसी के राजकीय बीज भंडार से सन् १९५७-५८ में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने रबी की फसल का बीज १०० मन से अधिक लिया है ? क्या सरकार १०० मन से अधिक बीज लेने वालों की सूची उनके बीज लेने के वजन सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम--केवल एक व्यक्ति श्री भूपेन्द्र सिंह ने २०० मन रबी का बीज इस गोदाम से लिया ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या मंत्री महोदय इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि उक्त व्यक्ति के अलावा भी अन्य कई लोगों को ४००, ५०० मन तक बीज दिया गया है और वह खेतों में न पड़ कर सारा का सारा बाजारों में बिका है और वह आज तक वसूल नहीं हो सका है ?

श्री मोहनलाल गौतम--अगर माननीय सदस्य कुछ नाम दें तो मैं उसे देखूंगा ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या मंत्री जी को पता है कि उक्त बीज भंडार का अनेक लोगों पर बीज का हजारों रुपया बाकी पड़ा है ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह बीज भंडार नया ही खुला है । बीज दिया जाता है तो वसूल कर लिया जाता है, कोई खास वजह होती है तो बकाया रह जाता है ।

*८१--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--[२५ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या के ७८ अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

सहारनपुर जिले में ट्रेण्ड नर्सों का अभाव

*८२--श्रीमती शकुंतला देवी (जिला सहारनपुर)--क्या स्वास्थ मंत्री को ज्ञात है कि सहारनपुर जिले में ट्रेन्ड नर्सों की कमी है और उक्त जिले में समाज-कल्याण केन्द्रों पर ट्रेन्ड नर्सें नहीं मिल रही हैं ? यदि हां, तो इसके लिये सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--सहारनपुर जिले में समाज कल्याण कन्द्रों पर ट्रेन्ड नर्सों की नियुक्ति के लिये कोई प्राविधान (provision) नहीं है। इसलिये इन केन्द्रों में ट्रेन्ड नर्सों की कमी का प्रश्न नहीं उठता। जिला अस्पताल, सहारनपुर में स्वीकृत संख्या से ३ कम स्टाफ नर्सें हैं और यह कमी इस समय नर्सिंग प्रशिक्षण पाने वाली प्रशिक्षणार्थिनियों के अन्तिम प्रशिक्षण परीक्षा पास करने के बाद उपलब्ध होने पर यथा समय पूरी की जाएगी।

श्रीमती शकुंतला देवी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला सहारनपुर अस्पताल में इस समय कुल कितनी नर्सें काम करती हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जितना कोटा होना चाहिये उससे ३ कम हैं। तादाद ठीक नहीं बता सकता हूं।

श्रीमती शकुंतलादेवी--३ नर्सों की कमी के कारण जिला अस्पताल के रोगियों की व्यवस्था और उपचार में भारी कमी रहा करती है या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--भारी तो नहीं, लेकिन कुछ असुविधा जरूर होती होगी।

*८३--श्री व्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)--[हटा दिया गया।]

गोंडा जिले के बाल-क्रीड़ा केंद्र

*८४--श्री गंगा प्रसाद--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में अब तक कितने बाल क्रीड़ा केन्द्र खुले हैं और कहां-कहां ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--अब तक जिला गोंडा में ७ बाल-क्रीड़ा केन्द्र राजकीय स्वास्थ्य बोर्ड के अनुदान से नीचे लिखे स्थानों पर खोले गये हैं :--

गोंडा नगरपालिका क्षेत्र--

(१) पुलिस लाइन पार्क
(२) गांधी पार्क
(३) पुरानी चुंगी पार्क

नवाबगंज नोटिफाइड एरिया--

(१) गांधी विद्यालय
(२) नवाबगंज नोटिफाइड एरिया पार्क

ग्रामीण क्षेत्र--

(१) ग्राम ईटीया थोक
(२) ग्राम सावनपुरवा

श्री गंगा प्रसाद--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाल-क्रीड़ा केन्द्र खोलने में सरकार क्या सहायता देती है और किस आधार पर खोलती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--म्युनिसिपैलिटी के अन्दर १,६०० रुपये देते हैं और देहात में ८०० रुपये देते हैं। उन देहातों में खोला जाता है जहां अस्पताल हो, स्कूल हो, एसी संस्थायें हों, एट्रैक्टिव सेंटर्स हों, वहां पर दिया जाता है।

*८५-८६—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—[हटा दिये गये ।]

आजमगढ़ नगरपालिका में ली गयी बिजली

*८७—श्री मुक्तिनाथ राय—आजमगढ़ नगरपालिका द्वारा शहर की गलियों में बिजली देने के प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में १-८-५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २९ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ नगरपालिका में अब तक जितनी बिजली लगी है उसमें नगरपालिका से कितना धन लिया गया है ?

श्री धर्मसिंह—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

राजकीय कुनैन कारखाना, लखनऊ का उत्पादन

*८८—श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय कुनैन कारखाना लखनऊ में प्रत्येक वर्ष कितना कुनैन बनाता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—राजकीय कुनैन कारखाना लखनऊ में कुनैन नहीं बनती है । यहां केवल कुनैन व सिनकोना की गोलियां कुनैन व सिनकोना पाउडर से बनाई जाती है । संलग्न सूची में पिछले ४ वर्षों में बनाई गई टिकियों का विवरण दिया है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४६८ पर ।)

राजकीय स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, बहादुरगंज, इलाहाबाद की छात्राओं के निवास की व्यवस्था

*८९—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय हेल्थ स्कूल इलाहाबाद बहादुरगंज में स्थित प्रशिक्षण केंद्र में इस समय कितनी छात्रायें शिक्षा पा रही हैं ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—बावन (५२) लड़कियां शिक्षा पा रही हैं ।

*९०—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह उपर्युक्त छात्राओं के रहने की व्यवस्था को सुधारने के निमित्त क्या करने का विचार कर रही है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—मौजूदा होस्टल में जगह की कमी होने के कारण सरकार ने उसके अलावा एक और मकान किराये पर लिया है ।

*९१-९२—श्री रामसुन्दर पांडेय—[हटा दिये गये ।]

हरिजन छात्रों की फीस माफ करने के लिये अभिभावकों की आय का प्रतिबन्ध

*९३—श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या यह सही है कि अभी कोई ऐसा सरकारी आदेश जारी हुआ है कि उन्हीं हरिजन छात्रों की फीस माफ की जावेगी जिनके अभिभावकों की मासिक आय एक सौ रुपये से अधिक नहीं है और उन्हें आय संबंधी एक प्रमाण-पत्र भी दाखिल करना होगा ?

श्री मंगला प्रसाद—जी हां । इस प्रकार के आदेश कुछ दिन पहले जारी किये गये थे पर १४ अगस्त, १९५८ को इन आदेशों में कुछ संशोधन कर दिया गया है जिसके अनुसार फीस माफी की छूट अब २५० रुपया मासिक तक आय वाले परिगणित जाति के अभिभावकों के बच्चों को ही दी जायगी ।

*९४-९५—श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)—[हटा दिये गये ।]

सहारनपुर जिले में हरिजन निवास स्थान बनाने के लिये अनुदान

*९६—श्रीमती शकुंतलादेवी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला सहारनपुर में १९५७–५८ में हरिजनों के मकान बनाने के लिये कितना रुपया अनुदान में दिया गया है? उससे कितने मकान तैयार किये गये हैं?

श्री मंगला प्रसाद—सन् १९५७–५८ में ६,००० रु० हरिजनों के मकान बनाने के लिये तथा ६,५०० रु० बस्ती बनाने हेतु दिया गया। अभी तक कोई मकान तैयार नहीं हुआ है।

*९७—श्रीमती शकुंतला देवी—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या वह भविष्य में दिये जाने वाले अनुदान से हरिजनों को मकान स्वयं बना कर देने की योजना पर विचार कर रही है?

श्री मंगला प्रसाद—इस प्रकार की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्रीमती शकुन्तला देवी—क्या मंत्री जी बतावेंगे कि जिला सहारनपुर में, १९५७–५८ की धनराशि से मकान कहां बनेंगे और कब तक बनेंगे?

श्री मंगला प्रसाद—इसमें दो हिस्से हैं। ६,००० रुपये में ३,५०० रुपये तो अनुदान दिया जा चुका है और २,५०० रुपया अभी जल्दी मीटिंग होने वाली है उसमें बंट जायगा। जो ६,५०० रुपया मकान बना कर बसाने के लिये है उसका काम बरसात के बाद शुरू हो जायगा।

श्रीमती शकुंतला देवी—इन मकानों में प्रत्येक मकान की लागत क्या होगी और कितने व्यक्तियों के रहने का स्थान होगा?

श्री मंगला प्रसाद—१३ परिवारों के रहने का होगा। उसका हिसाब लगा लीजिये कि कितना पड़ेगा।

*९८—श्री देवनारायण भारतीय—[हटा दिया गया।]

*९९–१००—श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—[हटा दिये गये।]

गोरखपुर तथा झांसी बिजली कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतें

*१०१—श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने गोरखपुर व झांसी बिजली सप्लाई कम्पनी को कितना-कितना रुपया किस-किस समय में कर्ज दिया?

श्री धर्मसिंह—गोरखपुर बिजली कम्पनी को सरकार ने कोई रुपया नहीं दिया है। झांसी बिजली कम्पनी को मार्च १९५५ में सरकार ने दो लाख रुपया कर्ज दिया था।

*१०२—श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त कम्पनियों के लाइसेंस अंतिम बार कब और कितने दिन के लिये बदले गये थे?

श्री धर्मसिंह—गोरखपुर इलेक्ट्रिक लाइसेंस, १९२६ में ५० साल के लिये दिया गया था अतः उसके बदले जाने का प्रश्न नहीं उठता। झांसी बिजली कम्पनी के लाइसेंस की अवधि जो नवम्बर, १९५२ में समाप्त होने वाली थी, दस साल के लिये बढ़ा दी गई थी।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि गोरखपुर में और झांसी में जो एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी है उसकी बिजली के वितरण के संबंध में कुछ शिकायतें भी सरकार को मिली हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। जरूर मिली हैं।

श्री केशव पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस शिकायत के ऊपर क्या कार्यवाही सरकार की ओर से हो रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--कानूनी चाराजोई कर रहा हूं।

श्री जगन्नाथ लहरी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर की इस एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी का कोई प्रार्थना-पत्र कर्ज हेतु सरकार के पास आया था, यदि हां, तो उस पर कर्ज क्यों नहीं दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--कर्ज देना पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं पाया गया, इस वास्ते नहीं दिया गया।

श्री जगन्नाथ लहरी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी कम्पनी जिसको कि पब्लिक इंटरेस्ट में कर्ज देने के लिये सरकार तैयार नहीं है उसके लाइसेंस को रद्द करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--टर्म खत्म हो जायगा तब विचार करेंगे।

ऊसर भूमि सुधार के लिये खोले गये केंद्रों पर व्यय

*१०३--**श्री गंगाप्रसाद सिंह**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रदेश के किस-किस जिले में सरकार द्वारा ऊसर सुधार केंद्र खोले गये हैं और अब तक कितनी एकड़ ऊसर भूमि का सुधार हो सका है ?

श्री मोहनलाल गौतम--सरकार द्वारा ऊसर सुधार केंद्र तीन जिलों में अर्थात् लखनऊ, हरदोई और कानपुर में खोले गये हैं। इन केंद्रों में लगभग २,६७० एकड़ भूमि का सुधार हो चुका है।

श्री गंगाप्रसाद सिंह--ये तीनों केंद्र कब खोले गये और इन पर सरकार का क्या खर्च पड़ा है ?

श्री मोहनलाल गौतम--इन तीनों केंद्रों का जो हिसाब मेरे सामने है वह १९५०-५१ से है और उसी समय यह खोला गया था।

श्री जगन्नाथ लहरी--कृषि मंत्री क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा मथुरा की सीमा राजस्थान के रेगिस्तान के निकट होने के कारण इन जिलों में ऊसर भूमि बढ़ती चली जा रही है, उस भूमि का सुधार करने के लिये भी कोई ऊसर सुधार केंद्र खोलने की योजना है ?

श्री मोहनलाल गौतम--वहां की तो एक अच्छी योजना है। काफी पेड़ लगे हैं और उसका असर भी अच्छा पड़ा है।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अन्य जिलों में ऊसर सुधार योजना कहां-कहां लागू करने का विचार है ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह तो अभी शुरू किया गया था यह तजुर्बा करने के लिये कि ऊसर जमीन किस तरह रिक्लेम की जाय। इस प्रदेश में २३ लाख एकड़ जमीन ऊसर है और उसको जहां तक हो सकेगा हमारे साधन हमें आज्ञा देंगे, हम रिक्लेम करने की कोशिश करेंगे।

*१०४-१०७--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--[हटा दिये गये।]

राजकीय कृषि फार्मों का उत्पादन

*१०८—श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रदेश के राजकीय कृषि फार्मों से सन् १९५५–५६ और ५७ में पृथक-पृथक क्या-क्या और कुल कितना उत्पादन हुआ है ?

श्री मोहनलाल गौतम—सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४६९–४७० पर)

श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या यह सही है कि सन् १९५४–५५ और १९५५–५६ की बनिस्वत १९५६–५७ में जो खाद्यान्न हैं उनकी पैदावार के टोटल में कमी हुई है ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह तो तालिका दी हुई है। इससे हिसाब लगाया जाय। ५३ चीजों की तालिका दी हुई है।

श्री गंगाप्रसाद सिंह—इस तालिका के देखने से मालूम होता है कि खाद्यान्न के टोटल में कमी पड़ी है। यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस समय वह सब कारण तो नहीं बता सकता। उसके कई कारण हो सकते हैं।

*१०९–११०—श्री नारायणदत्त तिवारी—[हटा दिये गये।]

*१११—श्री वीरेंद्र वर्मा (अनुपस्थित)—[माननीय सदस्य का नाम पूर्व तारांकित प्रश्न संख्या २८ के साथ जोड़ दिया गया।]

सरकारी फार्मों के आय व्यय का लेखा

*११२—श्री वीरेन्द्र वर्मा (अनुपस्थित)—क्या कृषि मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रदेश के सरकारी कृषि फार्मों में से प्रत्येक फार्म का १९५६–५७ का अलग-अलग आय और व्यय क्या था ?

श्री मोहनलाल गौतम—आवश्यक सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४७१–४७२ पर)

श्री जगन्नाथ लहरी—क्या कृषि मंत्री जी आगरा जिले के कृषि फार्मों के आय-व्यय की सूचना सुनाने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, सारी तालिका दी हुई है। अब इसमें मैं पढ़ूं और कहीं कोई गलती हो जाय मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि आगरे में कौन-कौन हैं।

विधान सभा सदस्य, श्री तेजबहादुर सिंह की गिरफ्तारी के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं। जो इस प्रकार है :

"SRI TEJ BAHADUR SINGH M. L. A. has been arrested u/s 147, 143, 332, 114 Indian Penal Code at about 12-30 p. m. He has been lodged in District Jail Azamgarh. Formal intimation being sent separately."

"श्री तेजबहादुर सिंह, एम०एल०ए० सेक्शन १४७, १४३, ३३२, ११४, ताजीरात हिन्द की दफाओं में करीब साढ़े बारह बजे दोपहर को गिरफ्तार कर लिये गये और डिस्ट्रिक्ट जेल, आजमगढ़ में रखे गये इसकी खुलासेवार सूचना बाद में भेज रहा हूं।"

नोट—तारांकित प्रश्न ११२ श्री जगन्नाथ लहरी ने पूछा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने श्री गोविन्द सिंह विष्ट के भाषण देते रहने के बारे में एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने का नोटिस दिया था परसों और यह आज ११ बजे बाद मेरे पास भेजा है। तो बहुत देर हो गई है उसके लिये। वह तत्काल ही दूसरे रोज आ जाना चाहिये था, लेकिन दो रोज तक वे रास्ता देखते रहे। मैं अब इसको बहुत देर हो जाने की वजह से स्वीकार नहीं करता हूं। इसका कोई कारण नहीं है कल आपने क्यों नहीं दिया ?

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—श्रीमन्, मैंने इसमें लिखा है कि वह यहां नहीं हैं इस वजह से नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष—वह हों या न हों, लेकिन आप तो भेज सकते थे। दूसरी बात यह है कि प्रोसीडिंग के बीच में जो घटना हो जाती है तो तत्काल ही, जैसे ही कोई माननीय सदस्य बोल रहा हो, प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाकर अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट करना चाहिये उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये और मैं ऐसे मामले में फौरन कार्यवाही करता हूं। अगर ऐसी कोई बात होती जो अधिक महत्व की होती तो थोड़ी देर भी हो जाती तो सदन की प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिये थोड़ी सी देर होने पर भी विशेषाधिकार के प्रश्न की इजाजत दे सकता हूं लेकिन तत्काल ही भाषण करते-करते कोई सदस्य मेरी आज्ञा को भंग करता है तो उसी वक्त प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहिये। उस वक्त नहीं किया और उक्त सदस्य फौरन चले गये तो उसको समाप्त समझ लेना चाहिये और इसमें कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। फिर अब जब कि इतनी देर हो गयी है तो मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

कामनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की उत्तर प्रदेशीय शाखा की बैठक के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं एक सूचना यह देना चाहता हूं कि कामनवेल्थ उत्तर प्रदेशीय शाखा की साधारण बैठक जो दिनांक १२ सितम्बर, १९५८ के सायंकाल सवा ५ बजे के लिये निश्चित की गयी थी, वह अब १७ सितम्बर, १९५८ को सायंकाल सवा ५ बजे तक के लिये स्थगित कर दी गयी है और उसी रोज अब वह होगी।

श्री उपाध्यक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही में भाग न लेने के संबंध में 'पायनियर' में छपे समाचार के संबंध में जानकारी

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान 'पायनियर' अखबार के पृष्ठ ३ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। उसे मैं समझता हूं आपने भी पढ़ लिया होगा, न पढ़ लिया हो तो आपकी सेवा में भेज दूंगा। इसमें यह खबर है कि डिप्टी स्पीकर महोदय ने श्रीमन् को एक पत्र लिखा है और ३ बातें उसमें कही हैं। हेल्दी डेमोक्रेटिक ट्रैडीशंस और सदन की मान व प्रतिष्ठा को देखते हुए इस सदन की कार्यवाही स्थगित कर देनी चाहिये और यदि ऐसा नहीं किया गया तो वे इस सदन की कार्यवाही से अलग रहेंगे। तो पहले तो मैं यह जानना चाहूंगा क्या ऐसा पत्र उन्होंने अध्यक्ष महोदय को लिखा है इसमें कोई सच्चाई है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—हां, कल मेरे पास माननीय रामनारायण जी की तरफ से एक गोपनीय पत्र आया था जो मेरे नाम से था, अध्यक्ष के नाते सीधे संबोधित नहीं था। 'खेर साहब' करके लिखा था और उसमें यह लिखा था कि वे जा रहे हैं बाहर। मुझसे आन्दोलन के सम्बन्ध में एक, दो रोज पहले भी उन्होंने कुछ कहा था और मैं यह समझा कि उन्होंने

जाते वक्त एक पत्र भेजा है और चूंकि उस पत्र-वाहक के साथ यह सन्देश भी भेजा कि उसको प्रकाशित न किया जाय, न किसी अखबार वाले को भेजा जाय, क्योंकि बहुत गोपनीय है, इससे मैं यह समझा कि मुझसे उस विषय पर वे कोई बात करना चाहते हैं। तो मेरे लिये यह बड़ी असमंजस की परिस्थिति है कि चिट्ठी में क्या लिखा गया है और क्या नहीं लिखा गया है इस सम्बन्ध में कैसे कुछ कहूं। मैं तब तक कोई जिक्र नहीं कर सकता जब तक कि उनसे बात न कर लूं। मैंने उनसे बात करने का प्रयत्न किया किन्तु वे फैजाबाद जिले की तरफ बहुत दूर देहात में चले गये हैं, शायद जलालाबाद में कहीं गये हैं। वहां उनसे कांटेक्ट नहीं कर सका। यदि कोई बात पहले निश्चित हो जाय तो मैं इसके सम्बन्ध में उत्तर देता। लेकिन वे विचार विनिमय मुझसे किसी विषय पर करना चाहते हैं ऐसा मुझे प्रतीत होता है, इसलिये इस विषय पर मैं यहां कोई चर्चा करना मुनासिब नहीं समझता और मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य भी, क्योंकि पत्र गोपनीय है, इस विषय पर अभी कोई चर्चा नहीं करेंगे। अगर कोई निश्चित कदम उनकी ओर से उठता है तो जो मेरी राय होगी और जो वैधानिक इससे प्रश्न उठता है वह मैं सदन के सामने रख दूंगा और सदन का उस पर क्या रिएक्शन होता है उसको जांचने का प्रयत्न करूंगा।

श्री नेकराम शर्मा---मुझे इतना निवेदन करना है कि इसके पश्चात् मुझे यह अवसर मिले कि उन्होंने सदन का अपमान किया है और संविधान का भी उल्लंघन किया है....

श्री अध्यक्ष---अभी तो वह पत्र गोपनीय है और अगर कोई अखबार में कुछ छाप दे तो उसकी तुलना मुझे जो पत्र मिला है उससे तुलना करके कुछ कहना इस वक्त मैं उचित नहीं समझता। अभी सवाल तो यह है कि मैं उनसे बात करूंगा कि आया उन्होंने अखबार में कोई चीज दी है या नहीं, यह बात सही है या नहीं या किसी उड़ती खबर को अखबार वालों ने छाप दिया है। उनसे यह सब बात-चीत करके पूछूंगा। उन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें "गोपनीय" लिखा है, इसलिए इस समय कुछ नहीं बताऊंगा। मैं अपने फर्ज को जरूर अदा करूंगा और जब "गोपनीय" किसी ने लिखा है तो जब तक उनसे बात न कर लूं, उसको सदन के सामने नहीं लाऊंगा। यह भी मैं जानना चाहूंगा कि कोई बात उन्होंने खुद प्रकाशित कराई या किसी दूसरे ने उनकी तरफ से प्रकाशित करा दी। मेरा यह फर्ज अब हो जायगा कि मैं सदन के सामने यह प्रश्न स्वयं ले आऊं और स्पष्ट कर दूं कि उन्होंने क्या मुझे लिखा है, लेकिन पहले मुझे उनसे बात करने का मौका मिलना चाहिए।

विधान परिषद् के सभापति द्वारा परिषद् में कथित क्षमा याचना के संबंध में जानकारी

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---अध्यक्ष महोदय, आज के समाचार पत्रों में लेजिस्लेटिव कौंसिल, उत्तर प्रदेश की जो कार्यवाही प्रकाशित हुई है उसमें यह भी प्रकाशित हुआ है कि सोमवार की घटना के बाद मि० एच० के० अवस्थी जो कि यहां गैलरी में आये थे उनको आपकी आज्ञा से जो मार्शल ने घुसने से रोक दिया था, उस सम्बन्ध में कौंसिल के चेयरमैन महोदय ने उनसे क्षमा याचना की है। मैं आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब कि आपकी आज्ञा के अनुसार कार्यवाही की गयी तो उसके बाद कौंसिल के चेयरमैन को क्षमा याचना की क्या जरूरत थी, इसके सम्बन्ध में आप प्रकाश डालने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष---आपने कोई चीज अखबार में पढ़ी और उसके आधार पर आप यह प्रश्न उपस्थित करना चाहते हैं। दूसरी चीज यह है कि उस सदन में कोई कार्यवाही हुई है और वह श्री सभापति ने की है तो उसके ऊपर जब तक श्री सभापति यहां पर कोई सूचना न भेजें तब तक कोई कार्यवाही यहां पर नहीं हो सकती या उसका जिक्र नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों सदन पूर्ण स्वतंत्र हैं, यह मैंने एक दफा मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस पुस्तिका से पढ़ कर सुना दिया था कि हर एक सदन

[श्री अध्यक्ष]

अपने-अपने यहां की कार्यवाही के लिये पूर्ण स्वतंत्र होता है। तो उस सदन में कोई कार्यवाही होता है और उसमें कोई बात हो भी गया हो तो उसके लिये जब तक यहां पर वहां के चेयरमैन का लिखित कोई सन्देश न आ जाय तो मैं समझता हूं कि उस विषय के ऊपर केवल अखबार में वह छप जाने से कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। अगर मालूम भी हो जाय परिषद् के कार्यवृत्त से कि ऐसी चीज कोई हुई है तो भी वह प्रश्न यहां उठाया नहीं जा सकता क्योंकि श्री सभापति ने जो बात परिषद् में कही है, उसके ऊपर आप कोई यहां पर टीका-टिप्पणी नहीं कर सकते।

श्री जगन्नाथ लहरी--अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रश्न इसलिये उपस्थित कर रहा हूं कि उस सदन में इस सदन की कार्यवाही को लेकर ही चर्चा की गयी थी और उन्होंने यह दिखाया कि उनको जो इस सदन की गैलरी में बैठने का अधिकार था उससे रोका गया और उसमें बार-बार इस सदन की ही चर्चा थी, इसलिये मुझे यह प्रश्न आपसे पूछना पड़ा कि क्या जब इस सदन में वहां की कार्यवाही की चर्चा नहीं हो सकती तब यहां का वहां की कार्यवाही में होना उचित था?

श्री अध्यक्ष--ऐसी बात या प्रश्न इसी सदन में उठाना चाहिये तब उसके औचित्य में मैं यहां फैसला दूंगा। उस सदन का फैसला क्या होगा या हुआ वह मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि जब मैं यह कहता हूं कि यहां पर मैंने जो फैसला दिया उसकी किसी दूसरे सदन में उस फैसले की टीका-टिप्पणी नहीं हो सकती, उसी तरह से जो फैसला परिषद् में श्री चेयरमैन ने दिया, चाहे सही या गलत, उस सम्बन्ध में इस सदन में जब तक कि वह प्रश्न वहां के चेयरमैन मुझे लिख कर न उठावें कि उस सदन के सदस्यों को कोई अधिकार यहां पर है या प्रिविलेज है, वह लिखकर न भेजें तब तक उस पर चर्चा नहीं होगी। अगर वह लिखकर भेजेंगे तो मैं उस प्रश्न को ले लूंगा और जो कुछ उस विषय में मेरी राय होगी कहूंगा और सदन के सदस्यों की सलाह भी तभी ली जायगी, क्योंकि सदन की प्रतिष्ठा का जब सवाल होता है तो हर एक सदस्य अपने सदन की प्रतिष्ठा कायम रखने के लिये अपने विचार रखने में पूर्ण स्वतन्त्र है। जब दो सदनों में विरोध सा दिखाई देता है तब तो उसको हल करने के लिये बात चीत होती है, जैसा कि आपने पहिले एक प्रस्ताव में देखा होगा। तब बातचीत होकर दोनों सदन यह तय करते हैं, प्रस्ताव पास करके, कि यह रवैया हमें अख्तियार करना है और यह रास्ता निकलता है। तो जब तक श्री चेयरमैन की तरफ से ऐसा कोई भी दावा न किया जाय या मांग न की जाय कि अमुक प्रिविलेज है या कोई अन्य रिवाज है तब तक मैं अखबार की खबरों के ऊपर या कोई कार्यवाही परिषद् में हो गयी हो उसकी जानकारी के आधार पर प्रश्न उठाना अनुचित समझता हूं और हम लोगों को कोई कदम उठाना भी उचित नहीं होगा।

विधान मंडल के सदस्यों के एक दूसरे के सदन की दीर्घाओं में बैठने के अधिकार के संबंध में जानकारी

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्य प्रायः एक दूसरे सदनों में जाया करते हैं जैसे कि मंत्री महोदय जो सदस्य होने के नाते उस परिषद् में बैठते हैं और यहां भी आकर बैठते हैं लेकिन वोट नहीं देते हैं। तो क्या यह सम्भव नहीं है कि वहां का सदस्य यहां आये और उसको इस तरह से स्ट्रेन्जर मान कर मार्शल अलग कर दे तो यह एक सदस्य के अपमान का प्रश्न नहीं उठता? मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि वह स्ट्रेन्जर है या नहीं।

श्री अध्यक्ष--यह तो आप दूसरा प्रश्न उठा रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि स्ट्रेन्जर और नान-स्ट्रेन्जर का प्रश्न नहीं है। यहां पर अगर अव्यवस्था पैदा हो जाती है और यहां पर पत्रकार भी मौजूद थे, वे तो स्ट्रेन्जर्स थे, उनको तो रहने की इजाजत दे दी, मालूम है कि पत्रकार बैठे हैं, तो अगर मैं देखूं कि पत्रकारों को भी उठाने की जरूरत है क्योंकि अगर ये नहीं उठते हैं तो

उनके ऊपर भी मामला हो जायगा, अगर मुझे यह खतरा मालूम हो तो पत्रकारों को कितना भी अधिकार हो यहां बैठने का मैं कह दूंगा कि आप चले जाइये क्योंकि मुझे उनकी जान बचाना जरूरी है। इसी तरह से गैलरीज का जो प्रश्न है कि अगर किसी वक्त यह मालूम हो कि गैलरीज में गड़बड़ हो रही है या होने की सम्भावना है तो गैलरीज को खाली करा दूंगा चाहे जो भी किसी का प्रिविलेज हो। यहां पर रेगुलेशन्स बने हुये हैं और उनको मैंने ही नियम १९६ के हिसाब से बनाया है कि कौन कहां बैठेगा और परिषद् के सदस्यों के लिये पांच, दस सीटें मैंने विशिष्ट गैलरी में रिजर्व कर दी हैं। इस तरह का कोई रेगुलेशन परिषद् की तरफ से जिसमें हमारे सदन के सदस्यों के लिये कोई सीटें रिजर्व की गयी हों अब तक तो नहीं था लेकिन अब शायद चेयरमैन साहब वहां करने वाले हैं।

इंगलैण्ड में जो प्रथा रही है वह यह कि एक सदन के सदस्य दूसरे सदन में कहीं पर बैठते रहे हैं लेकिन वहां स्ट्रेन्जर शब्द का जो उपयोग होता था वह इस प्रकार कि अगर कोई सदस्य कह दे कि "आई स्पाई दि स्ट्रेन्जर्स", यानी यहां स्ट्रेन्जर्स मौजूद हैं तो एक रिवाज वहां चला आ रहा है कि कोई स्ट्रेन्जर वहां दर्शक की हैसियत से भी नहीं बैठ सकता था चाहे कोई गड़बड़ी न भी होने वाली हो। यानी अगर कोई सदस्य कार्यवाही के बीच में कह दे कि "आई स्पाई दि स्ट्रेन्जर्स" तो स्ट्रेन्जर्स को पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया जाता था क्योंकि किसी स्ट्रेन्जर को पुराने रिवाज से कार्यवाही में नहीं आना चाहिए था। यह एक प्रथा वहां चली आ रही थी। यहां तो हम स्ट्रेन्जर को इज्जत से बिठाते हैं। हम पास देते हैं और कहते हैं कि जब हमने रेगुलेशन्स बना दिये तो स्ट्रेन्जर्स आ कर बैठें। लेकिन स्ट्रेन्जर को भी कोई खतरा हो और मुझे यह खतरा मालूम हो कि हमारे परिषद् के सदस्यों के ऊपर भी खतरा हो सकता है और मैं हाउस को ऐडजर्न कर दूं और उसके बाद देखूं कि गैलरीज में गड़बड़ हो रही है तो गैलरीज में से उनको हटा दूंगा। तो इमर्जेन्सी में मुझको पूर्ण अधिकार है और इमर्जेन्सी में कोई भी अधिकार जो इस तरह के रेगुलेशन्स से मिले हैं उसमें प्रिविलेज का प्रश्न नहीं उठता, ऐसा मेरा खयाल है।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—श्रीमन्, आपके अधिकारों के सम्बन्ध में हम में से किसी को कोई सन्देह नहीं है। मैं समझता हूं कि आपको पूरा अधिकार है, आप जिस समय चाहें गैलरीज को खाली करा सकते हैं चाहे जो कोई भी बैठा हो। प्रश्न यहां यह है कि इमर्जेन्सी हुई और आपकी आज्ञा से मार्शल यदि किसी को अलग कर दे तो क्या इस काम के लिये उनको किसी से माफी मांगनी चाहिये ?

श्री अध्यक्ष—यह तो मैंने कहा कि यह प्रश्न तो तब आयेगा जब चेयरमैन वहां से लिख कर मेरे पास भेजें। मैं अगर आपसे माफी मांग लूं किसी बात पर तो परिषद् के चेयरमैन यह नहीं पूछ सकते हैं कि मैंने माफी क्यों मांगी है और न मैं उनके कथन पर यहां फैसला दे सकता हूं। अगर सदस्य इस हाउस में पूछना चाहते हैं कि कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज मेरी राय में हुआ या नहीं तो मैं जवाब देता हूं कि नहीं हुआ। मेरी आज्ञा पर अगर मार्शल ने कह दिया कि यहां से कोई भी सदस्य हों बाहर चले जायं, क्योंकि मैं उन्हें खतरा देखता था, तो ऐसी अवस्था में मेरी राय में उसके विरुद्ध प्रिविलेज का सवाल उठता नहीं है। श्री सभापति ने मेरे पास लिख कर कोई चीज भेजी नहीं है कि परिषद् के किसी सदस्य का ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है। अगर उन्होंने परिषद् में शान्ति कायम रखने के लिये कोई बात कह दी तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उनसे सवाल करूं कि आपने क्यों ऐसी बात कही ? उन्हें पूर्ण अधिकार है अपने यहां व्यवस्था कायम करने का और मुझे और इस सदन को उसमें टीका करने का अधिकार पैदा नहीं होता है जब तक श्री सभापति प्रश्न न उठायें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि हम उस सदन की कोई टीका-टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम यह तो कह सकते हैं कि मार्शल हमारे सदन के अफसर हैं। हम यह पूछ सकते हैं कि मार्शल ने माफी मांगी या नहीं बगैर कोई चिट्ठी-पत्री आये हुये। अगर उन्होंने मांफी मांगी ..

श्री अध्यक्ष--मार्शल ने कोई माफी नहीं मांगी।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--श्रीमन्, इस सदन की भावना...

श्री अध्यक्ष--न मार्शल से कहा गया कि माफी मांगो और न माफी मांगी। अगर यह प्रश्न श्री सभापति द्वारा मेरे पास आता तो बराबर जैसा कि मुख्य मंत्री जी कहते हैं हमें प्रश्न उठाना पड़ता।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, इस चीज को विधान परिषद् के चेयरमैन के पास भेजने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष--मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि इसके पेश्तर यह प्रश्न मेरे सामने आया था और मुझसे उनकी बातचीत हुई थी। मैंने उनसे कहा था कि आप देख लीजिये। पुराना कस्टम चला आया है उसके हिसाब से हाउस आफ कामन्स ने यह फैसला किया है, प्रस्ताव द्वारा कि यह कस्टम बना रहे कि एक दूसरे के सदन में बैठा करें। जब स्ट्रेन्जर कह कर हटाया जाय उस वक्त भी न हटाया करें जब कि सीक्रेट सेशन होता हो। लेकिन इमर्जेन्सी के लिये वह चीज लागू नहीं होती है। इमर्जेन्सी के वक्त में दूसरी चीज होती है। यह बात हम लोग तय कर लेंगे। अभी तो दिक्कत यह है कि जिस विशिष्ट दीर्घा में ५ सदस्य विधान परिषद् के बैठते हैं उसी में अन्य दर्शक भी बैठते हैं। अगर हाथापाई हुई और खतरा पैदा हुआ तो ऐसी हालत में मैं किसी का आना पसन्द नहीं करूंगा। हम लोग अपनी जिम्मेदारी लेकर गरमागरम वाद-विवाद करें कि उस गर्मी से कहीं किसी को कोई नुकसान न पहुंचे इस कारण ही तो मैंने सभी को हटा दिया। इसी तरह श्री सभापति को अधिकार है कि यदि परिषद् में खतरा पैदा हो इसी प्रकार का तो यद्यपि मामूली अवस्था में वह यहां के सदस्यों को कहीं भी बैठने का अधिकार दे दें लेकिन खतरे के मौके पर यदि उनको हटा दें तो प्रिविलेज का सवाल उठाने का इस सदन के सदस्यों को कोई मौका नहीं होगा, क्योंकि सिद्धान्त यह है कि सदन का कार्य चलाने के लिये जो आवश्यक अधिकारों की आवश्यकता होती है उसी के आधार पर विशेषाधिकार आधारित हैं। जितने विशेषाधिकार संसद को ब्रिटेन में प्राप्त हुये हैं वह सदन की कार्यवाही चलाने के लिये ही अधिकतर हुये हैं। दूसरे सदन में कोई दूसरे का अपमान न कर दे, कोई बुरी भाषा न कह दे या अपमानजनक भाषा न कह दे, इसका भी तात्पर्य यह है कि सदन की कार्यवाही समुचित तरीके से चल सके, इसके लिये सदस्यों का जानबूझ कर अपमान नहीं होना चाहिये यह विशेषाधिकार है। यह नहीं है कि हम विशेषाधिकार से किसी दूसरे सदन के ऊपर हुकूमत लाद दें कि हमें तुम्हारे यहां आकर बैठने का अख्तियार है हम किसी भी हालत में हटाये नहीं जा सकते। इस तरह के प्रिविलेज कहीं पैदा नहीं होते हैं, यह तो कस्टम से या प्रथा से या समझौते से कायम होते हैं और उसी के अनुसार ही चलते हैं और जिस वक्त ऐसा डिस्टरबेन्स होता है उस वक्त सदन के अध्यक्ष या चेयरमैन को अधिकार होता है कि जो कुछ उचित कार्यवाही हो करे, लोगों की हिफाजत करने के लिये।

कृषि मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)--अध्यक्ष महोदय, यह जो आपकी बात हुई थी, गुस्ताखी न समझें, तो मैं पूछूं कि आपने उनको कुछ यह सलाह दी कि जो कार्यवाही इस सदन में हुई उसके सम्बन्ध में उनकी जो भी राय हुई और जो उन्होंने माफी मांगी उससे आपने जो कार्यवाही की थी उस पर कुछ थोड़ी-सी आंच आयी और अगर उन्होंने माफी मांगी तो क्या उसका यह मतलब नहीं है कि यहां के स्पीकर साहब ने, आपने मार्शल को जो आज्ञा दी थी वह गलत हुई थी और इसलिये उन्होंने माफी मांगी ?

फिर एक प्रश्न यह उठता है कि जो यहां कार्यवाही हुई थी उसके बारे में वहां जिक्र हुआ और दूसरे यह कि जो आपने कार्यवाही की उसके लिये उन्होंने माफी मांगी।

श्री अध्यक्ष--मेरे पास अभी न कार्यवाही आयी है, न मैंने उसको पढ़ा है। अखबार में पढ़ कर आप यह चीजें कह रहे हैं। मैंने आम तौर पर सिद्धान्त की बातें कह दीं। लेकिन जहां तक उस सदन में कार्यवाही हुई है, जब तक कोई कार्यवाही सामने मौजूद नहीं है, जब तक वह चीज मेरे पास आती नहीं तब तक वहां क्या घटना हुई मैं नहीं कह सकता हूं। उन्होंने क्या एक्सप्रेशन किया, उसका जिक्र भी नहीं कर सकता। उस सदन में अगर कोई कार्यवाही होती है तो उसके ऊपर हम लोग यों चर्चा नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कार्यवाही न आ जाय। अभी अखबार सिर्फ सामने मौजूद है और कोई अन्य चीज मौजूद नहीं है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि श्री त्रिपाठी जी, डिप्टी स्पीकर साहब कब तक आ जायेंगे और यह सेशन कब तक चलेगा, यह मालूम हो जाता।

श्री अध्यक्ष--दोनों प्रश्नों में परस्पर कोई ताल्लुक नहीं है। उनके आने से और सदन के चलने से कोई ताल्लुक नहीं है। अलग-अलग प्रश्न पूछिये।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)--अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने समाचार पत्रों में पढ़कर यह प्रश्न उपस्थित किया था मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसका स्पष्टीकरण करने के लिये कल की लेजिस्लेटिव कौंसिल की कार्यवाही को मंगाने की कृपा करें तो अति उत्तम होगा। हम लोगों का भी सन्देह दूर हो जाय।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा अच्छा होगा कि मैं चेयरमैन से स्वयं बात करूं क्योंकि जब दो सदनों का प्रश्न आता है और कभी-कभी मतभेद भी हो जाता है तो ऐसी अवस्था में हम लोग बातचीत करके समझौते के रूप में कोई प्रस्ताव जो दोनों सदनों को मान्य हो उसे पेश करें। उसी के हिसाब से भविष्य में अपना तरीका अख्तियार कर सकते हैं। अभी यह तरीका यहां पर अख्तियार नहीं किया गया है। बैठने के अधिकारों के बारे में हमने कोई प्रस्ताव पास नहीं किया है। हाउस आफ कामन्स और हाउस आफ लार्ड्स में प्रस्ताव पास हो चुका है। यहां पर हम लोग ऐसा ही प्रस्ताव कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि एक ही मण्डल के दो सदन हैं, तो उसमें कोई खींचातानी होने की बात नहीं है। कोई न कोई रास्ता निकाला जा सकता है। इसीलिये वह मेरे पास आये थे कि अलग स्थान इस सदन में परिषद् के सदस्यों के लिये रिजर्व कर दें जिससे झगड़े न पैदा हों क्योंकि उनके यहां सदन में झगड़ा उठ रहा था। तो मैं समझता हूं कि इस विषय में कि कल परिषद् में क्या हुआ उसके बारे में जो समाचार समाचारपत्रों में डिटेल में छपा है, वह सही या गलत है मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं बातचीत करूंगा, जो आपने भावनाएं व्यक्त की हैं आपकी भावनाओं को भी साथ लेकर जाऊंगा और श्री चेयरमैन से बातचीत करूंगा।

आगामी कार्य-क्रम के संबंध में पूछताछ

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--मैं आपके द्वारा जानना चाहता था कि आगामी सप्ताह का कार्य-क्रम क्या होगा?

मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--वह तो पहले बताया जा चुका है। कई आइटम तो आज के कार्य-क्रम में दिये हुए हैं उनको पूरा करना है। सप्लीमेंटरी बजट और एक्सेस बजट आना है। अगले हफ्ते के लिए काफी काम है।

सदन में अनुपस्थित सदस्यों द्वारा उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करने पर सदन में उनकी उपस्थिति माने जाने के संबंध में जानकारी

श्री श्रीनाथ (जिला आजमगढ़)---मैं आपकी आज्ञा से यह जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि विरोधी दल के माननीय सदस्यों की ओर से पूरे सत्र के लिए सदन त्याग करने की घोषणा हो चुकी है और तब से वह सदन में उपस्थित भी नहीं होते। मुझे मालूम यह हुआ है कि जो उपस्थिति रजिस्टर है उसमें कुछ माननीय सदस्य हस्ताक्षर करते हैं। क्या उनकी उपस्थिति, रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद सदन में मानी जायगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---अभी तक नियम तो यही है कि जो रजिस्टर में दस्तखत करदे और अगर वह सदन में नहीं आता है तो उनकी अटेन्डेन्स नहीं मानते हैं। उनका सदन में आना जरूरी है चाहे वह यहां थोड़ी देर के लिये ही बैठें। वह केवल दस्तखत करके चले जायं और सदन में न आयें तो इस वजह से उनकी अटेन्डेन्स हम नहीं मानते हैं।

न्याय उपमन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---मैं श्रीमन् के द्वारा यह जानना चाहता हूं कि कितने सदस्यों ने अभी तक इस प्रकार से दस्तखत किये हैं जो इस सदन में नहीं आये हैं ?

श्री अध्यक्ष---इसकी सूचना आप चाहते हैं तो मैं देख कर ही कह सकूंगा। आज नहीं बता सकता हूं क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी दस्तखत नहीं करते हैं जो सदन में भाषण दे चुकते हैं। उनको हम बाद में दस्तखत करने की इजाजत दे देते हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मेरा मतलब उन लोगों से है जो यहां पर यह कह कर गये हैं कि हम सदन का परित्याग करते हैं और फिर उन्होंने यहां रजिस्टर में हस्ताक्षर किये हैं।

श्री अध्यक्ष---मैं इस दृष्टि से नहीं देखूंगा। मैं तो इस दृष्टि से देखूंगा कि जो लोग दस्तखत करके गये उन्होंने सदन को अटेन्ड किया है या नहीं। उनको दस्तखत नहीं करना चाहिये।

१२ वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों के लिये अंग्रेजी भाषा का पठन पाठ्य-क्रम से हटाने के संबंध में संकल्प (क्रमागत)*

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---मान्यवर, गत अवसर पर इस प्रस्ताव पर पूरा विवाद हो चुका है और शिक्षा उपमन्त्री इस पर काफी प्रकाश डाल चुके हैं। अब इसमें मुझे और अधिक नहीं जोड़ना है। केवल इतना ही कहना आवश्यक समझता हूं कि इस प्रस्ताव में जो यह बात कही गई है कि १२ वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को अंग्रेजी न पढ़ाई जाय, वह नीति वास्तव में पहले से चल रही है। दर्जा १ से लेकर ५ वे दर्जे तक जहां ११ वर्ष तक के बच्चे पढ़ते हैं.....

श्री अध्यक्ष---उनके उत्तर को आप पूरा नहीं कर सकते।

श्री कमलापति त्रिपाठी---शिक्षा मन्त्री की हैसियत से मैं यह निवेदन करूंगा कि जितना उत्तर उपमंत्री जी ने दे दिया है वही समुचित समझा जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रादेशिक शासन की राष्ट्रभाषा हिन्दी के उत्तरोत्तर विस्तार और वृद्धि एवं प्रयोग संबंधी लक्ष्य व नीति को सम्मुख रखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि आगामी वर्ष से केवल उन विद्यार्थियों के अतिरिक्त जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी हो, अन्य सब ही १२ वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों के लिये अंग्रेजी भाषा का पठन पाठ्य-क्रम से अनिवार्य अथवा वैकल्पिक रूप से हटाकर अन्त कर दिया जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

---

*२२ अगस्त, १९५८ की कार्यवाही से।

प्रादेशीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पाठ्य-क्रम में परिवर्तन करने में संबंध में संकल्प

श्री अध्यक्ष---दूसरा संकल्प श्री सीताराम शुक्ल उपस्थित करेंगे। मैंने उनको इस संकल्प को उपस्थित करने की इ ाजत दे दी है क्योंकि नियम के अनुसार यदि उस सदस्य की जिस के नाम प्रस्ताव हो दूसरे सदस्य को उपस्थित करने की उसकी लिखित प्रार्थना मेरे पास आ जाती है तो मैं इजाजत दे सकता हूं।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---प्रश्नों के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, आपने कल यह व्यवस्था दी थी कि जो सदस्य इस सदन का परित्याग करके चले गये हैं, उनके प्रश्नों पर इस सदन में अभी विचार नहीं होगा। वह बाद को लिये जायंगे। तो क्या उसी व्यवस्था के अनुसार जो भी असरकारी प्रस्ताव है उन पर उन सदस्यों के आने पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---उसमें यह व्यवस्था इसलिये दी गयी क्योंकि हर सदस्य यह लिखता रहा कि उनके प्रश्न स्थगित कर दिये जायं क्योंकि उनको पूरक प्रश्न पूछना होता है। वे यह चाहते थे कि उनके सामने प्रश्न पूछे जायं। कई लोगों ने लिख कर भेजा तो उसमें मैंने यह उचित समझा कि जितने प्रश्न हैं उनको कार्यसूची से निकाल दिया जाय। यह प्रश्न ऐसा है कि जिसमें रामसिंह जी ने खुद लिख कर भेजा है कि मैं बीमारी की वजह से उपस्थित नहीं हो सकता हूं, क्योंकि वह अस्पताल में पड़े हुए हैं। लिहाजा श्री सीताराम शुक्ल जी इसको उपस्थित करें, इसकी मैं इजाजत देता हूं और नियम ८१ में यह दिया हुआ है कि यदि किसी सदस्य का संकल्प हो और उसको वह स्वयं उपस्थित न कर सके और दूसरे सदस्य के लिये वह लिखित रूप में अध्यक्ष को भेज दे तो वह सदस्य पेश कर सकेगा। इसलिये मैं इस नियम के अनुसार माननीय सीताराम जी शुक्ल को इस संकल्प को उपस्थित करने की इजाजत देता हूं।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल (जिला आगरा)---श्रीमन्, यह जो श्री रामसिंह जी का संकल्प है जिसको श्रीमन् ने सीताराम जी को उपस्थित करने की आज्ञा प्रदान की है, उसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि एजेण्डा की नत्थी 'ख' देखने से यह पता चलता है कि इस संकल्प पर श्री सीताराम जी का एक संशोधन है। तो क्या ऐसी स्थिति में वह इसको पेश कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---वह यह कर सकते हैं कि इस संकल्प को वे संशोधित रूप में पेश कर दें।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव के शब्द यह हैं जिसे मेहरबानी करके श्री रामसिंह जी ने मुझे मौका दिया कि मैं पेश कर सकूं---

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रादेशीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पाठ्य-क्रम में इस प्रकार परिवर्तन करना वांछनीय है कि १२ वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को प्र देशीय भाषा के अनिवार्य रूप में पठन के साथ साथ भारतीय विधान के परिशिष्ट ८ में दी हुई भारतीय भाषाओं में से किसी भाषा का ही केवल द्वितीय भाष. के स्थान पर अनिवार्य रूपेण शिक्षण नियमित कर दिया जावे।"

इस पर मेरा संशोधन है कि संकल्प की पंक्ति ४ में शब्द "किसी भाषा का ही केवल द्वितीय भाषा के स्थान पर अनिवार्य रुपेण शिक्षण नियमित कर दिया जावे" के स्थान पर शब्द "कोई भाषा ऐच्छिक रख दी जाय तथा अंग्रेजी सिर्फ डिग्री क्लासों में पढ़ाई जाय।"

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल---अध्यक्ष महोदय, क्या कोई माननीय सदस्य संकल्प और संशोधन साथ-साथ पेश कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष---मैंने तो उनसे कहा कि आप उसको संशोधित रूप में पेश करें। ऐसा मत कहें कि इसको हटा दिया जाय और यह रखा जाय। उसके बदले उन शब्दों को स्वयं हटा कर उस संकल्प को संशोधित रूप में ही उपस्थित करें।

श्री सीताराम शुक्ल---मैं वही पढ़ रहा था ताकि लोगों को समझने में आसानी हो।

श्री अध्यक्ष---संकल्प आप संशोधित रूप में ही पढ़ें।

श्री सीताराम शुक्ल---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी हेल्प चाहता हूं। यहां दो सज्जन बैठे हैं और चाहते हैं कि मैं इसको पेश न कर सकूं। मुझे जरा पेश करने दें। मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है :--

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रादेशीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पाठ्य-क्रम में इस प्रकार परिवर्तन करना वांछनीय है कि १२ वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को प्रादेशीय भाषा के अनिवार्य रूप में पठन के साथ-साथ भारतीय विधान के परिशिष्ट ८ में दी हुई भारतीय भाषाओं में से कोई भाषा ऐच्छिक रख दी जाय तथा सिर्फ डिग्री क्लास में अंग्रेजी पढ़ाई जाय।"

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय रामसिंह चौहान ने शुक्ल जी को यह इजाजत नहीं दी कि उनका प्रस्ताव इस संशोधन के साथ रखा जाय। उन्होंने केवल अपने प्रस्ताव को पेश करने की इजाजत दी है। इसलिये माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव संशोधित रूप में पेश नहीं कर सकते हैं।

श्री सीताराम शुक्ल---मैंने, अध्यक्ष महोदय, उनसे पूछ लिया था कि मेरा यह संशोधन है इसको मैं इसके साथ पेश करूंगा। तो उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा। इस प्रकार से उन्होंने मुझे उसको संशोधित रूप में पेश करने की इजाजत दे दी थी। यह एक मोटी-सी बात है जो मेरे दिमाग में पहले ही आ गयी थी।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा कर के बैठें। जब कोई माननीय सदस्य किसी की ओर से कोई प्रस्ताव उपस्थित करता है तो उसको यह भी अधिकार रहता है कि अगर उसमें कोई दूसरा शख्स कोई संशोधन उपस्थित करे तो वह उसको स्वीकार कर ले, इसके अतिरिक्त उसको वापिस लेने का भी अधिकार रहता है। अगर कहीं माननीय मंत्री जी उसका विरोध करें और माननीय शुक्ल जी से कहें कि वे उसको वापस ले लें और फिर शुक्ल जी उसको वापस लेना चाहें, तब आप यह कहें कि वे वापस नहीं ले सकते क्योंकि रामसिंह जी ने उसकी इजाजत उनको नहीं दी, इसलिये वे ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसलिये जब वे दूसरे के संशोधन को स्वीकार कर सकते हैं तो फिर स्वयं अपना संशोधन उसमें शामिल क्यों नहीं कर सकते। इसलिये मैं उसकी इजाजत देता हूं। लेकिन वह उसमें संशोधन कर के ही उसको उपस्थित कर सकते हैं, अलहदा से संशोधन उपस्थित नहीं कर सकते। इस प्रकार अलहदा संशोधन रख कर उस पर बोलने का अधिकार उनको मैं नहीं दे सकता। इसलिये उनको चाहिये कि वह प्रस्ताव में अपना संशोधन शामिल करके ही प्रस्तुत करें।

श्री सीताराम शुक्ल---माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत विघ्न के साथ ही मुझे इसको पेश करने का मौका मिल सका है। मैं इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं। इसको पेश करने का मेरा इतना ही मतलब है कि इस प्रदेश में शिक्षा की और भी तरक्की और उत्थान हो।

एक जमाना था जब कि यहां हिन्दुस्तान में सर्वत्र शिक्षा का बोल-बाला था। जिधर आप जाइये पंडितों की कमी नहीं थी। आपको याद होगा कि जिस वक्त शंकराचार्य मंडन

मिश्र से मिलने गये तो उन्होंने कुएं पर एक पनिहारी से पूछा कि मंडन मिश्र का घर कहां है। पनिहारी ने कहा---

जगद् ध्रुवं स्याज्जगदध्रुवं स्यात् कीराङ्गना यत्र गिरो गिरन्ति।
द्वारस्थनीडान्तरसन्निरुद्धा जानीहि तन्मण्डनपण्डितौकः ॥

अर्थात्---

उसने कहा कि जहां पर सुग्गा और मैना इस बात पर विचार कर रहे हों कि संसार में सत्य क्या है और असत्य क्या है और जिसके दरवाजे पर विद्यार्थियों के भी विद्यार्थी मौजूद हों, उसी को समझ लीजिये कि वह मंडन मिश्र कर घर है।

इसी प्रकार एक विद्वान् राजा भोज के यहां गया और उसने कहा कि महाराज मैं आपके यहां रहना चाहता हूं। उन्होंने आज्ञा दी कि हमारे राज्य में यदि कोई अशिक्षित हो तो उसको निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर उनको रख लिया जाय। राजा भोज के सामने एक जुलाहे को लाया गया। उसने उनसे पूछा कि बताइये क्या आप कविता कर सकते हैं? उसने कहा---

काव्यं करोमि यदि चारुतरं करोमि यत्नात्करोमि यदि चारुतरं करोमि।
भूपाल मौलिमणिमण्डितपादपीठ हेसाहसांक कवयामि वयामि यामि ॥

उसने कहा कि मैं कविता तो कर सकता हूं लेकिन अच्छी कविता नहीं कर सकता। यदि मेहनत करूं तो अच्छी कविता भी कर सकता हूं। राजा भोज ने कहा कि महाराज हमारे यहां कोई मूर्ख नहीं है। इसलिये हम आपको नहीं रख सकते।

लेकिन आज स्वराज्य हो गया परन्तु हमारी अशिक्षा अभी भी दूर नहीं हुई। अपनी सरकार के होने के बावजूद भी, और एक महान् योग्य शिक्षा मंत्री होने के बावजूद शिक्षा में हमारा देश और प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। यही नहीं कि हम सब जगहों पर पढ़ने लिखने का इंतजाम नहीं कर सके हैं बल्कि जो सर्टिफिकेट लिये हुए हैं वह भी, जहां तक शिक्षा के क्षेत्र का ताल्लुक है, उसमें पीछे हैं। एक जमाना था जबकि विद्या ज्ञान प्राप्त करने के लिये पढ़ी जाती थी लेकिन आज तो विद्या अर्थकरी हो गयी है। लोग नौकरी के लिये ही विद्या पढ़ते हैं। इसलिये कि जमींदारी प्रथा मिटने के बाद जब व्यापार पर भी अधिक टैक्स लग गया है तो सिवा इसके कि सरकारी नौकरी करके वे अपनी जिन्दगी आराम से बसर कर सकते हैं और सरकारी नौकरी पाने के लिये जरूरी हो गया है कि पहले आप अंग्रेजी जानें। बावजूद इसके कि इस सदन ने सन् १९४७ में सर्वसम्मति से पास किया है कि यहां का सारा कारोबार हिन्दी में होगा, कई बार क्वेश्चन हुए, सवाल हुये, जबाव हुये, उस समय के माननीय मुख्य मंत्री पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त ने भी कहा कि एक साल के बाद सारी कार्यवाही हिन्दी में होगी मगर अभी भी वह हिन्दी में नहीं होती है। क्योंकि बच्चे जानते हैं कि बिना अंग्रेजी पढ़े हुए नौकरी मिलेगी नहीं और पढ़ने के बाद नौकरी तो करते भी हैं क्लर्की अर्थात् लिपिक की और दिमाग में उनके है कि और परीक्षा दें, तो बावजूद सरकारी आज्ञा के अपना कारोबार अंग्रेजी में ही करते हैं। रजिस्टर्स, फार्म्स छपे हुए हैं हिन्दी में लेकिन साहब बहादुर खाना पूरी करते हैं अंग्रेजी में, ट्रांसपोर्ट के टिकट, फार्म्स छपे हुए हैं हिन्दी में लेकिन टिकट देने वाले उसको अंग्रेजी में लिखते हैं। जिधर भी देखिये, जहां भी जाइये, वहां अंग्रेजी का ही बोलबाला है। अगर अंग्रेजी अच्छी तरह पढ़ी जाय तो, वह भी ठीक है लेकिन वे उसे भी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। आज सर्टिफिकेट तो एम० ए० का ले लेते हैं लेकिन उनकी न अंग्रेजी अच्छी होती है न हिन्दी अच्छी होती है। इसलिये यह प्रस्ताव लाया गया है कि एफ० ए० तक तो सिर्फ एक जबान पढ़ायी जाय ताकि एक भाषा में तो अच्छी तरह योग्यता आ जाय। यह कहां तक मुनासिब है कि "आधी तजि सारी को धावै, आधी रहे न सारी पावै"। दो जबानें पढ़ी तो जाती हैं किन्तु अच्छी तरह से एक जबान भी नहीं आती यह कहां की बुद्धिमानी है।

[श्री सीताराम शुक्ल]

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिक्कत यह पड़ती है कि आज भी यदि कोई अंग्रेजी में बोलता है तो उसे लोग समझते हैं कि यह बड़ा होशियार आदमी है। आज भी जब कोई नौकरी के लिये मुलाकात में जाता है तो कोट, पतलून और हैट पहन कर जाना अच्छा समझता है, अंग्रेजी में बातचीत करना अच्छा समझता है और अंग्रेजी में परीक्षा देना अच्छा समझता है। एक तरफ तो इस सदन ने तय किया कि यहां का सारा कारोबार हिन्दी में होगा और विशिष्टता दी जाती है अंग्रेजी को। इससे हमारे बच्चों की पढ़ाई का स्तर गिरता जाता है। इस लिये यह प्रस्ताव हाउस के सामने लाया गया है कि १२ वीं कक्षा तक हम सिर्फ हिन्दी में योग्य बनावें। लोगों को यह गलतफहमी है कि हिन्दी भाषा पूर्ण नहीं है, इसमें शब्द नहीं हैं, इसमें पांडित्य नहीं आ सकता, इसमें सभ्यता नहीं आ सकती, इसमें कल्चर नहीं आ सकता, लेकिन शायद वे लोग नहीं जानते हैं कि स्वराज्य मिलने के थोड़े ही दिनों के अन्दर हिन्दी की कितनी तरक्की हुई है, अंग्रेजी के कितने शब्दों को हिन्दी शब्दों में रूपान्तर कर लिया गया है, कितनी नयी-नयी वैज्ञानिक किताबें हिन्दी में लिखी गयी हैं।

श्रीमन्, मैं अर्ज करूं कि पहले यहां सिर्फ मिडिल पास करके ही कानून पढ़ कर लोग वकील बनते थे, मुख्तार बनते थे, सिर्फ उर्दू मिडिल पास लोग मुन्सिफी करते थे और वे अपना जजमेंट और फैसला उर्दू में लिखते थे और उस समय का न्याय आज से बहुत ही अच्छा था। सिर्फ उर्दू पढ़े लिखे वकीलों का जो कैरेक्टर था वह आज के एम० ए० एल० एल० बी० लोगों के कैरेक्टर से बहुत अच्छा होता था तो सिर्फ हिन्दी पढ़ कर भी वकालत की जा सकती है, क्योंकि हिन्दी का स्रोत संस्कृत शब्द भंडार बहुत भरा हुआ है, सारी दुनियां में संस्कृत की धाक है और खास करके जो हिन्दी साहित्य में दिलचस्पी रखते हैं, उनको मालूम है कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने कितने शब्दों का संग्रह कर दिया है। शब्दों की अब कमी नहीं रह गई है लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि शब्द नहीं हैं, बहस के लिए, मैं मान लेता हूं कि अंग्रेजी के मुकाबिले में शब्द नहीं हैं। तो ठीक है, अंग्रेजी पढ़ाइए अपने बच्चों को। उसके लिए मनाही नहीं है। मैंने स्वयं संशोधन रखा है कि डिग्री कालेजों में अंग्रेजी पढ़ाई जाय। मगर यह कहां की अक्लमन्दी है कि लड़कों पर बचपन से ही दो जबानें लाद दी जायं? लोगों का कुछ ऐसा ख्याल है कि बिना बचपन से पढ़े अंग्रेजी आयेगी नहीं। जब बचपन से पढ़ते हैं तब तो अच्छी तरह आती ही नहीं अस्तु जब ऊपर के दर्जे से पढ़ेंगे तो कैसे आयेगी? मेरी प्रार्थना यह है कि जो कुशाग्र बुद्धि के नहीं हैं, होशियार नहीं हैं उसको तो बचपन से भी पढ़ायेंगे तब भी नहीं आयेगी। इस लिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि उनको सिर्फ मातृभाषा पढ़ाइए। उसके बाद अगर लड़का बुद्धिमान और ब्रिलिएंट है, कक्षा में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता है तो बड़े शौक से आप उसे अंग्रेजी पढ़ाइये, फारसी पढ़ाइए, जर्मन पढ़ाइए, फ्रेंच पढ़ाइए क्योंकि हमको तो राजदूत और एम्बेस्डर्स की भी जरूरत है। बाहर भेजना है। दुनिया की खबरें रोज हमें जाननी होंगी, सुननी होंगी लेकिन मेरी प्रार्थना यह है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे मुल्क का उत्थान हो, तो बी० ए० से अंग्रेजी को पढ़ाइए। इसलिए कि अगर हम अंग्रेजी में कुशल माहिर न हों तब नहीं शिकायत होती है। हम जाकर के अंग्रेजी में व्याख्यान दें अमेरिका में और अगर गलत बोल जायं तो शिकायत नहीं होगी। लेकिन अगर हम शुद्ध हिन्दी नहीं बोल पाते हैं तब शिकायत हो जायगी कि यह तो कुछ नहीं जानता, अपनी मातृभाषा भी नहीं जानता। यहां बहुत से अंग्रेज आते हैं, अमेरिकन आते हैं, हिन्दी बोलने की कोशिश करते हैं। उनकी गलत हिन्दी हमको बुरी नहीं मालूम होती क्योंकि हम उनके भाव को समझ लेते हैं। अभी ख्रुश्चेव और बुलगानिन आये थे, नमस्ते करते थे, गान्धी टोपी लगाते थे तो हम लोगों को अच्छा लगता था। अतः बाहर जाकर के हमारे बच्चे अगर अंग्रेजी में धुरन्धर विद्वान् न हों लेकिन उनकी वक्तृता में भाव हो, मैटर हो, तो उनकी पूजा होगी और मैटर तभी आता है जब कि कम से कम एक जबान का अवश्य विद्वान् हो। यह तभी होगा जबकि उसकी मातृभाषा उसको शुरू से पढ़ाई जाय।

आप देखें कि आज की हालत यह है कि एक एम० एल० ए० हैं मैं उनको देख रहा हूं कि

वह यहां है कि नहीं। वह अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे शाम को। मैंने उनसे कहा कि भाई तुम बहुत व्यस्त रहते हो, अपने बच्चे को भी पढ़ाने का समय कहां से पा जाते हो? तो उन्होंने कहा सीताराम, क्या बतलाऊं आज कल तो फीस देकर बच्चों को गलत पढ़ाया जाता है। ट्यूटर साहब को रखूं तो गलत पढ़ा देंगे। लिहाजा मैं खुद पढ़ाता हूं। एक एम० पी० साहब हैं, उन्होंने अपने लड़के को डांटा कि तुम पढ़ते क्यों नहीं, तो उसने कहा आप माहक हमें तंग करते हो। मैं नकल करके पास हो जाऊंगा। आप सिफारिश कर देंगे, नौकरी मिल जायगी तो पढ़ने से क्या फायदा? एक जमाना था जब यह कहा जाता था--पढ़तव्यम् तौ मरतव्यम्, न पढ़तव्यम् तौ मरतव्यम्, जिह्वा सांसति किम् कर्त्तव्यम्। आज हालत यह है कि पढ़ेंगे तो सिफारिश की जरूरत पड़ेगी नौकरी के लिए, नहीं पढ़ेंगे तो सिफारिश की जरूरत पड़ेगी। तो पढ़ने से क्या फायदा है? इसीलिए आज स्तर गिरता जा रहा है। इसके बचाने का एक ही तरीका है जो पहले कह चुका हूं। कानपुर के एक एम० एल० ए० साहब का लड़का हिन्दी में प्रथम आया लेकिन अंग्रेजी में फेल हो गया। एक वर्ष उसी क्लास में पुनः पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना यह है कि उसको शुरू में एक जबान पढ़ने दें। स्वामी दयानन्द जी सिर्फ संस्कृत के ही विद्वान् थे अंग्रेजी के विद्वान नहीं थे। लेकिन आज उनकी दुनिया में धाक है। सब जगह उनकी इज्जत है, प्रतिष्ठा है। मौलाना आजाद साहब अंग्रेजी के विद्वान् नहीं थे, अरबी और उर्दू के विद्वान् थे। लेकिन क्या जिस वक्त वह विदेशों में जाकर के बोलते थे तो क्या उनकी तारीफ नहीं होती थी? तारीफ ही नहीं उनकी सारी दुनिया पर धाक जमी थी। सर स्टैफर्ड क्रिप्स यहां आये थे। तो पं० पन्त जी को दुभाषिया बनाकर मौलाना आजाद ने उनसे बातचीत की थी। जो बातें अखबारों में छपी थीं उसे पढ़ कर जी खुश हो गया। जिस राजनीतिज्ञता का परिचय मौलाना ने दिया उसे भूला नहीं जा सकता। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि बच्चों को पहले एक जबान का पंडित बना दिया जाय, फिर आगे चल कर अगर वह होशियार है तो और जबानों को भी सिखाया जाय क्योंकि अधिकस्य अधिकम् फलम्। आजकल संसार में हमारे यहां की जो अच्छी किताबें हैं उनका तर्जुमा और भाषाओं में हो रहा है। रामायण, महाभारत, गीता का अनुवाद सारी दुनिया में हो रहा है। हमारे यहां भी विदेशियों की उत्तम पुस्तकों का अनुवाद हो रहा है। फलस्वरूप जल्द से जल्द हिन्दी का भंडार बढ़ जायगा.....

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)--मैं श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

इस आदरणीय सदन में क्या ऐसे प्रस्ताव पर जिसकी भाषा की बनावट के लिहाज से कोई माने और मतलब न निकलते हों उस पर बहस की जा सकती है? मैं निवेदन करूंगा जिस प्रकार का प्रस्ताव श्री सीताराम शुक्ल जी ने पेश किया है उसको पढ़ कर आप निर्णय दें कि इसके कोई माने निकलते हैं?

श्री अध्यक्ष--गोल बात आप क्यों कहते हैं। आप खुद बतायें कि कैसे मतलब नहीं निकलता?

श्री शिवराजसिंह यादव--जो अन्त का हिस्सा है--"डिग्री क्लास तथा अंग्रेजी सिर्फ पढ़ायी जाय....."

श्री अध्यक्ष--नहीं साहब। जो उन्होंने हिन्दी को दुरुस्त कर के पेश किया है, वह तो आपने सुना नहीं। जो छपा है वह गलत छपा है। उन्होंने यह वाक्य पढ़ा "कोई भाषा ऐच्छिक रख दी जाय तथा सिर्फ डिग्री क्लास में अंग्रेजी पढ़ायी जाय।"

यह शब्द हैं जो अमेंडेड फार्म में उन्होंने रखे हैं।

श्री सीताराम शुक्ल--माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर भी कुछ भावना पूर्ण लोग कहते हैं कि हिन्दी ठीक नहीं है। लेकिन आप सुनकर खुश होंगे कि जो हमारे बुजुर्गों ने बहुत पहले कहा है जिसको कुछ लोग कहते थे कि झूठ है, गलत है, किन्तु वह आज व्यावहारिक हो रहा है। मसलन पहले जब कहा जाता था पुष्पक विमान में बैठकर रामचन्द्र जी लंका से अयोध्या आये थे तो लोग कहते थे कि गलत बात है। जब कहा जाता है कि अग्नि बाण मारे, एक बाण मारा जमीन से पानी निकल आया, इन सब को लोग झूठ समझते थे। लेकिन आज वह सामने दिखलाई पड़ रहा है। अब तो हवाई जहाज पर उड़ कर लोग आते हैं लेकिन हमारे बुजुर्ग तो स्वयं चले जाते थे। भगवान शंकर आकाश मार्ग से आसन लगा कर गये थे।

"ततः प्रतस्थे भगवान् प्रयामास्त्रं मन्डनं पण्डितभासु जेतुम्।"

और बहुत-सी मिसालें हैं। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि गाना गाया गया और पानी बरसने लगा। गाना गाया गया दीपक जल गया। आज यह बात सही साबित हो रही है। कल अखबार में मैंने पढ़ा है गाना गा-गा कर के फसल की पैदावार बढ़ाया जा रही है ? तो जो हमारे बुजुर्गों ने कहा है उसको असत्य मान कर लोग अपनी अज्ञानता का परिचय देते हैं। हमारे यहां किसी चीज की कमी नहीं है और सब से बड़ी चीज यह है हमारे यहां चरित्र है, संस्कृति साहित्य है जिसको पढ़ने वाला ऊंचे से ऊंचा कैरेक्टर का इन्सान बन सकता है। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा आज भी संस्कृत की पंडित झूठी गवाही देने में हिचकता है लेकिन अंग्रेजी का विद्वान झूठ बोल कर पैसा पैदा करने में अपनी शान समझता है। यही साहित्य का असर है, संसर्ग का असर है। मैं यहां एक श्लोक कह दूं जिसको मैक्स मूलर ने कहा है—

यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले।
तावद् ऋग्वेद महिमा लोकेषु प्रचरिष्यति॥

अर्थात् जब तक पहाड़ हैं, जब तक नदियां हैं, तब तक ऋग्वेद की महिमा संसार में प्रचलित रहेगी। किन्तु लोग यह जानते नहीं हैं इसलिये वेदों को गलत समझते हैं। अगर इसका प्रचार किया जाय तो हम संसार को भी फायदा पहुंचा सकते हैं।

अब प्रश्न यह है कि हिन्दी का प्रचार क्यों नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री जी चाहते हैं, सरकार चाहती है, प्रान्त चाहता है, हाउस चाहता है फिर क्या बात है कि १० साल हो गये और नहीं हुआ ? मेरी प्रार्थना है कि इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये कि हिन्दी के प्रसार में सफलता क्यों नहीं मिल रही है।

आज्ञा भंग्गो नरेन्द्राणं। माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि एक जमाना था कि राजा की आज्ञा भंग करना बड़ा पाप समझा जाता था। वह करोड़ों रुपया फुंक जाना बर्दाश्त कर लेता था लेकिन हुक्म टालना बर्दाश्त नहीं करता था, तब प्रशासन चला करता था। लेकिन आज आपके नौकर आपके हुक्म के खिलाफ डंके की चोट पर अंग्रेजी लिखा करते हैं लेकिन आप पूछते नहीं कि हिन्दी में दर्जा पास किये हुए हो फिर अंग्रेजी में क्यों लिखा, हिन्दी में क्यों नहीं लिखा ? आज उन्होंने हिन्दी नहीं लिखी, कल लगान वसूल नहीं करेंगे, परसों डाकुओं पर गोली नहीं चलायेंगे तो राज्य का क्या होगा ? मेरी प्रार्थना है कि आज्ञा भंग करने के प्रतिकूल ऐक्शन लीजिये। मैं अदब के साथ अर्ज करता हूं कि बगैर सख्ती के काम नहीं चलेगा अपने अंग्रेजी जानने वाले कर्मचारियों के लिहाज के कारण अपने सब बच्चों पर अंग्रेजी का बोझ लादना ठीक नहीं।

जरा गौर फरमाइये कि आपके सेक्रेटेरियट से कितने खत रोज हिन्दी और कितने अंग्रेजी में जाते हैं ? कहीं शीघ्रलिपिक न हों, वहां की गलती माफ की जा सकती है लेकिन यहां तो सब के पास स्टेनोग्राफर्स हैं। यहां तो अंग्रेजी और हिन्दी के स्टेनोग्राफर्स हैं।

अगर आप दिलचस्पी लें तो आपकी इच्छा पूरी होगी और जल्दी हिन्दी का प्रसार हो जायगा। फलस्वरूप हमारे बच्चे काबिल और विद्वान होंगे। उनमें चरित्र पैदा होगा और जो आपके अरमान हैं वे पूरे होंगे।

स्वराज्य प्राप्त करने के पहले से ही कोशिश की जा रही थी कि हमको अच्छी शिक्षा मिले, रहने के लिये अच्छा मकान मिले, दवा मिले और इससे हम अपना ही फायदा नहीं करेंगे बल्कि सारे संसार का फायदा करेंगे।

श्री अध्यक्ष---अब आपके प्रस्ताव को माननीय सदस्य खूब समझ गये हैं।

श्री सीताराम शुक्ल---अभी कितना टाइम है?

श्री अध्यक्ष---टाइम तो आपके लिये २ मिनट बाकी है।

श्री सीताराम शुक्ल---बहुत है। सिर्फ ८ करोड़ फ्रान्स की आबादी है लेकिन वहां की भाषा राष्ट्र संघ की जबान है और यहां हिन्दी बोलने वाले ३० करोड़ होंगे। अगर हम अपने को आर्गनाइज कर लें तो हमारी जबान हिन्दी भी लीग आफ नेशन्स की जबान हो सकती है। ऐसी मशीनें तैयार हो गई हैं कि अगर एक आदमी अंग्रेजी में बोलता है तो उसका तर्जुमा दूसरी जबानों में होता जाता है। जर्मन जानने वाला जर्मन में समझेगा और अंग्रेजी जानने वाला अंग्रेजी में समझेगा। हर एक के कान पर हेडफोन्स लगे रहते हैं। हिन्दी सीख कर आप सारे संसार की भलाई कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ में अपने प्रस्ताव को उपस्थित करता हूं।

श्री जगन्नाथ लहरी---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीराम सिंह जी के प्रस्ताव, जिसको श्री सीताराम शुक्ल जी ने संशोधित रूप में रखा है, के संबंध में असमंजस में पड़ा हुआ हूं कि उसका विरोध किया जाय या समर्थन। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि यदि प्रस्तावक महोदय ने प्रस्ताव पेश करने से पहले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के सिलेबस को देख लिया होता तो शायद उनको यह प्रस्ताव भी सदन के सम्मुख उपस्थित करने की आवश्यकता न होती।

मैं बड़े विनम्र शब्दों में आदरणीय शुक्ल जी से यह कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश की भाषा हिन्दी है और इस विधान सभा में हिन्दी में ही कार्यवाही होती है। कल भी जब नगर निगम पर विचार हो रहा था तो माननीय जगदीश शरण जी ने जो विधेयक में आम बोलचाल के शब्द अंग्रेजी में लिख गये थे उनका हिन्दी रूपान्तर पेश किया तो सदन में चारो तरफ से हर्ष ध्वनि के साथ उसका स्वागत किया गया और समर्थन किया गया। इसलिये मैं एक बात पुनः शुक्ल जी का इस बात के लिये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे जब इस प्रस्ताव के संबंध में अपने विरोधियों का उत्तर देने खड़े हो तो कम से कम हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का सिलेबस देखने के बाद उत्तर देने की कृपा करें तो उत्तम होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं शुक्ल जी की जानकारी के लिये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट सिलेबस की कुछ बातें यहां सदन में उपस्थित करना चाहता हूं:

"According to the present syllabus of the Board of High School and Intermediate Education, U. P., the students at the Higher Secondary stage are required to study the following as compulsory subjects for High School Examination :

Three compulsory subjects, 1st Hindi, 2nd an Indian language other than Hindi as given in Schedule VIII of the Indian Constitution, or a modern foreign language, English, French, German, Russian, Nepali or Sindhi. 3rd Mathematics for boys only. For girls—Home Science.

[श्री जगन्नाथ लहरी]

For Intermediate Examination there are two compulsory subjects—(i) Hindi, (ii) an Indian language other than Hindi as given in Schedule VIII of the Indian Constitution, or a modern foreign language, English, French, German, Russian, Nepali or Sindhi."

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि हाई स्कूल के लिये जो हमारे प्रदेश की भाषा हिन्दी है वह हर परीक्षार्थी के लिये कम्पलसरी है। दूसरा कम्पलसरी सबजेक्ट भारती संविधान की अनुसूची ८ में दी हुई उन भाषाओं में से किसी एक भाषा को लेना है। मैं आपकी आज्ञा से भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची की उन भाषाओं को पढ़ना चाहता हूं जिससे शुक्ल जी को ज्ञान हो जाय। उसमें जो भाषाएं दी गयी हैं वह इस प्रकार हैं—१ असमिया, २ उड़िया, ३ उर्दू, ४ कन्नड़, ५ कश्मीरी, ६ गुजराती, ७ तामिल, ८ तेलगू, ९ पंजाबी, १० बंगाली, ११ मराठी, १२ मलियालम, १३ संस्कृत और १४ हिन्दी।

अध्यक्ष महोदय, जब यह स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि एक हाई स्कूल का विद्यार्थी भारतीय संविधान की अनुसूची ८ में दी हुई किसी भी रीजनल भाषा जो कि उस प्रदेश में नहीं पढ़ाई जाती है उसको पढ़ेगा, और एक हिन्दी होगी, अगर भारतीय संविधान की अनुसूची ८ में जो भाषाएं दी हुई हैं उनको न पढ़ना चाहें तो सिलेबस में लिखा हुआ है कि कोई फारेन लैंगुएज जिसमें कि इंगलिश, फ्रेंच, जर्मन, रशन, नेपाली या सिंधी हैं। इसी प्रकार तीसरा सबजेक्ट मैथेमेटिक्स है। इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रादेशीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में इस प्रकार परिवर्तन करना वांछनीय है कि १२ वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को प्रदेशीय भाषा के अनिवार्य रूप पठन के साथ साथ भारतीय विधान के परिशिष्ट ८ में दी हुई भारतीय भाषाओं में से किसी भाषा का ही केवल द्वितीय भाषा के स्थान पर अनिवार्य रूपण शिक्षण नियमित कर दिया जाय।'

लेकिन शुक्ल जी ने जो संशोधन इसमें बढ़ा दिया है उसके मुताबिक डिग्री क्लासेज के लिये अंग्रेजी पढ़ना आवश्यकीय कर दिया। अध्यक्ष महोदय, जहां तक १२ वीं क्लास का संबंध है, १०वीं कक्षा जो हाई स्कूल है उसके बारे में मैंने आपको सुनाया —

श्री अध्यक्ष—संशोधित रूप उसका यह है, आप नोट कर लें तो ज्यादा अच्छा हो।

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रादेशीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में इस प्रकार परिवर्तन करना वांछनीय है कि १२वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को प्रादेशीय भाषा के अनिवार्य रूप पठन के साथ-साथ भारतीय विधान के परिशिष्ट ८ में दी हुई भारतीय भाषाओं में से कोई भाषा ऐच्छिक रख दिया जाय.....।" तो इसमें 'ऐच्छिक' है, मूल प्रस्ताव में 'ऐच्छिक' नहीं था। अनिवार्य रूपेण शिक्षण नियमित कर दिया जाय, ऐसा था। संशोधित रूप में लिखा हुआ है कि भाषाओं में से कोई भाषा ऐच्छिक रख दी जाय तथा सिर्फ डिग्री क्लास में अंग्रेजी पढ़ाई जाय।"

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, प्रस्तावक महोदय का मन्शा यह है कि डिग्री क्लास में अंग्रेजी को कम्पलसरी कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—जी हां।

श्री जगन्नाथ लहरी—अध्यक्ष महोदय, अब जो संशोधित प्रस्ताव हमारे सामने आया है उससे यह प्रकट होता है कि प्रस्तावक महोदय हिन्दी के साथ-साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद ८ में दी हुई भाषाओं को अनिवार्य रूप से इस प्रदेश में एक विषय के रूप में पढ़ाने के इच्छुक हैं वे यह नहीं चाहते कि विदेशी भाषायें जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद ८ में दी हुई हैं भारतीय भाषाओं के स्थान पर पढ़ाई जायं। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ भाषा

का ज्ञान ही काफी नहीं होता । मैं प्रस्तावक महोदय से पूछना चाहता हूं कि हमारे वे नागरिक जो टेक्निकल शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं , हमारे वे नवयुवक जो मेडिकल साइन्स की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे वे नवयुवक जो रिसर्च करना चाहते हैं, हमारे वे नवयुवक जो डिफेन्स सर्विसेज में जाना चाहते हैं, हमारे वे नवयुवक जो फारेन सर्विस में जाना चाहते हैं क्या उनका काम भारत की भाषा हिन्दी और एक दूसरी ऐच्छिक रीजनल भाषा से ही चल सकता है ? जहां तक मुझे ज्ञान है हर व्यक्ति यह जानता है कि मेडिकल साइन्स के लिये अंग्रेजी उतनी ही आवश्यक है जितना शरीर के लिये हृदय । आज टेक्निकल साइन्स की शिक्षा के लिये भी अंग्रेजी की आवश्यकता है, डिफेन्स सर्विसेज और फारेन सर्विससेज के लिये भी फारेन लैंगुएज की आवश्यकता है । लेकिन सरकार द्वारा जो यह हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का सिलेबस बनाया गया है उसमें कहीं भी अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय होगा , ऐसा प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है । आज यह पढ़ने वालों के ऊपर है कि वे अपने भविष्य का निर्माण किस प्रकार करना चाहते हैं । यदि कोई विद्यार्थी इंजीनियर या टेक्नीशियन बनना चाहता है या किसी की इतनी आकांक्षा है कि वह भारत का राजदूत बन कर विदेशों में भारत का सिर ऊंचा करना चाहता है तो तेरहवें क्लास में पहुंचते पहुंचते, जब कि उसके सुनहरे जीवन का आधा समय व्यतीत हो जाता है, बिना किसी फारेन लैंगुएज की शिक्षा प्राप्त किये हुये किस प्रकार अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है ? मैं बड़े विनम्र शब्दों में श्री शुक्ल जी से यह कहना चाहता हूं कि आज हम लोग अंग्रेजी की कतई हिमायत नहीं करते । हम लोग चाहते हैं कि इस देश से जिस प्रकार अंग्रेज चले गये उसी प्रकार अंग्रेजी भी चली जाय, लेकिन क्या वे बतला सकते हैं कि दुनिया के ऐसे कौन से देश हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति का ज्ञान जिस भाषा में लिखा हुआ है, जिसे हम संस्कृत भाषा कहते हैं उसका ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक न हों ? भारतीयों ने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने के लिये विदेशियों पर तरह तरह के प्रतिबन्ध लगाये । जिस प्रथम अंग्रेज ने कलकत्ते में संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया था यदि उसकी जीवनी पढ़ी जाय तो यह पता लगेगा कि एक पंडित जी ने, जिनके श्लोक शुक्ल जी बार बार कहते रहते हैं उस अंग्रेज को संस्कृत का ज्ञान देने के लिये किस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये थे । उन्होंने ये प्रतिबन्ध लगाये थे कि जब तक वह अंग्रेज उनके पास संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करे तब तक मांस और शराब का उपयोग नहीं कर सकता, प्रति दिन गंगा जल का उपयोग करेगा और उसे लाने के लिये सिर्फ हिन्दू कहार डोली लायेंगे और जब वह कमरे में आयेगा तब गंगा जल से धोया जायगा और जब वह जायगा तब गंगाजल से धोया जायगा । लेकिन एक अंग्रेज ने भारतीय भाषा संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने के लिये हर तरह की पाबन्दी को बर्दाश्त किया । जब उसकी समझ में कोई बात नहीं आती थी तो समय-समय पर पंडित जी ताना देते थे कि एक मांसाहारी और शराबी को देवतुल्य भाषा का ज्ञान नहीं हो सकता है । लेकिन हर तरह की कठिनाइयों को झेलते हुए उस अंग्रेज ने संस्कृत भाषा का ज्ञान उपार्जन किया और इंगलैंड में जाकर जब उसने कालीदास के मेघदूत और शकुन्तला का अनुवाद अंग्रेजी में किया तो उसे पढ़कर वहां के लोगों का ध्यान भारतीय भाषा की ओर गया । आज भी रूस, जर्मनी , इंगलैंड आदि में संस्कृत के जितने ग्रंथ उपलब्ध हो सकते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसका एक हिस्सा भी यहां नहीं मिल सकता है । आज रिसर्च करने वाले भारतीय विद्यार्थियों को संस्कृत ग्रन्थों के लिये विदेशों में जाना पड़ता है । राहुल सांकृत्यान जो संस्कृत के बड़े भारी विद्वान हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य में प्रकाशित कराया था और कहा था कि संस्कृत के जिन अलभ्य ग्रन्थों के भारत में दर्शन तक नहीं हो सकते हैं उन भारतीय संस्कृत के ग्रन्थों का भंडार तिब्बत में प्राप्त है । संस्कृत का भंडार अपार है, इसीलिये विदेशियों ने भारतीय भाषा संस्कृत का ज्ञान सीखने का प्रयास किया लेकिन उत्तर प्रदेश के निवासियों .....

श्री अध्यक्ष—प्रदेश के निवासियों को आप एड्रेस मत कीजिये यहां पर । आप मुझे एड्रेस कीजिये ।

श्री जगन्नाथ लहरी—बहुत अच्छा, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि विदेशियों ने भारतीय भाषा संस्कृत को सीखने का प्रयत्न किया और आज वह संस्कृत के ग्रन्थों का अनुवाद करके दिन प्रतिदिन प्रकाशित कर रहे हैं और भारतीय संस्कृति से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। (लाल बत्ती होने पर माननीय सदस्य ने कहा कि मेरा काफी समय शुक्ल जी तथा त्रिपाठी जी ने ले लिया, इसलिये मेरा समय बढ़ाने की कृपा करें)।

श्री अध्यक्ष—आप २ मिनट ही बोल सकेंगे। बात यह है कि ४ १/४ बज जायगा। इसके बाद भी आप बोलना चाहेंगे।

श्री जगन्नाथ लहरी—२ मिनट अभी बढ़ा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—बहुत अच्छा।

श्री जगन्नाथ लहरी—श्रीमन्, मैं यह कह रहा हूं कि किसी विदेशी भाषा के सीखने में कोई दोष नहीं है और जो विद्यार्थी किसी विदेशी भाषा के सीखने के लिये इच्छुक होते हैं तो उन्हें सब तरह की सुविधायें दी जायं और उनके मार्ग में कोई रुकावट न डाली जाय। लेकिन जहां तक सरकार का संबंध है जिसके सामने यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया है, तो सरकार ने व्यवस्था कर दी है कि प्रदेश के बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थी ही नहीं बल्कि आगे के विद्यार्थियों के लिये भी सुविधायें हैं। यदि सिलेबस देखा जायगा तो मालूम हो जायगा कि एम० ए० तक के विद्यार्थियों के लिये इंगलिश कम्पलसरी नहीं है। अगर कोई विद्यार्थी अंग्रेजी को छोड़ कर अन्य भाषाओं में ज्ञान उपार्जन करना चाहता है तो उसे छूट मिली हुई है। यदि माननीय सीताराम जी शुक्ल इसको देखने की कृपा करेंगे तो उनको भी इसका ज्ञान हो जायगा। इसलिये मैं अपने भाई सीताराम जी शुक्ल से निवेदन करना चाहता हूं कि जो सुविधायें पहले से ही सरकार द्वारा उपलब्ध हैं और सरकार ने विधान बना रखा है तो यह प्रस्ताव लाना बुद्धिमानी का काम नहीं है और कोई विद्वान आदमी व्यर्थ अपना समय बरबाद नहीं करेगा। जैसा कि मैंने सिलेबस को पढ़कर सुनाया, उस में साफ लिखा हुआ है कि किसी भी भाषा को कोई विद्यार्थी पढ़ सकता है। अगर कोई विद्यार्थी अंग्रेजी न पढ़ना चाहे तो और भी अन्य विदेशी भाषा का ज्ञान उपार्जन कर सकता है। उनमें रूसी, जर्मनी, फ्रेंच, और नैपाली तथा सिंधी भाषायें भी शामिल हैं और उनके ज्ञान प्राप्त करने की भी सुविधायें दी गई हैं।

श्रीमन्, जैसा कि मैंने पहले आप से कहा कि हमारे भविष्य के निर्माण के लिये अनेक सब्जेक्ट्स की आवश्यकता है। कोरी भाषा के ज्ञान से मनुष्य के जीवन का निर्माण नहीं हो सकता है। अपने जीवन निर्माण करने के लिये जैसा कि पंडित जवाहर लाल जी ने कहा है कि— 'देश के उत्थान के लिये इंजीनियर्स की जरूरत है, अच्छे टैक्नीशियन्स की जरूरत है। आज सदन में प्रस्ताव आया था कि भरथना और औरैया के अस्पताल इसलिये खाली पड़े हुये हैं कि वहां कोई डाक्टर नहीं है और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्पष्ट रूप में स्वीकार किया है कि हमारे यहां डाक्टरों की कमी है और डाक्टरी पढ़ने के लिये हमें विदेशी भाषा का ज्ञान लेना होगा। तो ऐसी दशा में इस तरह का प्रस्ताव लाना कहां तक उचित है, इस पर शुक्ल जी विचार करने की कृपा करें। शुक्ल जी एक भावुक सदस्य हैं और अपनी भावुकता के लिये प्रसिद्ध हैं। इस सदन में समय-समय पर वह अपनी भावुकता से हमें हंसाते और रुलाते रहते हैं लेकिन इस भाषा के प्रश्न पर भावुकता से नहीं गम्भीरता से विचार करना है और देखना है कि वास्तविकता क्या है। किस प्रकार हम अपने उन बालकों और अपने भाइयों का और भारत की भावी संतानों का निर्माण कर सकते हैं। इस दृष्टि से इस प्रस्ताव पर विचार करें तब भला होगा। और इस सिलेबस को देखते हुए मैं समझता हूं कि शुक्ल जी इस प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करेंगे। यही उत्तम होगा।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २१ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री लक्ष्मीनारायण बंसल---श्रीमन्, अधिष्ठाता महोदय, जो संकल्प माननीय सीताराम शुक्ल ने प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय शुक्ल जी यह न समझें कि मैं इस संकल्प का विरोध इसलिये कर रहा हूं कि मुझे हिन्दी से प्रेम नहीं है । मैं उनको इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि जितना हिन्दी से प्रेम उनको है उससे कम मुझे प्रेम नहीं है लेकिन इस संकल्प से यह मालूम नहीं पड़ता है कि संकल्प क्या है, माननीय शुक्ल जी क्या चाहते हैं और उनकी मंशा क्या है । इस संकल्प से यह नहीं जान पड़ता कि यह नर है या मादा, जैसा कि उनके नाम से मालूम नहीं पड़ता कि वह नर हैं या मादा । वैसा ही यह संकल्प है । इस संकल्प में माननीय शुक्ल जी ने यह रखा है कि इन्टरमीडिएट तक हिन्दी कम्पलसरी हो और उसके साथ एक रीजनल भाषा आप्शनल हो । अगर हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट के कैरीकुलम को वह देखेंगे जैसा कि लहरी जी ने पढ़कर सुनाया, तो जाहिर है कि वहां पर यह तो हिन्दी शुरू से चलती ही है । अगर उनका मंशा डिग्री कालेजेज में केवल अंग्रेजी पढ़ाने से है तो यह मेरी समझ में नहीं आता है । जिसने इन्टरमीडियेट तक अंग्रेजी नहीं पढ़ी तो वह डिग्री कालेज में जाकर बी० ए० में किस तरह से ए, बी, सी, डी, शुरू करेगा, तो क्या आप प्राइमरी स्कूल के कैरीकुलम में ही इसको रखना चाहते हैं ? क्या मतलब है ?

श्री कैलाश कुमारसिंह (जिला बदायूं)---मेरा वैधानिक प्रश्न यह है कि क्या किसी सदस्य के विषय में नर या मादा कहना उचित है ?

श्री अधिष्ठाता---जी हां, यह बिलकुल पार्लियामेंटरी है ।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल---श्रीमन्, अगर शुक्ल जी के संकल्प को मान लिया जाय तो वह संकल्प यह है कि कोई भी भाषा नीचे के लिये रखे लेकिन डिग्री क्लासेज में सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाई जाय । क्या उनका मतलब यह है कि और कुछ वहां पढ़ाने की जरूरत नहीं है ? अगर उनका यह मतलब है तो मैं समझता हूं कि हिन्दी की इससे ज्यादा डिससर्विस और कुछ नहीं हो सकती जो कि इस संकल्प के द्वारा होगी ।

श्री अधिष्ठाता---उनका मतलब यह है कि अगर अंग्रेजी पढ़ाना है तो डिग्री क्लासेज में पढ़ाई जाय ।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल---आपकी आज्ञा शिरोधार्य है लेकिन उनके भाषण में यह चीज साफ नहीं हुई । इसलिये मुझे शंका है । यदि वह मेरी शंका का समाधान कर देंगे तो मैं उनका अनुगृहीत हूंगा । मैं तो ऐसे हर संकल्प का समर्थन करने के लिये तैयार हूं जिसमें हिन्दी के काज को फायदा मिले और जिसमें हिन्दी का काज कुछ आगे बढ़े और हिन्दी की कुछ खिदमत हो । इस संकल्प से तो मेरा अनुभव यह है कि हिन्दी की डिससर्विस होती है । इस संकल्प से तो जैसा कि राजा जी ने कहा था हिन्दी के विरोधियों को आन्दोलन करने का बल मिलता है और दूसरे प्रदेशों में हिन्दी के विरुद्ध कुछ कहने का अवसर मिलता है । इस बात से यह जाहिर होता है कि लोगों के ऊपर हिन्दी लादी जा रही है । यह संकल्प उसी तरफ जाता है । आज अगर शुक्ल जी ने यह संकल्प रखा होता कि हिन्दी के साथ-साथ एक रीजनल भाषा भी कंपल्सरी हो तो मैं उसका समर्थन और स्वागत करता । उससे और दूसरे प्रदेश वालों के दलों में जो भय है कि हिन्दी हमारे ऊपर लादी जा रही है वह दूर होता और वह समझते कि हिन्दी वाले हमारी भाषाओं के सम्बन्ध में भी कुछ राय रखते हैं और उनको बढ़ावा देना चाहते हैं । लेकिन संकल्प यह नहीं है । आज हिन्दी भाषा के विरुद्ध एक आन्दोलन यह भी है कि दूसरे प्रदेश वाले यह समझते हैं कि इस से उनकी लिपि का सत्यानाश हो जायगा । श्रीमन्, लिपि के बारे में आदमी बहुत सेन्सिटिव होता है । कोई भी प्रदेश वाला अपनी लिपि को छोड़ने के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री लक्ष्मी नारायण बंसल]

लिये तैयार नहीं है । मैं चाहता हूं कि आज ऐसा संकल्प होता कि जिसमें हिन्दी का पठन-पाठन दूसरे सूबों को प्रोत्साहित करने के लिये उनकी ही लिपि में होता। अगर बंगला लिपि में ही हिन्दी पढ़ायी जाती, तैलगू लिपि में ही हिन्दी पढ़ाई जाती और कन्नड़ लिपि में ही उस प्रदेश वालों को हिन्दी पढ़ाई जाती तो उस के प्रति उन लोगों की श्रद्धा होती । ऐसा होने से हिन्दी का कुछ उपकार होता । लेकिन हिन्दी का इन चीजों से कोई उपकार नहीं होता है ।

श्रीमन्, अभी माननीय शुक्ल जी ने जो संकल्प रखा है उसके मंजूर होने या न होने से हिन्दी का क्या उपकार होगा, यह मैं नहीं समझ पाया ।

श्री अधिष्ठाता---अगर माननीय सदस्य यह समझते हैं कि यह संकल्प ठीक नहीं है तो आप उसमें संशोधन मूव कर सकते हैं ।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल---श्रीमन्, इनीशियली ही जो चीज गलत है उसमें क्या संशोधन मूव किया जा सकता है ? संशोधन तो उसमें हो सकता है कि जिसमें कुछ गलती हो । जो संकल्प है वह तो ऐसा है कि जिसके कोई माने नहीं निकलते और ऐसे संकल्प में क्या संशोधन लाया जाय ? यह प्रस्ताव ही गलत और बेमानी है ।

श्री अधिष्ठाता---यह संशोधन स्पीकर साहब ने मंजूर किया है और उन्होंने एलाऊ किया है । उस के बारे में ऐसा कहना ठीक नहीं मालूम होता ।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल---श्रीमन्, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । मैं समझता हूं कि मुझे हक है कि मैं माननीय सदन के सामने बोल सकूं कि इस संकल्प में कोई तथ्य नहीं है और यह बेकार है । अगर आपकी आज्ञा हो कि मैं इस प्रकार नहीं बोल सकता तो मैं नहीं बोलूंगा ।

श्री अधिष्ठाता---आप इस पर बोल सकते हैं । जो चाहें कहें । लेकिन संकल्प को स्पीकर साहब ने एलाऊ किया है ।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल---श्रीमन्, अगर केवल अंग्रेजी का बहिष्कार करने से हिन्दी का उपकार हो सकता है तो मैं अंग्रेजी का बहिष्कार करने में शुक्ल जी का साथ दे सकता हूं, लेकिन आज का युग अंतर्राष्ट्रीय युग है । इंटरनेशनल जमाने में हम रह रहे हैं । आज हमको केवल हिन्दी को देखने से ही काम चल जाय तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम को और दूसरी तरफ़ भी देखना पड़ेगा । श्रीमन्, मास्को, बर्लिन और लन्दन आदि यूनिवर्सिटियों में हिन्दी पढ़ाये जाने का प्रबन्ध किया जा रहा है तो यह कहां तक शोभनीय होगा कि हम अपने यहां से अंग्रेजी को खत्म करें । हमको तो जरूरत इस बात की है कि जीवित रहें और जीवित रहने दें । लिव ऐंड लेट लिव की पालिसी हमको अपनानी चाहिये । आज दुनिया में हम अकेले रह कर तरक्की नहीं कर सकते । हर भाषा से हमको कुछ सीखना होगा । अंग्रेजी की भी हमको एक देन है । आज २०० बरस की गुलामी के बाद अंग्रेजों ने अंग्रेजी का जो दर्जा हिन्दुस्तान में बना दिया था वह धीरे-धीरे विलीन होगा । उस के लिये कुछ वक्त की जरूरत पड़ेगी । उस समय तक हम अपनी हिन्दी भाषा में उन तमाम चीजों को ला सकेंगे जिनके जरिये से हम अपने विज्ञान और भाषा आदि की तरक्की कर सकते हैं । श्रीमन्, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जर्मनी से एक फर्म ने यहां एक पत्र लिखा जो संस्कृत में था । वे लोग यह समझते थे कि यहां के लोग संस्कृत जानते होंगे । जब दूसरे मुल्क के लोग हमारी भाषा के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं, वहां हमारी भाषा पढ़ाने का इंतजाम किया जाता है तो अपने मुल्क में हम किसी दूसरी भाषा को न पढ़ने दें यह उचित नहीं मालूम होता है । 'विद्या कबहुं न छाड़िये चाहे नीच पै होय, परौ अपावन ठौर में कंचन तज न कोय' । अगर हमें अंग्रेजी से, बंगला से या जर्मन से सीखने को मिलता है

तो अवश्य सीखना चाहिये। दूसरी जबानों की तनज्जुली से हमें कोई लाभ नहीं हो सकता है। इस संकल्प में कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं रखा गया है और न शुक्ल जी के भाषण से कोई ऐसी बात ही जाहिर हुई कि इस संकल्प से हिन्दी की कोई भलाई हो सकेगी।

इन शब्दों के साथ मैं शुक्ल जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री कैलाशकुमार सिंह--अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता--अभी बहुत कम भाषण हुये हैं, अभी यह उचित नहीं है।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं शुक्ल जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का सहर्ष समर्थन करता लेकिन इसे पढ़कर मैंने देखा कि वह समयानुकूल नहीं है। आज जब हम पंचवर्षीय योजना बनाकर सारी रूपरेखा को नियोजित ढंग से चला रहे हैं तो जैसा संकल्प लाना चाहिये था जो कि नियोजित होता, उसमें पाठ्यक्रम की मांग नियोजित होती या यह जानकारी किये जाने की मांग की गई होती कि कितने इंजीनियर चाहिये, कितने ओवरसियर चाहिये, कितने डाक्टर और अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञ चाहिये। लेकिन इसमें सिर्फ भाषा की बात कही गई है और वह भी ऐसी बात है कि एकदम किसी भाषा को अलग करना भी सम्भव नहीं है। उसके लिये समय की जरूरत है। मैं यह देख रहा हूं कि सरकार प्रयत्नशील है और शनैः शनैः हिन्दी को आगे बढा रही है और दूसरी भाषाओं के, जिनमें अंग्रेजी भी शामिल है बंधन धीरे-धीरे ढीले किये जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह कहना उचित नहीं है कि इस कक्षा तक अंग्रजी पढ़ाई ही न जाय और उसके बाद फिर विश्वविद्यालय की डिग्री कक्षाओं से प्रारम्भ की जाय। आज बहुत से विज्ञान के विषयों की पुस्तकें हिन्दी में उपलब्ध नहीं हैं। अधिकतर वे अंग्रेजी में ही हैं तो उन सब विषयों का ज्ञान जिनकी आज यहां जरूरत है विद्यार्थियों को कैसे कराया जायगा ? इसलिये मैं समझता हूं कि इस संकल्प की आवश्यकता नहीं थी।

इस के साथ ही साथ यह भी है कि जिन विषयों की आज आवश्यकता है उनका अनुवाद हिन्दी में होना चाहिये। शुक्ल जी इस बात की मांग करते तो अच्छा होता। अनुवाद के बाद इन विषयों की शिक्षा हिन्दी के माध्यम से दी जाय और तब अंग्रेजी कम की जाय तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अभी तक उन चीजों का अनुवाद भी हिन्दी में अच्छी तरह से नहीं हो पाया है।

एक बात उन्होंने यह कही कि अंग्रेजी के पढ़ने वालों में गलत कहने का, झूठ बोलने का, तरीका आ जाता है। यह बात भी कुछ उचित नहीं जंचती है। किसी भाषा के पढ़ने से और चरित्र से कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई भाषा यह नहीं सिखाती है कि उसके सीखने से किसी का चरित्र गिर जाय या वह उन सब नियमों को भूल जाय जो मनुष्य के चरित्र के लिये आवश्यक हैं। चरित्र गठन के लिये तो मनुष्य का अध्ययन, उसकी संगति आधार हैं। जसे वातावरण में मनुष्य पलता है वैसा ही उसका चरित्र बनता है। तो चरित्र गिरने के लिये अंग्रेजी को दोषी ठहराना उचित नहीं है। बल्कि हम उसके लिये ऐसे समाज को तैयार करें, ऐसी शिक्षा प्रणाली तैयार करें और ऐसा वातावरण तैयार करें जिससे लोगों का चरित्र गठन हो। जहां तक मैं समझता हूं, अंग्रेजी में भी चरित्र गठन के लिये बहुत-सा साहित्य मिलेगा। तो यह कहना कि अंग्रेजी पढ़ने से चरित्र में गिरावट आ जाती है, मुनासिब नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं शुक्ल जी से कहूंगा कि वे अपना संकल्प वापिस ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

*श्री केशभानराय (जिला गोरखपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं । इसके पहले कि विरोध की बातें कही जावें, मैं यह आवश्यक समझता हूं कि इस पर प्रकाश डाला जाय कि इस प्रस्ताव में कौन-कौन सी मूल बातें हैं । खेद के साथ कहना पड़ता है कि इसमें जो महत्व के प्रश्न हैं उन पर अभी तक कोई प्रकाश नहीं डाला गया । प्रस्ताव मे हिन्दी और अंग्रेजी का कोई विरोध नहीं है । प्रस्ताव में यह माना गया है कि अंग्रेजी पढ़ाई जाय किन्तु केवल डिग्री क्लासेज में ही पढ़ाई जाय । डिग्री से नीचे की कक्षाओं में न पढ़ाई जाय । इससे यह पता चलता है कि अंग्रेजी एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाय जिसका प्रस्ताव में कोई विरोध नहीं है ।

श्री नेकराम शर्मा—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि इस प्रस्ताव का किसी ने अनुमोदन नहीं किया है, इस पर विचार नहीं हो सकता । यह मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस और रूल्स में भी है ।

श्री अधिष्ठाता—सदन में किसी प्रस्ताव के समर्थन का कोई प्रश्न नहीं उठता है । यह आपको भ्रम है ।

श्री केशभान राय—इंटरमीडियेट और हाई स्कूल के प्रास्पेक्टस की जहां चर्चा की गई है उसमें यह अवश्य है कि हिन्दी अनिवार्य है और उसके अलावा दूसरी भाषा के रूप में कोई भारतीय भाषा भी पढ़ाई जा सकती है किन्तु उसमें विकल्प है कि कोई भारतीय भाषा न लेना चाहे तो अंग्रेजी भी ले सकता है । यदि यह प्रस्ताव मान लिया जाय तो अंग्रेजी केवल डिग्री क्लासेज में पढ़ायी जायगी नीचे की कक्षाओं में नहीं ।

अब मैं एक एक तथ्य पर प्रकाश डालूंगा । प्रस्ताव में कहा गया है कि बारहवीं कक्षा तक अंग्रेजी न पढ़ायी जाय बल्कि डिग्री कक्षाओं में पढ़ाई जाय । इसको पास करने का अर्थ यही होगा कि जो लोग डिग्री क्लासेज तक पढ़ना आवश्यक नहीं समझते वे एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के ज्ञान से वंचित हो जायेंगे । लेकिन ऐसे बहुत से लोग होंगे जो समाज के बहुत उपयोगी काम करने वाले होंगे जो डिग्री क्लासेज तक न पढ़े होंगे और वे इसकी वजह से अन्तर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी से वंचित रह जायेंगे ।

अब हमें यह विचार करना है कि जब हमें अंग्रेजी अगर पढ़ाना ही है तो मनोवैज्ञानिक रूप से किस अवस्था में उसको पढ़ाया जाय और किस अवस्था में उसका पढ़ाया जाना अधिक उपयुक्त होगा । जब बालक १६–१८ वर्ष का होता है, उस समय दूसरी भाषा का पढ़ाया जाना उसको अधिक लाभदायक होगा अथवा उसके बाद या पहले । हमें यह देखना है कि अन्तर्राष्ट्रीय भाषा को अपनाने के लिये कौन सी आयु अधिक उपयुक्त होगी । इस पर विचार करने के लिये हमें दो तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक होगा ।

पहला तथ्य तो यह है कि किसी भाषा को जिसे हमें अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाना है, उसको अपनाने से सब से बड़ा हमारा उद्देश्य यही होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के जो ग्रन्थ हैं अथवा उनमें जो भाषण कोई करता है, उसको हम अच्छी प्रकार से समझ लें । प्रधान लक्ष्य हमारा समझने का ही होता है, अपने विचार प्रकट करने का नहीं होता है । मैं प्रस्तावक महोदय से इस बारे में सहमत नहीं हूं कि आजकल स्कूलों से जो विद्यार्थी निकलते हैं वे हिन्दी में भी अपने आपको व्यक्त नहीं कर पाते हैं और इसका एकमात्र कारण अंग्रेजी की पढ़ाई होती है । इसका एक मात्र दोष अंग्रेजी नहीं है क्योंकि आजकल का विद्यार्थी तो अंग्रेजी भी नहीं जानता, न गणित जानता है और न साइन्स और हिन्दी ही जानता है । यह दोष तो शिक्षा प्रणाली और परीक्षा प्रणाली का है । इसका दोषारोपण अंग्रेजी पर नहीं किया जा सकता । इसीलिए मैं यह बात मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि लोग हिन्दी भाषा में इसलिये अच्छी प्रगति नहीं कर पाते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

क्योंकि उनको अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है । यह कारण नहीं है बल्कि इसके खिलाफ मैं यह बताना चाहता हूं कि पहले तो किसी भाषा का थोड़ा-सा ज्ञान होता है और बाद में वह भाषा परिपुष्ट होती है । यह बात अवश्य मानने योग्य है कि जब तक अपनी भाषा में हमारी थोड़ी बहुत पहुंच न हो जाय तब तक हमें दूसरी भाषा नहीं पढ़नी चाहिये । इसी दृष्टि से पांचवीं कक्षा तक हमारे यहां दूसरी भाषा नहीं रखी गयी है । पांचवीं क्लास तक ११ वर्ष की अवस्था हो जाती है । उस समय अपनी भाषा में, अथवा हिन्दी भाषा में, दूसरों की बोली को, दूसरों की बात को, यदि वह कोई गहन विषय न हो तो बालक समझ जाता है । पांचवीं कक्षा समाप्त कर देने के बाद बारहवीं कक्षा तक उसके भाषा को पढ़ने का अर्थ यही होता है कि अगर उस भाषा में गहन विषय भी रख दिये जायें तो बालक समझ ले और सही प्रकार से अपने भावों को भी उसमें प्रकट कर सके । अतः किसी भी भाषा को पढ़ाने के हमारे दो उद्देश्य होते हैं । एक तो यह कि किसी दूसरे की बात को समझ लेना और दूसरा यह कि किसी गहन विषय को समझ लेना और अपनी बात को प्रकट कर सकना ।

अब इसके बारे में मुझे यह कहना है कि यह प्रकट करने वाली चीज अथवा किसी गहन विषय को समझना यह धीरे-धीरे ही होता है और छठवीं कक्षा से १२ वीं कक्षा तक यह कार्य होता है । जब अपनी भाषा में हम अपने भावों को प्रकट करने में सक्षम हो जाते हैं तो यह आवश्यक होता है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के कोर्स को भी उसके साथ में लें लें । और उस समय हमें वह इतनी आनी चाहिये कि हम किसी चीज को किसी हद तक समझ सकें । इतना ज्ञान उस समय हमें आवश्यक होता है । यदि प्रस्तावक महोदय, स्वराज्य के बाद के इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के प्रोस्पेक्टस को देखें तो उन्हें मालूम होगा कि आज के प्रोस्पेक्टस में जो स्टैंडर्ड रखा गया है, तब में और आज में जमीन और आसमान का अन्तर हो गया है। पहले लक्ष्य यह होता था कि हम हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास करने के बाद अंग्रेजी में अपने भाव को प्रकट भी कर सकें लेकिन अब जैसा कि आपका प्रोस्पेक्टस है, उसमें उस स्टैंडर्ड को काफी नीचा कर दिया गया है। उससे साफ जाहिर है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास करने का उद्देश्य यह नहीं होता है कि हम अंग्रेजी में अपना भाव, अपना विचार भी अच्छी तरह से प्रकट कर सकें। उसका उद्देश्य इतना ही होता है कि अंग्रेजी की किसी पुस्तक में यदि कोई बात आती है तो उसे हम समझ सकें। मूल लक्ष्य यही है और इस लक्ष्य को ताक पर नहीं रखना है। इसीलिये मैं अपने प्रस्तावक महोदय से यह कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी से यदि हमको कुछ लाभ प्राप्त करना है तो यह आवश्यक है कि वे सभी लोग जो डिग्री कालेज की शिक्षा न प्राप्त करके भी अन्तर्राष्ट्रीय जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, और देश की सेवा करना चाहते हैं, या सेवा करने के लिये प्रस्तुत हो सकते हैं, उनको नीचे की कक्षाओं में भी अंग्रेजी पढ़ायी जाय। इस सम्बन्ध में मुझे एक बात और कहनी है कि इससे स्वदेश प्रेम या मातृभाषा का प्रेम कम नहीं होता है। जिस तरह से शरीर की वृद्धि के लिये वाह्य चीजों की भी जरूरत होती है तथा देह के लिय आवश्यक है कि वह जीवित रहने के लिये वाह्य पदार्थों को आत्मसात् कर सके, वैसे ही किसी भाषा को जीवित रहने के लिये आवश्यक है कि दूसरी भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त करें और दूसरी भाषाओं के ज्ञान को अपने में आत्मसात् कर लें। महात्मा गांधी जी ने भी हिन्दी को अपनाने के लिये कहा था। उन्होंने यही कहा था कि विदेशी भाषाओं को पढ़ कर कोई कितना ही विद्वान् क्यो न हो जाय, कितना ही उसका अच्छा जानकार क्यों न हो जाय, लेकिन हमें जनसाधारण तक पहुंचने के लिये, जनसाधारण की सेवा करने के लिये आवश्यक है कि हम जनसाधारण की भाषा जानें। किन्तु उसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि जनसाधारण के पास हम केवल वही वस्तु न रखें जो केवल भारत में उत्पन्न होती है बल्कि ऐसे ज्ञान को भी रखें जो बाहर के हों, वरना हम दुनिया की घुड़दौड़ में पीछे रह जायंगे।

मैं मानता हूं कि बहुत-सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी विद्यायें हैं और बहुत से ऐसे संस्कार हैं जो भारत में ही हैं, संसार में किसी दूसरी जगह वे प्राप्त नहीं हैं लेकिन साथ ही संसार

[श्री केशभान राय]

की दूसरी भाषाओं में भी ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो आज हिन्दुस्तान में मौजूद नहीं हैं। साथ ही यदि हम अंग्रेजी की जानकारी न करें और केवल हिन्दी और संस्कृत की जानकारी ही प्राप्त कर के रह जायं तो मेरा विश्वास है कि हम सौ वर्षों तक भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे बल्कि और पीछे हट जायेंगे। आज संसार में किसी चीज के लिये कोई सीमा नहीं रह गयी है। हम आज एकता के सूत्र में बंधते जा रहे हैं, इसलिये यह अनिवार्य हो गया है कि हम अपने भाव से, अपने विचार से और अपने संस्कार से दूसरे को प्रभावित करें और दूसरों के भाव, विचार और संस्कार से स्वयं प्रभावित हों। इससे हिन्दी प्रेम घट नहीं गया है बल्कि हिन्दी प्रेम के लिये और हिन्दी की सेवा के लिये आवश्यक है कि हम हिन्दी को दरिद्र न रहने दें। हम अपने भावों को अन्य भाषाओं के मुकाबले में ज्यादा अच्छी तरह से प्रकट कर सकते हैं और हिन्दी की अधिक सेवा कर सकते हैं। यह हमारा जहां दुर्भाग्य है कि हमारे देश में अंग्रेजों का राज्य रहा लेकिन आज के इतिहास को देखा जाय तो मैं कह सकता हूं कि यह हमारा सौभाग्य था कि उनका राज्य यहां रहा और वे चले गये। सौभाग्य इस माने में कि अंग्रेजी की हमें जानकारी वे दे गये जो आज एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है। यह हमारे आगे के ज्ञान के लिये बहुत सहायक बनेगी। इसलिये मैं तो प्रस्तावक महोदय से कहता हूं कि डिग्री कालेज से नीचे की कक्षाओं में जो अंग्रेजी पढ़ाने पर रोक लगाने की बात रखी गयी है वह उचित नहीं है, उनको चाहिये कि उसको वे उसमें से हटा दें। इससे हिन्दी के प्रति प्रेम कम नहीं होता है। हमें कम से कम उतना जितना कि इंटरमीडिएट और हाई स्कूल कोर्स में अंग्रेजी रखी है, उतना जरूर रखे रहना चाहिए, उतना रखना जरूरी है। इसलिए हम प्रस्तावक महोदय से यह प्रार्थना करते हैं कि वह अपने प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। प्रस्तावक महोदय का जो प्रस्ताव है उसमें मुख्यतः दो बातें हैं। एक तो उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कोई भारतीय भाषा पढ़ाई जाय और अंग्रेजी न पढ़ाई जाय और दूसरी बात यह है कि डिग्री कालेज में ही केवल अंग्रेजी की शिक्षा दी जाय। जहां तक प्रथम खंड की बात है वहां तक जैसा कि अभी पूर्व वक्ता महोदय ने कहा, उसमें ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से किसी अन्य भारतीय भाषा को पढ़ाने की सुविधा दे दी गई है। लेकिन जहां तक हमारा खयाल है कि कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं चाहे वह शिक्षकों की हों, या और कठिनाइयां हों, या धन की कठिनाई हो, जिनकी वजह से यह व्यवस्था स्कूलों में नहीं हो पायी है। किसी भी स्कूल में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जहां मराठी, गुजराती, बंगला या और इस तरह की भारतीय भाषाओं की शिक्षा दी जाती हो। तो जहां तक सरकार का सम्बन्ध है वह तो इस मत से सहमत है और इसीलिए उसने पाठ्यक्रम में उसको स्थान दिया है। लेकिन वह शिक्षकों की कमी ही हो सकती है जिसकी वजह से यह व्यवस्था नहीं हो सकी है। क्योंकि हम लोगों में से बहुत से लोग उत्सुक रहते हैं कि कोई दूसरी प्रदेशीय भाषा सीखें, लेकिन कोई हम लोगों को ऐसी सुविधा नहीं है कि हम सीख सकें। तो अगर हम अनिवार्य रूप से सभी स्कूलों के लिए ऐसा नियम बना देते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी कठिनाई पैदा हो सकती है। इसलिए जहां तक उनकी भावना का सम्बन्ध है कि किसी अन्य भारतीय भाषा की शिक्षा दी जानी चाहिए वहां तक तो हम उनकी भावनाओं का आदर करते हैं। लेकिन उन्होंने जो यह कहा कि अंग्रेजी न पढ़ाई जाय, केवल किसी भारतीय भाषा को पढ़ाया जाय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में, उसको मानने से बहुत बड़ी कठिनाई हो सकती है। हमें यह जरूर सोचना चाहिए कि आज हमारे नेता यह कहते हैं कि राष्ट्र की एकता के लिए, देश की एकता के लिए अपनी राज्यभाषा के अतिरिक्त किसी दूसरी भाषा को हमें अवश्य पढ़ना चाहिए लेकिन कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर सके हैं कि हम सभी लोग अपने देश की दूसरी भाषाओं को सीख सकें। माननीय शुक्ल जी ने कहा कि एम० ए० तक ही भाषा

पढ़ाई जानी चाहिए। अगर नहीं पढ़ाते हैं, ज्यादा भाषाएं पढ़ाते हैं तो हमारी बुद्धि परिपक्व नहीं होती है। एक भाषा में भी हम अच्छी तरह से जानकार नहीं होते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में ऐसे-ऐसे विद्वान् हुए हैं जिन्होंने २६, २६ भाषाओं में महापांडित्य प्राप्त किया है। जैसा कि पूर्व वक्ता महोदय ने बताया---कोई भाषा जो हम नहीं सीख सकते हैं उसका कारण हमारा पाठ्यक्रम है। वह इतना ज्यादा निम्न माध्यमिक विद्यालयों में है कि हमारे विद्यार्थी किसी भी एक विषय में निपुण नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमें यह चाहिए कि धीरे-धीरे सारे सूबे में और पहले जिले में एक-एक ऐसे विद्यालय जरूर खोलें जहां पर कि और जो भारतीय भाषायें हैं उनको पढ़ाने की सुविधा दी जाय और फिर शनैः शनैः सब जगह इसकी व्यवस्था कर दें।

दूसरी बात जो इस प्रस्ताव में है, शुक्ल जी ने कहा कि डिग्री कालेजों में अंग्रेजी की शिक्षा दी जाय। जैसा कि और लोगों ने कहा कि अगर डिग्री कालेजों में अंग्रेजी की शिक्षा दी जाय तो क्या उस समय हमें ए, बी, सी, डी, से शुरू करना होगा? यह बात उचित नहीं मालूम होती है और अपने प्रस्ताव के समर्थन में शुक्ल जी ने जो कहा, उन्होंने प्रस्ताव तो उपस्थित किया कुछ लेकिन अपने भाषण में उन्होंने हिन्दी और अंग्रेजी का एक विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी जो काम होते हैं वह ज्यादातर अंग्रेजी में होते हैं, हिन्दी में नहीं होते हैं। इस तरह की बात उन्होंने कही। तो यह बात तो दूसरी है कि हिन्दी हमारे राज्य की राज्यभाषा है और उसमें ज्यादातर कारबार नहीं हो रहा है जिससे हमें या जनता को कठिनाई हो रही है। लेकिन जहां तक प्रस्ताव का सम्बन्ध है उसके विषय में शुक्ल जी ने कुछ भी प्रकाश नहीं डाला।

मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। माननीय शुक्ल जी ने कहा कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती है तो उस समय उनकी बुद्धि जो होती है वह ज्यादातर ग्रहण नहीं कर सकती। मनोविज्ञान का नियम है कि १४ वर्ष से लेकर १८ और २० वर्ष तक बुद्धि का विकास ज्यादा होता है और यही उम्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की होती है। तो इस अवस्था में अगर उनको अंग्रेजी की शिक्षा नहीं देते हैं तो फिर आगे चल करके उनको अवसर कम रहेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने माननीय मित्र सीताराम शुक्ल जी को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता हूं.....

श्री अधिष्ठाता---आप ही नहीं सभी सदस्य देखते हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---कृपा कर मेरी भी उनमें गिनती कर लें। तो मैं यह निवेदन करना चाहता था कि जहां तक हिन्दी के सम्मान और उसके प्रेम का, वह हमारी राष्ट्र-भाषा है इसलिये हम उसके प्रसार की चेष्टा करें, इन सब बातों का जहां तक प्रश्न है माननीय सीताराम जी, जैसा कि समय-समय पर इस सदन में वह पहले भी करते रहे हैं, सतत प्रयत्नशील रहे हैं, और मैं सरकार की ओर से उनको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि उसके सम्बन्ध में सरकार भी प्रयत्नशील है और यह विश्वास करती है कि हिन्दी को यदि हमने राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया है, जैसा कि हमने किया है, तो निस्सन्देह यह हमारा सब का कर्तव्य है कि हिन्दी उन्नत हो, राष्ट्रभाषा के रूप में वह एक शक्तिशाली और बलवान भाषा बन सके और उसका उचित प्रसार हो सके और उसका प्रचार किया जा सके। इन सब में हमारी स्थिति वही है जो माननीय सीताराम शुक्ल जी की है। मुझे नहीं तो माननीय शुक्ल जी को कुछ आश्चर्य हुआ हो कि सदन के प्रत्येक वक्ता ने, जो इस वादविवाद में सम्मिलित हुए हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया और मैं अत्यन्त सम्मानपूर्वक यह निवेदन करने की धृष्टता करता

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

हूं कि कदाचित् माननीय सीताराम जी इस पर कुछ विचार कर सकेंगे। कारण बहुत स्पष्ट है। हमारे यहां प्रारम्भिक शिक्षा से और एम० ए० तक किसी भी विद्यार्थी के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह अंग्रेजी पढ़े। आज जो हमारे यहां शिक्षा-क्रम हैं उनमें किसी के लिये यह अनिवार्य नहीं है कि वह अंग्रेजी पढ़े। उसकी इच्छा है कि वह पढ़े या न पढ़े। वह अपने ग्रेजुएट के कोर्स में यदि कला का विषय लेता है तो उसको जनरल इंगलिश अनिवार्य रूप से पढ़नी पड़ेगी। बाकी किसी भी स्थान पर उसके लिये यह अनिवार्य नहीं है कि वह अंग्रेजी पढ़े...

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---आन ए प्वाइंट आफ इनफार्मेशन। बोर्ड के इम्तहान में अंग्रेजी कम्पलसरी है या आप्शनल है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---अनिवार्य नहीं है। श्रीमन्, ऐच्छिक है। और बोर्ड में ही नहीं बल्कि इन्टर में भी, बी० ए० में भी, यदि वह कला नहीं लेता है तो।

तो मैं कह रहा था कि अंग्रेजी तो कहीं भी अनिवार्य है नहीं। अब तो केवल प्रश्न इतना-सा पैदा होता है कि मेरे मित्र ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें और जो कि आज की परिस्थिति है उसमें क्या अन्तर है? मेरे मित्र भी यह चाहते हैं कि अंग्रेजी को अनिवार्य न रखा जाय। यही नहीं बल्कि वह इससे आगे बढ़ते हैं और यदि मैं केवल एक चीज पढ़ दूं तो शायद उससे यह चीज हम स्पष्टरूप से देख सकेंगे कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में हिन्दी अनिवार्य विषय है और हिन्दी के बाद दूसरी वह एक भाषा अनिवार्य है जो कि संविधान के ८ वें परिच्छेद में दी गयी है अथवा कोई एक विदेशी भाषा जैसे---इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, रशन, नेपाली और सिन्धी। मेरे मित्र इस प्रस्ताव के द्वारा इतना चाहते हैं कि यह जो हमने विकल्प लगा रखा है अनिवार्य भाषाओं में जो कि ८वें परिच्छेद में दी हुई है, आधुनिक भाषाओं में से एक अथवा विदेशी भाषाओं में से एक इसको निकाल दिया जाय और इसके स्थान पर केवल आधुनिक भाषाओं में से एक जो ८वें परिच्छेद में दिया हुआ है उसको रखा जाय। मेरे मित्र ने अपने संशोधन के द्वारा इसको स्पष्ट भी किया।

मैं किसी उस व्यक्ति के अनुसार वादविवाद में सम्मिलित होना नहीं चाहता जो केवल रोषपूर्ण बातों से मेरे मित्र का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते थे। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि मेरे मित्र जरा सा विचार करें। एक अत्यन्त तथ्यपूर्ण भाषण यहां हुआ और उसमें यह बतलाने की चेष्टा की गयी कि आज हमको अंग्रेजी की आवश्यकता क्यों है, अंग्रेजी की ही नहीं अपितु विदेशी भाषाओं की? और यदि यह प्रश्न हम अपने सामने रख लें तो मैं आपसे कह सकता हूं कि वह भी अनिवार्य आवश्यक नहीं है, वह केवल एक ऐच्छिक अनिवार्य है और आज ही नहीं, हजार वर्ष पश्चात् भी जब यह देश अपनी स्वतंत्रता का उतने समय तक उपभोग कर चुका होगा तब भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि विदेशी भाषाओं की आवश्यकता पड़ेगी।

आज संसार का कोई विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है, चाहे जर्मनी का हो, चाहे फ्रान्स का हो, चाहे रूस का हो, चाहे चीन का हो, चाहे इंगलैण्ड का हो, चाहे यू० एस० ए० का हो, जिसमें आज विकल्प के रूप में विदेशी भाषाओं का पठनपाठन न होता हो। मेरे मित्र को मालूम नहीं है कि एक विकल्प के रूप में---रूस में हमारी संस्कृत को, संस्कृत को नहीं हिन्दी को भी, हिन्दी ही नहीं साहित्यिक हिन्दी को भी, साहित्यक हिन्दी ही नहीं रीतिकालीन हिन्दी को भी वहां स्थान मिला हुआ है। यही नहीं, जैसा कि शायद मेरे मित्र मुझसे कुछ अधिक जानते होंगे, यू० के० में स्पेशल चेयर्स हमारी भाषाओं के लिये हैं, हमारी भाषाओं के लिये उनके यहां स्थान है और पाठ्य-क्रम की बात तो अलग रही, पुस्तकालयों में हमारी भाषाओं को एक उत्तम स्थान प्राप्त है। कदाचित् मेरे मित्र यह कहना चाहेंगे कि यह कुछ नहीं, वहां तो वे लोग विकल्प रूप में आपकी भाषा को पढ़ते हैं, लेकिन यहां आप चाहे विकल्प रखिये उसका रूप अनिवार्य

रहता है। किन्तु मैं इसको स्वीकार नहीं करता कि अंग्रेजी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है। पाठ्यक्रम में ही नहीं, परीक्षा के आंकड़ों को भी आप देख सकते हैं कि न जाने कितने विद्यार्थी हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में बिना अंग्रेजी के बैठते हैं और बिना अंग्रेजी के परीक्षा पास करते हैं। मेरे मित्र की जानकारी में शायद कुछ गलती हो।

मैं यह निवेदन करना चाहता था कि अंग्रेजी की आवश्यकता हमको क्यों है? कुछ विद्यार्थी हमारे यहां होंगे जो विदेशों में जाना चाहेंगे या विदेशी सर्विसेज में जाना चाहेंगे या डिप्लोमेटिक सर्विसेज में जाना चाहेंगे या जो विदेशों में विदेशी दूतावास हैं उनमें जाना चाहेंगे तो उस समय केवल अंग्रेजी के ही नहीं, अपितु आधुनिक योरोपियन भाषाओं के ज्ञान की भी आवश्यकता होगी। क्या मेरे मित्र अपने विश्वविद्यालयों में और हमारे उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में चाहते हैं कि विद्यार्थी इसके लिए तैयार न किये जायं? आज हमारे यहां की जो अखिल भारतवर्षीय सर्विसेज हैं, जैसे कि आई० ए० एस०, उसमें कुछ पत्र अंग्रेजी में भी आते हैं, तो क्या मेरे मित्र चाहते हैं कि हमारे यहां के विद्यार्थी आई० ए० एस० के परीक्षण में न बैठें? क्या यह सही नहीं है कि कुछ विशेष प्रकार के शिक्षण, जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिसिन का सिस्टम या इस प्रकार के जो हायर स्टडीज हैं उन सबका पाठ्यक्रम अभी हमारे पास हिन्दी में नहीं है? मेरे मित्र हमसे कह सकते हैं कि क्यों हिन्दी में तैयार नहीं किया? तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम उनको आगे कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे यह दूसरी बात है, किन्तु फिर भी बहुत-सी ऐसी स्पेशलाइज्ड स्टडीज होंगी जो कि अंग्रेजी में ही नहीं, किन्तु संसार की अन्य विदेशीय भाषाओं में सदा-सदा बनी रहेंगी। हमारे कुछ विद्यार्थी कुछ विशेष शिक्षा-क्रम के लिए विदेशों में भी जायंगे और विदेशों में जायंगे तो उस समय भी उनको दूसरी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता पड़ेगी और श्रीमन्, यदि किसी देश को आगे बढ़ना है तो आज सुई पकड़ करके घड़ी को पीछे नहीं किया जा सकता। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम यह सोचें कि किन्हीं कारणों से यहां पर अंग्रेज रहे और उनके प्रति एक भावना रही तो एक भाषा जिसको कि इस देश ने लिया है उसको हम एक साथ भुला दें, समाप्त कर दें, मेरे खयाल से यह कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। साथ ही मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि अंग्रेजी एक विषय नहीं है, वह ऐच्छिक विषय है और उससे हिन्दी के पठन-पाठन में किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंच सकती। यह कोई लम्बा विषय नहीं है और मेरे मित्र इन सब बातों को सोचते हुए इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि यह उचित होगा कि वह इस प्रस्ताव को वापस लें।

श्री कैलाशकुमार सिंह--मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता--नहीं, अभी और लोग बोलना चाहते हैं, इस वास्ते मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं।

श्री चन्द्रसिंह रावत--अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत संकल्प जिस रूप में आया है मैं उसका आशय जहां तक समझ पाया हूं शुक्ल जी का, उससे मतलब यह है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तक वर्चुअली इंगलिश लैंगुएज एक तरह से कम्पल्सरी है। उसका कारण यह है कि आप्शनल सबजेक्ट्स अंग्रेजी के साथ दिये गये हैं उनके पढ़ाने की कोई व्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश के स्कूलों में नहीं है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--संस्कृत है।

श्री चन्द्रसिंह रावत--फ्रेंच नहीं है, जर्मन नहीं है और दूसरी-दूसरी भाषाएं जिनका जिक्र माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य ने किया है उनके पढ़ाने की कोई व्यवस्था उत्तर प्रदेश के स्कूलों में नहीं है और चूंकि उस लिस्ट में से दी हुई एक भाषा अनिवार्य है, बिना उसके हाई स्कूल पास करना उसके लिए नामुमकिन है, इस लिए वर्चुअली जो पोजीशन है वह यह है कि केवल एक बुक-क्राफ्ट रह गया है जिसको लेकर बिना अंग्रेजी पढ़े हुए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

किया जा सकता है । इसके अलावा कोई दूसरा आप्शनल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट क्लास में नहीं है । इसके माने यह हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों को मजबूर किया जाता है कि या तो फ्रेंच पढ़ो, जर्मन पढ़ो या बंगला पढ़ो, मराठी पढ़ो, दूसरी भाषाएं पढ़ो जिनके पढ़ाने की व्यवस्था हमारी पाठशालाओं में नहीं है ।

मैं समझता हूं कि हमारे हाई स्कूल में ५० प्रति सैकड़ा से अधिक अंग्रेजी में फेल होते हैं । गजट उठाकर देखिये, आपको सही नक्शा दिखाई पड़ने लगेगा । क्या सरकार किसी विद्यार्थी के इस प्रकार फेल होने पर उसकी फीस को अदा करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है ? वे बच्चे जिनका अंग्रेजी से कोई वास्ता नहीं, जिनको राजदूत बनने से, जिनको भारतवर्ष का प्रधान मंत्री बनने से, जिनको दूसरे दूसरे फारेन कन्ट्रीज की सर्विसेज से, ट्रेड और कामर्स से कोई वास्ता नहीं, एक साल नहीं, साल बसाल अंग्रेजी में फेल होते जाते हैं । मैं कहता हूं कि मुल्क के ऊपर यह असफलता जबर्दस्ती क्यों लादी जाती है ? क्यों उनको और सब्जेक्ट्स में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास करने नहीं दिया जाता ? मैं मानता हूं कि डाक्टर सम्पूर्णानन्द जिस समय उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने अवश्य अंग्रेजी को आप्शनल किया था । उस वक्त विद्यार्थियों को स्वतंत्रता थी कि बिना अंग्रेजी लिये हुये वह हाई स्कूल पास कर सकें । लेकिन यह मेरी समझ में नहीं आया कि सरकार ने अब यह तब्दीली क्यों की । मैं मानता हूं कि अगर अंग्रेजी में फेल हुये विद्यार्थियों को इंटरमीडिएट में और आगे के क्लासेज में जाने दिया जाता है तो ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर आप गजट उठाकर देखें तो ५० प्रतिशत विद्यार्थी प्रदेश में अंग्रेजी के कारण फेल होते हैं । इस प्रकार आपने अपने मुल्क की प्रगति को पीछे हटाया है । आपने जो करीकुलम हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड के लिये बनाया है, उस वक्त आपने यह नहीं सोचा कि क्यों गरीबों के बच्चों पर अंग्रेजी लादना चाहते हैं, फ्रेंच लादना चाहते हैं । वह कलेक्टरेट की नौकरी चाहते हैं, वह स्कूल में प्राइमरी के टीचर होना चाहते हैं, उनको अंग्रेजी और फ्रेन्च से क्या मतलब ? मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि अंग्रेजी नहीं होनी चाहिये । अगर आप व्यवस्था कर सकते हैं तो दुनियां की सारी लैंगुएज को पढ़ाइये, लेकिन उस को आप्शनल बनाइये । माननीय शुक्ल जी का मतलब यह है कि अंग्रेजी वर्चुअली आज एक तरह का कम्पलसरी सब्जेक्ट है और वह इसलिये कि अंग्रेजी पढ़े लिखे उत्तर प्रदेश में बहुत मिल जाते हैं इसलिये हर स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाने की व्यवस्था होती है और विद्यार्थियों को अंग्रेजी लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है ।

दूसरी बात यह कि यहां पर शुक्ल जी ने कहा कि जिसको अंग्रेजी पढ़ना हो वह डिग्री कालेज में पढ़े । मैं समझता हूं कि उनका मतलब यह कदापि नहीं हो सकता कि एक आदमी जो एम० एल० ए० है और १० साल से ज्यादा की जिनकी इस सदन में स्टैंडिंग है वह यह चाहें कि अगर अंग्रेजी पढ़ने का शौक है तो आगे भी पढ़ाइये । वहां भी कम्पलसरी से उनका मतलब नहीं हो सकता । जब अंग्रेजी वर्चुअली कम्पलसरी हो जाती है उसका असर हमारे बच्चों के विकास पर बहुत खराब पड़ता है । मैं आपको इंग्लैंड का १३८४ तक का इतिहास बताना चाहता हूं जब कि अंग्रेज लोग रोमन्स के गुलाम थे । उस जमाने में जैसे कि हमारे मुल्क में बड़े लोग अंग्रेजों की स्त्रियों और लड़कियों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिये ट्यूटर रखते थे ताकि सब बातें अंग्रेजी में सीखें, उसी प्रकार इंग्लैंड म उस जमाने में लैटिन सिखाई जाती थी और एक विदेशी भाषा अंग्रेज कौम पर लदी हुई थी । इस प्रकार दुनियां की कौमों पर जब तक विदेशी भाषायें लदी रहीं तब तक वे गुलाम रहे । लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने लैटिन को तिलांजलि दी, लैटिन भाषा को मुल्क इंगलिस्तान से उखाड़ कर फेंक दिया उसके थोड़े ही दिनों बाद, ४०० वर्षों के अन्दर दुनियां के तीन चौथाई हिस्से पर अंग्रेज छा गये । अंग्रेजी के कारण हमारे बच्चों के मेन्टल डेवलपमेंट में डिफेक्ट आ रहा है । जो बच्चे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं वे मैं कहता हूं कि "इट इन्वाल्व्ज ए कलोसल वेस्ट इन इन्टेलेक्ट, एनर्जी ऐंड मनी" जिस किताब की शिक्षा-दीक्षा को हम चन्द वर्षों में हासिल कर

सकते हैं उसी को अंग्रेजी की किताब के द्वारा १६ साल में हासिल करना मुश्किल है। अधिष्ठाता महोदय, आपने अंग्रेजी पढ़ी है और आप जानते होंगे और मुझे अत्यन्त खेद है कि आज एक भी ग्रेजुएट ऐसा नहीं दिखाई देता है जो १०-१२ लाइन्स अंग्रेजी की करेक्ट लिख सकता हो .....

श्री कैलाशकुमार सिंह---श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने जो शब्द कहे हैं उनसे सदन के सदस्यों का अपमान होता है। इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---आप बैठ जायं। इसमें अपमान की कोई बात नहीं है, वह तो जनरल बात कह रहे हैं।

श्री चन्द्रसिंह रावत---अधिष्ठाता महोदय, मेरा कहना यह है कि दूसरों की भाषा को अपने यहां चलाने से सफलता प्राप्त नहीं हुआ करती है। आप दूसरों की भाषा में इतनी आसानी से नहीं बोल सकते हैं जितनी आसानी से अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं। हमें अत्यन्त खेद है कि हमारी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी में रहा है, उसकी वजह से हम अपनी भाषा में अपने विचारों को रखना भूल जाते हैं और जब बोलते हैं तो दिमाग में अंग्रेजी शब्द ही आ जाते हैं और उसी की तस्वीर उतर आती है। यह हम में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। हमारे बच्चों की कल्पना शक्ति अपनी भाषा के द्वारा ही बढ़ सकती है। कोई भी नेशन हो, कोई भी सल्तनत हो, कोई भी हुकूमत हो और कोई भी कौम हो जिसकी कल्पना शक्ति खत्म हो जाती है तो वह नेशन दुनिया में जिन्दा नहीं रह सकता है। जिस नेशन का विजन आफ फ्यूचर नहीं होता है उसकी प्रगति कुंठित हो जाती है। इसलिये अगर अपने यहां विदेशी भाषा चलाते हैं तो हमारे बच्चों की विचार शक्ति समाप्त हो जाती है। अगर हम अंग्रेजी लिखी हुई किताबों तक ही अपने बच्चों की विचार शक्ति को हमदूद रखना चाहते हैं, जिनको हमारे मास्टर बच्चों के दिमाग में ठूंसते हैं या वह अपने प्रयास से दिमाग में भर लेते हैं या अंग्रेजी के लेक्चरों द्वारा उनके दिमागों में भरा जाता है, उससे अपने देश की प्रगति नहीं हो सकती है और मुझे खेद है कि अपने देश के पढ़े-लिखे लोगों ने अभी तक इस चीज को नहीं देखा है कि इससे राष्ट्र को कितनी हानि पहुंच रही है। मैं अंग्रेजी फ्लूयेंटली बोल सकता हूं लेकिन मुझे खेद है और मैं चाहता हूं कि इसको भुला दूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के बच्चों के लिये इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये कि वह दूसरी चीजें भी पढ़ सकें। आज प्रोसपैक्टस में कोई व्यवस्था नहीं है। आज आप जर्मनी की बात करें और फारेन लैंग्वेज बच्चों को पढ़ायें तो बच्चों की विचार शक्ति कैदखाने में जकड़ जाती है .....

श्री जगन्नाथ लहरी---मैं व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। हाई स्कूल के सिलेबस में अंग्रेजी कम्पलसरी नहीं है लेकिन माननीय सदस्य यह कह रहे हैं....

श्री अधिष्ठाता---यह कोई वैधानिक प्रश्न नहीं है।

श्री चन्द्रसिंह रावत---अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव जो माननीय शुक्ल जी से सदन में प्रस्तुत किया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हो सकता है कि उसमें कुछ भाषा के डिफेक्टस हों और अगर कुछ कमी हो तो उसको दुरुस्त किया जा सकता है। यह संकल्प उपयुक्त है और सदन को इसे स्वीकार करना चाहिये।

अब भाषा के प्रश्न के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय भाषा अपनी भाषा को माना गया है। लेकिन मुझे खेद है कि १५ अगस्त, १९४७ को हिन्दुस्तान को सत्ता हस्तांतरित की गई थी तो हमारी हिन्दी उसी समय आफीशियल लैंग्वेज डिक्लेयर हो जानी चाहिये थी। लेकिन मुझे खेद है कि हमारे यहां के लोगों ने यह गलती की और हमें बहुत सफर करना पड़ रहा है और आगे बड़ी-बड़ी अड़चनें खड़ी होती चली जा रही

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

हैं। हम समझते हैं कि राजा जी ने जो तकरीर की है वह कितनी तथ्यहीन है। आज ७,००० मील की अंग्रेजी भाषा को बहुत से हिन्दुस्तानी मातृभाषा कहने के लिये तैयार हैं। लेकिन मुल्क हिन्दुस्तान की भाषा को अगर कोई भारतवासी पढ़ने के लिये तैयार नहीं तो मैं समझता हूं कि वह मुल्क हिन्दुस्तान के अन्दर रहने के काबिल नहीं। वह कौन है जिसको अपने देश पर अभिमान नहीं? जिसको अपनी भाषा के प्रति प्रेम नहीं, जो अपनी भाषा को बलशाली नहीं बनाना चाहता, जो अपने देश का उत्थान नहीं करना चाहता, वह उस देश के अन्दर रहने के काबिल नहीं है। मैं समझता हूं कि बहुत से भाई सन् १९९० तक की रोक लगाना चाहते हैं कि उसके बाद हिन्दी होनी चाहिए। यह बहुत गलत बातें हैं। यह हमारे देश को गर्त की ओर घसीटती चली जा रही हैं। इसमें अधिक सोचने की बात नहीं है। यह बुद्धि से खाली बातें हैं उन लोगों की जो कि स्वार्थी हैं, जो अपने बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा दीक्षा इसलिए देते हैं, क्यों कि वह यह समझते ह कि मुल्क हिन्दुस्तान के बहुत कम बच्चे अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा में उनका मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि वह अपने बच्चों को आई० ए० एस० की सर्विसेज और दूसरी बड़ी-बड़ी नौकरियों में ले जाना चाहते हैं। ३६ करोड़ की तरक्की पर इस तरह से पाबन्दी लगा देना, यह अपने बच्चों के स्वार्थ के लिए ३६ करोड़ की बलि चढ़ाने से कम नहीं है, यह मुल्क हिन्दुस्तान का खून करने से कम जुर्म नहीं है। मैं समझता हूं कि जो कोई भी इस तरह की दलील देता है कि हिन्दुस्तान की भाषा, हिन्दुस्तान की आफिशिअल लैंगुएज अंग्रेजी हो जानी चाहिए वह केवल आज की ३६ करोड़ जनता के खून का कातिल नहीं, वह आने वाली जितनी भी संतानें हमारे देश में होंगी उनके खून का भी कातिल है। इसलिए मैं यह समझता हूं कि जो आज तथ्य है और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आज वर्चुअल पोजीशन यह है कि एक तरह से अंग्रेजी हमारे स्कूल और कालेजों में कम्पलसरी है।

मैं यह चाहता हूं कि जो वह दूसरी भाषाएं हैं जिनको पढ़ाने की व्यवस्था हमारे प्रान्त में नहीं है, उस लिस्ट में शामिल कर देना और तब हमारे ऊपर रोक लगाना कि उसमें से एक पढ़ना अनिवार्य है तो यह स्वाभाविक है कि चूंकि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग जल्दी मिल जाते हैं इसलिए उनको अंग्रेजी ही पढ़नी पड़ती है। अंग्रेजी पढ़ाइये। पैदा होने से पहले अंग्रेजी की ट्रेनिंग दीजिये लेकिन उनको जो इच्छुक हैं, जो नहीं पढ़ना चाहते, जो देहात के हैं, जिनको अंग्रेजी भाषा से, गैर देश की भाषा से कोई मतलब नहीं, जो केवल अपनी दाल रोटी की सोच सकते हैं, उनके बच्चों को अंग्रेजी में क्यों फेल किया जाता है? इसका मुझे बड़ा दुख है। किताबों पर और दूसरा खर्च उठा कर भी तीन-तीन साल तक वह हाई स्कूल और इंटरमीडियेट नहीं पास कर सकते। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों को कहते हुए मैं शुक्ल जी के संकल्प का उसकी स्पिरिट का समर्थन करता हूं। अगर उसमें भाषा कुछ इधर उधर चली गयी हो तो मैं आशा करता हूं कि आप इजाजत देंगे कि उस प्रस्ताव को इस तरह से अमेंड कर दिया जाय।

श्री नेकराम शर्मा--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सीताराम शुक्ल--माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज बहुत देर से मेरा प्रस्ताव उपस्थित है और पक्ष में तो एक और विपक्ष में अनेक व्याख्यान आज हुए। आप यह जान कर खुश होंगे कि मैं उतना ही विरोधी को भी महत्व देता हूं जितना कि समर्थक को। हो सकता है कि मुझमें गलती हो। प्वाइंट आउट कर दें। मैं अपने को ठीक कर लूं, लेकिन अभी तक जितनी दलीलें दी गयी हैं इस प्रस्ताव क विरोध में व मेरे गले के नीचे नहीं उतरीं। उसके कारण को मैं

अर्ज करना चाहता हूं। यहां पर बड़े जोरदार शब्दों में इसका विरोध किया गया। श्री रामसिंह जी चौहान के पास एक सज्जन गये थे और उनसे कहा कि अपना प्रस्ताव मुझे दे दो, मैं पेश करूंगा। किन्तु उन्होंने उनको नहीं दिया तो यहां पर विरोध कर रहे हैं। अगर दे दिया होता तो इसको यहां पर पेश कर देते और अगर नहीं दिया तो इसका विरोध कर रहे हैं। क्या यही बड़े ऊंचे करेक्टर और चरित्र की बात है? मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे मेरी और उनकी दोस्ती में खलल पड़ेगा। लेकिन मैं मुकाबला करा सकता हूं और मुझे आशा है कि रामसिंह जी चौहान झूठ नहीं बोलेंगे।

एक साहब ने मुझ पर व्यक्तिगत आक्षेप किया। उस पर एक माननीय मेम्बर ने एतराज भी किया और आचार्य जी ने भी एतराज किया। किन्तु 'जे बिनु काज दाहिने वायें' वाले लोग हमेशा रहेंगे इसलिए इन बातों का बुरा नहीं मानना चाहिये। गांधी जी को तो गोली मार दी गई, तब मेरा विरोध किया गया तो क्या आश्चर्य की बात हुई? मेरे भी जबान है और मैं भी जवाब दे सकता हूं लेकिन उस तरह से जवाब नहीं देना चाहता हूं, उनकी उपेक्षा करना ठीक होगा। यहां पर बड़ जोरदार शब्दों में कहा गया है कि कैरीकुलम और पाठ्यक्रम में जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी अवश्य पढ़ावें। उसको पढ़कर देख लिया जाय कि उसमें क्या है। बड़े-बड़े लोग जोरदार शब्दों में कहते हैं कि कैरीकुलम देख लीजिये। मैं कब कहता हूं कि अंग्रेजी अनिवार्य है किन्तु इस सदन ने यह पास किया है कि यहां की कार्यवाही हिन्दी भाषा और नागरी लिपि में होगी। इस सदन ने माननीय मिनिस्टर साहबान को हुकुम दिया है। वह हुकुम यह सदन १० वर्ष पहले दे चुका है। कई बार बातचीत में भी यह कहा गया लेकिन बावजूद आज्ञा देने के भी मिनिस्टर साहबान उसको कब मानते हैं। जब वही सदन की आज्ञा को नहीं मानेंगे तो इनके कर्मचारी इनके हुक्म को कैसे मानेंगे? कैरीकुलम बना हुआ है लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से अर्ज करना चाहता हूं कि आप मेरे साथ कालेज म चलिये, किसी स्कूल में चलिये और वहां पर किसी मास्टर से लिखाकर देखिये। उनसे एक पेज लिखाकर देखिये कि वह कितनी गलती करते हैं। आपके कैरीकुलम में रखने के बावजूद वह गलती करते हैं। आपके हुक्म देने के बाद भी हिन्दी नहीं हुई है। इसीलिये यह प्रस्ताव लाया गया है कि सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया जाय। यह पास करने के लिये नहीं, पास तो वह है ही, उसको दोहराने के लिये नहीं, बल्कि सिर्फ गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करने के लिये यह लाया गया है। आज सत्याग्रह होता। खाना बन्द हुआ, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों के बंगलों के सामने हंगर स्ट्राइक हुई। गोदामों पर धावा बोलने लोग जाते हैं लेकिन जनता नहीं जाती है लेकिन हिन्दी के लिए यदि विरोधी वृन्द सत्याग्रह करेंगे तो उसमें जनता साथ देगी। जनता का सहयोग उस काम में जरूर मिलेगा क्योंकि यह एक जायज बात है। लेकिन अगर सरकार स्वयं इस पर ध्यान दे तो इसका श्रेय कांग्रेस को भी मिलेगा जिसने बहुत दिनों से इस हिन्दी के लिये कोशिश की है। किन्तु विरोधी वृन्द न यदि आन्दोलन किया उसके बाद हिन्दी हुई तो इसका श्रेय उन्हें ही मिलेगा।

एक साहब ने कहा कि श्री राजगोपालाचार्य जी के हाथ मजबूत होते हैं। वे तो पढ़े लिखे आदमी हैं। इस बात को कैसे भूल गये कि राजा जी कब कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की भाषा हिन्दी न हो? वे यह कहते है कि सेन्टर में अंग्रेजी होनी चाहिये। वे प्रदेश के लिये नहीं कहते हैं, वे बंगाल के लिये नहीं कहते हैं और वे किसी सूबे के लिये नहीं कहते है किन्तु सब आदमी जानते हैं कि राजाजी जब मद्रास के मुख्य मन्त्री थे तो उन्होंने अपने सूबे वालों को हिन्दी का विरोध करने पर जेलखाने में बन्द कर दिया था। आज वही राजाजी हिन्दी का विरोध करते हैं, उसके कई कारण हैं। बहुत सी बातें हैं,क हना भी ठीक नहीं है। हमें उनकी कोई शिकायत नहीं है। फिर भी दबी जबान से हिचकिचाते हुए कहता हूं कि सारी गलती उन्हीं की नहीं है। उनको इग्नोर किया गया, उनकी उपेक्षा की गई। जिनको वे पढ़ा सकते हैं वे आज ऊंची ऊंची कुर्सियों पर हैं और इतना बड़ा

[श्री सीताराम शुक्ल]

आदमी, जिसकी दुनिया मान करती हैं उसकी उपेक्षा की गयी, उसी असंतोष का फल है कि चिढ़कर आज वे हिन्दी का विरोध और अंग्रेजी का समर्थन कर रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अपमान बहुत बुरी चीज होती है। जिस बुजुर्ग का अपमान होता है वह उससे दुखी हो कर बड़ी से बड़ी गलती कर बैठता है। हां, दूसरे सूबे के शौकीन लोग भी हिन्दी का विरोध करते हैं वह इसलिये कि जब उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी का बोलबाला था तो वे यहां आकर नौकरी करते थे। बंगाली बाबू हिन्दी नहीं जानते, लेकिन यहां आकर डी० एम० होते थे। मद्रासी साहब बहादुर हैं, उत्तर प्रदेश में बड़ी से बड़ी नौकरी करते थे। वे जरूर चाहते हैं कि अंग्रेजी रहे ताकि आसानी से नौकरी कर सकें। चिड़िया को बर्ड वे ज्यादा अच्छी तरह से कह सकते हैं, आप नहीं। इसलिये अगर आप चाहते हैं कि बाहर के लोग आयें और आप के शासक बनें तो जरूर आप उत्तर प्रदेश की भाषा अंग्रेजी रखिये, लेकिन राजा जी की शिकायत मत कीजिये। उन्होंने कभी नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश की जबान हिन्दी न हो।

बड़ी तारीफ की गयी अंग्रेजी की। मैंने कब कहा कि अंग्रेजी न पढ़ायी जाय। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूं कि वह बड़ी मीठी जबान है, अवश्य पढ़नी चाहिये। लेकिन मेरी प्रार्थना सिर्फ यह है कि दो नावों पर मत चढ़िये। अगर लड़का बुद्धिमान है, तेज है, तो भी दोनों भाषाओं को पढ़ सकता है। हुजूरवाला, कौन कहता है कि हमारे मुल्क में दो जबाने या कई जबाने जानने वाले लोग नहीं हैं। श्री राहुल सांस्कृत्यायन. ३० जबानें जानते हैं। शास्त्रकारों ने तो यहां तक कहा है कि "यावज्जीवमधी तेवि प्रः" उसी का नतीजा है कि लोगों ने जेलखाने जाने के बाद अंग्रेजी पढ़नी शुरू की और पंडित हो गये। जेलखाने में पहुंच कर महात्मा गान्धी जी ने उर्दू पढ़ना शुरू की, महामना पंडित मदनमोहन मालवीय ने जेलखाने में ६० बरस की उम्र के ऊपर होने पर भी फ्रेंच पढ़ना शुरू की। तो जब ७०–८० साल की उम्र में लोग नयी नयी भाषा पढ़ सकते हैं तो १८ वर्ष के बाद भी शुरू कर के सीख सकते हैं। किसी ने कहा कि डिग्री क्लास में पहुंचकर ए०, बी, सी, डी पढ़ायी जायगी। इसके उत्तर में मैं कहना चाहता हूं कि ---जरूर। शुरू में एक भाषा का ज्ञान हो जाय, उस के बाद वे जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे लिये यह जरूरी नहीं कि हम विदेशी भाषा के माहिर ही हो जायं। हम अंग्रेजी समझ लें और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ कर उसका भाव जान लें, इतना काफी है। किन्तु अगर लड़का तेज होगा तो जल्दी ही पढ़ने, बोलने और लिखने भी लगेगा। हमको एम्बसेडर चाहिये। हजारों साल के बाद भी हम पढ़ते रहेंगे। हम दूसरों से सीखेंगे। और दूसरे हम से भी सीखेंगे। हुजूरवाला मैं बतलाना चाहता हूं कि (यावज्जी वमधीते विप्र) हम जब तक जिन्दा है तब तक हमको पढ़ना चाहिये। तो मेरी प्रार्थना यह है कि उसके बाद भी पढ़ सकतें हैं। या कोई और रास्ता निकाला जाय। अगर इस संकल्प के न पास करने से लोग पढ़ने लगें तो भी मुझे खुशी होगी। मेरा मतलब यह है कि हिन्दी का स्तर ऊंचा हो, लोग पढ़ने लगें। बड़े जोरदार शब्दों में कहा गया कि कहने का ढंग अच्छा होना चाहिये। हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है कि :

सत्यं ब्रूयात प्रियं ब्रूयात, न ब्रूयात् सत्यमप्रियम्।
प्रियंच नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः।।

सत्य बोलो, किन्तु प्रिय बोलो। वह सत्य मत बोलो जो कि अप्रिय हो। साथ ही वह प्रिय भी मत बोलो जो असत्य है। यही हमारा सनातन धर्म है। इसलिए निवेदन करता हूं कि गोल-मोल बात कहने से काम नहीं चलेगा। जरा आप ही बतला दें कि किस प्रकार कहा जाय कि यहां का काम हिन्दी में किया जाय जो कि दूसरों को बुरा न मालूम हो। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा लहजा है उसको कहने का। क्या माननीय कमलापति जी का ढंग ठीक

नहीं है ? क्या पंडित पंतजी का ढंग ठीक नहीं है ? क्या टंडन जी का ढंग अच्छा नहीं है ? एक उर्दू के शायर ने ठीक ही कहा है कि "नया बिसमिल हूं मैं तर्जे शहादत से नहीं वाकिफ, तू ही बतला दे ऐ कातिल तड़पने की अदा क्या है ?

आप मुझे बताइये कि कौन से शब्दों में मैं अपनी बात को कहूं कि हिन्दी होनी चाहिये ।

मैंने इस प्रस्ताव में एक जगह पर अंग्रेजी के लिए ऐच्छिक शब्द रखा है, इसीलिये आखिर में ऐच्छिक नहीं रखा । यह एक टेकनीकल गलती हो सकती है ।

श्री अधिष्ठाता--यह बिलकुल ठीक है । आप कहिये ।

श्री सीताराम शुक्ल--इसके मेरे कहने का मतलब यही है कि अंग्रेजी भी ऐच्छिक रखी जाय । जो लड़के पढ़ना चाहता हों, वे पढ़ें । अगर माननीय मंत्री जी की इच्छा नहीं है तो मैं तो वालेंटियर हूं, मैं इस प्रस्ताव को वापिस ले लूंगा ।

श्री अधिष्ठाता--इधर से माननीय लक्ष्मीरमण जी ने कहा था कि अधिकांश सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं । ऐसी सूरत में अगर आप उचित समझें तो आप उसको वापस ले लें या उस पर वोट ली जाय ?

श्री सीताराम शुक्ल--हुजूर वाला, मंत्री जी यहां मौजूद हैं, मैं उनकी राय से भी फायदा उठाना चाहता हूं । अगर वे चाहेंगे तो मैं कह ही चुका हूं कि इसको वापिस ले लूंगा ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने शुक्ल जी से मेरी अस्वस्थता के बारे में संकेत कर दिया । मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव पर बहुत अधिक बोलने की आवश्यकता ही नहीं है । शुक्ल जी भाषण करने की कला में पारंगत हैं । यह हम लोगों का दुर्भाग्य है कि सदन में उनकी इस कला को देखने का और उनकी वाणी को सुनने का अवसर हमें कम मिलता है और वे चेष्टा करके एक अवसर इसका ढूंढ़ ही लेते हैं और इस बार उन्होंने इस प्रस्ताव को पकड़ ही लिया ।

मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव में शुक्ल जी ने कई चीजों को मिला दिया है । हिन्दी और राष्ट्र भाषा, हिन्दी और प्रादेशिक भाषा, सरकारी कर्मचारियों द्वारा हिन्दी का प्रयोग न होना, हिन्दी, माध्यमिक स्तर पर चढ़ाई जाय, और यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी पढ़ाई जाय तथा नीचे अंग्रेजी न पढ़ाई जाय, शिक्षा का माध्यम किस भाषा में हो, इन बहुत से प्रश्नों को उन्होंने मिला दिया है । वास्तव में उनका प्रस्ताव सम्बंध रखता है केवल इस प्रश्न से कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर से अंग्रेजी को निकाल दिया जाय और माध्यमिक से ऊपर अंग्रेजी अनिवार्य कर दी जाय । उनके प्रस्ताव का यही रूप है । दर्जा १२ तक तो अंग्रेजी न रहे, फिर १२ से १६ तक अंग्रेजी अनिवार्य कर दी जाय । कदाचित् आपका तात्पर्य यह है कि थर्ड ईयर से ए, बी, सी, डी, की पढ़ाई प्रारंभ की जाय । मैंने जब इस प्रश्न को उठाया था तो यही स्पष्टीकरण आपने दिया था । मान्यवर, मैं समझता हूं कि यही कारण है कि अधिकांश सदस्यों ने इसका विरोध किया है । मैं उन लोगों में हूं जिन्हें हिन्दी से बड़ा प्रेम है । मैं एक बहुत छोटा सा हिन्दी का सेवक हूं और बहुत नम्रता के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने और इस प्रदेश की भाषा बनाने और हिन्दी का अधिकाधिक प्रचार करने और हिन्दी को शिक्षा का माध्यम करने, इन सब का जो प्रयास हुआ है, उसमें थोड़ा बहुत अपनी शक्ति भर और बुद्धि भर हाथ लगाने का मुझे भी अवसर प्राप्त होता रहा है और इस बात से बड़ा सन्तोष भी होता है कि हमारे संविधान ने अंततः हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लिया ।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

अब हिन्दी के प्रश्न को राजा जी से मिलाना, हिन्दी और अंग्रेजी को कोई मुकाबले में खड़ा करना, इस तरह का कोई सवाल हमारे सामने नहीं है । हिन्दी हमारी राष्ट्र-भाषा है, हमारी प्रादेशिक भाषा है, हमारी मातृभाषा है, और हमारी राज्य भाषा है और उसके मुकाबले में न तो अंग्रेजी खड़ी हो सकती है, न दुनिया की कोई दूसरी भाषा खड़ी हो सकती है । चाहे हमारे देश की भिन्न-भिन्न प्रदेश की भाषायें हों, चाहे विदेशी कोई भाषा हो, हिन्दी के मुकाबले में, हिन्दी की प्रतिद्वन्दिता में, हिन्दी की प्रतिस्पर्धा में उसके आने का कोई सवाल ही नहीं है । हिन्दी तो हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, हमारे प्रदेश की प्रादेशिक भाषा है, हमारी मातृभाषा है और हमारी राज्य भाषा है । उसका मुकाबला करने के लिये कोई भाषा खड़ी नहीं है । अंग्रेजी से जब उसका मुकाबला किया जाता है तो मैं समझता हूं कि एक बड़े ही संकुचित दृष्टिकोण को ग्रहण किया जाता है । अक्सर यह प्रस्ताव आता है और मैं समझता हूं कि जिन लोगों को हिन्दी से प्रेम है और जो चाहते हैं कि हिन्दी का प्रचार हो, वे एक बात की अवश्य सावधानी रखें कि हमारी इस बात से कहीं लोग यह न समझें और यह न सोचें जिसका अर्थ यह निकले कि कोई दूसरा भाषा है जो हिन्दी के मुकाबले में, उसकी प्रतिद्वन्दिता में हमारे देश में खड़ी है । कोई भाषा ऐसी नहीं है जो प्रतिद्वन्दिता रखे, क्योंकि इस ढंग से यदि हम भाषा को देखते हैं तो फिर भाषा सम्बन्धी झगड़े शुरू हो जायंगे । हमेशा भाषा सम्बन्धी झगड़े देश के लिये बुरे होते हैं । हमने अभी साल, छः महीने के अन्दर ऐसे झगड़े देखे । हिन्दी को सर्वोपरि स्थान राष्ट्रभाषा का दे दिया गया है । यदि हम विशेष कर अपने मन में सोचें कि इसके मुकाबले में कोई दूसरी भाषा खड़ी हो जाती है तो उसका नतीजा यह होगा कि अनायास, अकारण, अनुचित ढंग से हिन्दी किसी के मुकाबले में आ जायगी, फिर भाषा सम्बन्धी झगड़े शुरू हो जायंगे । तो इस दृष्टिकोण से हमें अपने को बचाना है क्योंकि यह वास्तविकता नहीं है ।

जहां तक सवाल हमारे यहां की शिक्षा का है, मैं समझता हूं कि शुक्ल जी के प्रस्ताव से कहीं अधिक अच्छी व्यवस्था, अत्यन्त अच्छी व्यवस्था आज हमारे प्रदेश में चल रही है । हमारे यहां हिन्दी सब क्लास में अनिवार्य रखी गयी है । अंग्रेजी कहीं भी अनिवार्य नहीं है । दर्जा १ से लेकर दर्जा ५ तक अंग्रेजी किसी शक्ल में नहीं है, प्राइमरी स्तर पर अंग्रेजी का कहीं स्पर्श नहीं है । न तो वैकल्पिक रूप में है और न अनिवार्य रूप में है । दर्जा १ से लेकर दर्जा ५ तक यानी ११ वर्ष तक के लड़कों का उससे कोई सम्पर्क नहीं है । दर्जा ६ से अंग्रेजी का कुछ प्रवेश होता है और वह भी इस तरह से होता है । हमारे कैरिकुलम में दर्जा ६ से लेकर दर्जा १२ तक इस रूप में हिन्दी अनिवार्य है । और दर्जा ६ से लेकर १२ तक एक भाषा और बच्चे को पढ़नी चाहिये । यह शिक्षा का एक बड़ा प्रौढ़ सिद्धान्त है कि हमारे बच्चे का ज्ञान विशेष नहीं हो सकता यदि उसका ज्ञान केवल एक भाषा में परिमित रहे, २ भाषायें हों, अधिक हो सके तो और अच्छा है । लेकिन कम से कम २ भाषायें अवश्य होनी चाहिये । अब हमको यह सोचना है कि यह जो हिन्दी दर्जा ६ से १२ तक के लिये अनिवार्य है तो एक दूसरी भाषा बच्चे के लिये और सीखना भी अनिवार्य रखा गया है । वह भाषा क्या हो ?

हमारे देश की समस्त प्रादेशिक भाषा जिसमें यह तमाम भाषायें हैं, जिनको पढ़कर के आपको कई बार सुनाया गया, असामी है, मराठी है, गुजराती है, तामिल है, तेलगू है, मलयालम है, पंजाबी है, बंगाली है, उर्दू है, संस्कृत है, ये तमाम जो १३, १४ भाषायें हैं जो शिड्यूल ८ में दी हैं, इनमें से कोई एक भाषा ले । इन प्रादेशिक भाषाओं में से एक भाषा ले ले कोई भी अथवा उसके साथ-साथ अंग्रेजी है, फ्रेंच है, जर्मन है, नेपाली है, इनमें से कोई एक भाषा ले लें । इतना बड़ा भाषा का समुच्चय है अपने देश की विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का, कुछ वर्त्तमान विदेशी भाषायें हैं उनके समुच्चय में से कोई एक भाषा और वे ले लें । संस्कृत पढ़ लें । उर्दू पढ़ लें, बंगला पढ़ लें, इंग्लिश पढ़ लें, फ्रेंच पढ़ लें, जर्मन पढ़ लें, आसामी पढ़ें, मलायालम पढ़ लें । एक हिन्दी अनिवार्य

और दूसरी अनिवार्यता यह है कि इन समस्त भाषाओं में से किसी एक भाषा को लें लें । बस यह है करीक्यूलम हमारा दर्जा ६ से लेकर १२ तक । इसमें अंग्रेजी कहीं अनिवार्य नहीं है ।

आज दर्जा १ से लेकर एम० ए० तक लड़का पढ़ सकता है, अगर वह चाहे तो अंग्रेजी को छुए भी नहीं । अंग्रेजी को स्पर्श करने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है । हिन्दी में वह एम० ए० तक पढ़ सकता है । और चाहे अंग्रेजी पढ़ ले, चाहे संस्कृत पढ़ लें, चाहे उर्दू पढ़ ले, कोई एक भाषा और पढ़ ले । अब आप चाहते यह हैं कि डिग्री कालेजेज में अंग्रेजी अनिवार्य कर दी जाय । अव्यवहारिकता देखिये इस प्रस्ताव की । शुरू से लेकर १२ तक अंग्रेजी बिलकुल न पढ़ाइये और डिग्री कालेजों में जाकर अंग्रेजी पढ़ाइ जाय । हमने स्पीकर महोदय से व्यवस्था मांगी । उन्होंने अपनी व्यवस्था देते हुये स्पष्टीकरण में कहा कि हां, यही अर्थ उसका है । एक तो यह अव्यावहारिक बात है । (व्यवधान) मैं तो यह समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय से ही पूछने का मुझे अधिकार था । उन्हीं से मैंने पूछा । जब उन्होंने स्पष्टीकरण किया, प्रस्तावक महोदय यहां बैठे थे । उन्होंने उस समय तो उसका कोई विरोध किया नहीं । अब यदि अनिवार्य न भी बनायें डिग्री कालेजेज में फिर भी अगर यह समझते हों कि वहां अंग्रेजी पढ़ाई जाय या एक विकल्प के रूप में ही डिग्री कालेजेज में इसे रखा जाय तो अगर शुरू से ही कोई नहीं पढ़ेगा तो विकल्प लेगा कहां से ? हमने अंग्रेजी को अनिवार्य रखा नहीं है । कोई चाहे ले सकता है, पढ़ सकता है । करीक्यूलम में जो है वह यह है कि कोई बैन नहीं है, हमने कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा दिया है कि अंग्रेजी कोई हमारे प्रदेश में पढ़ ही नहीं सकता है । जो है वह केवल इतना है कि इतनी भाषाओं में से कोई एक भाषा पढ़ सकता है । अगर कोई अंग्रेजी पढ़ना चाहता है तो पढ़े, क्योंकि अंग्रेजी से को ई हमें द्वेष तो है नहीं । अंग्रेजी दुनियां की अत्यन्त प्रौढ़, सम्पन्न, श्रेष्ठ और अत्यन्त विचारगर्भ, ज्ञानगर्भ भाषाओं में से एक भाषा है । सारे संसार में उसका समादर है । अंग्रेजी में आज दुनिया का साहित्य भरा पड़ा है । हिन्दी राष्ट्रभाषा है । हिन्दी का सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है हिन्दी का मैं अभिमानी हूं । हिन्दी को अपने देश की संस्कृति और परम्परा की अनुगामिनी समझता हूं । समझता हूं कि वह वह प्रवाह है, वह धारा है जो कि इस देश की अत्यन्त आरम्भिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक युग का प्रतिबिम्ब है या यों कहें कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतिबिम्ब हिन्दी में पड़ा हुआ है । उसका श्रंखलाबद्ध इतिहास है । मैं उस हिन्दी का भक्त हूं । पर आज कौन इसे स्वीकार करेगा कि हिन्दी सारे संसार के ज्ञान और विज्ञान को अपने उदर में छिपाये हुये हैं ? हम हिन्दी वालों के लिये इसके लिये कभी कभी शोक होता है, लज्जा होती है कि इस देश की इतनी प्रौढ़, प्रांजल और इतने बड़े राष्ट्र की इतनी बड़ी राष्ट्रभाषा होते हुए भी संसार का ज्ञान आज उसमें नहीं है । उसका विकास हमें करना है । हमारी पराधीनता उसके कारण रही है । उसका विकास होने में समय लगेगा । सारी दुनिया का इतिहास, सारी दुनिया का साहित्य, समस्त संसार का वांगमय, प्राचीन और अर्वाचीन और जो नये विचार के क्षेत्र आज मानव समाज के सम्मुख प्रतिष्ठित हो रहे हैं उन तमाम क्षेत्रों की छाया, वह सब हमारी राष्ट्रभाषा में आनी है । पर आज तो नहीं है । उसके लिये प्रयास हो रहा है । उस संसार का ज्ञान अंग्रेजी में प्राप्त हो जाता है । किसी देश की भाषा हो, उसके क्लासिक्स कहें उसका जो माडर्न लिट्रेचर है वह कहें, विज्ञान का इतना बड़ा लिट्रेचर है वह कहें, सब अंग्रेजी में अनूदित हैं । बड़ी से बड़ी पुस्तक कहीं संसार में किसी भी भाषा में निकलती है थोड़े ही दिनों हें उसका अनवाद आप पायेंगे । संसार की सभी भाषाओं को हर आदमी नहीं जानता, होंगे कुछ लोग जिनको २६, २६ भाषाओं का ज्ञान हो, मैं रशियन, जर्मन नहीं जानता हूं पर अगर अंग्रेजी जानते हों तो हमारे लिय सुविधा है कि सारे संसार की जो चिंतन धारा है उसका दर्शन अंग्रेजी साहित्य में कर सकते हैं । हमारे देश की राष्ट्रभाषा को उसी प्रकार समुन्नत होना है और जब समुन्नत हो जाय तब भी अंग्रेजी हमारे यहां के बच्चे न पढ़ें, उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय, यह अनुचित होगा । किसी भाषा को जो कोई चाहे पढ़ सकता है, अंग्रेजी तो अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है । फ्रेंच बोली जाती है अन्तर्राष्ट्रीय सभा मंचों से और अंग्रेजी बोली जाती है । हम एक ऐसी किसी भाषा से अपने देश का सम्पर्क रखें । आज किसी के लिये अंग्रेजी अनिवार्य नहीं है ।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

एक बात और कहना चाहता हूं अत्यन्त संकुचित दृष्टि से, आज भारत सरकार, हम और आप सब जानते हैं कि अंग्रेजी को बहिर्गत करने के लिये तैयार नहीं है। अन्य प्रदेशों की प्रादेशिक भाषायें जहां हैं, हिन्दी को राष्ट्रभाषा उन्होंने बड़ी आदरपूर्वक स्वीकार किया है, पर साथ-साथ वे यह भी समझते हैं कि राष्ट्रभाषा को आत्मसात् करने के लिये हमको समय चाहिये। तब तक अंग्रेजी जीवित रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रस्ताव और जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उससे यह अन्दाज लगता है कि अभी कुछ दिनों तक अंग्रेजी चलने वाली है। हम चाहते हैं कि अंग्रेजी हमारे रोज के जीवन से निकल जाय, केवल पठन पाठन के लिये रहे। विभिन्न प्रदेशों की प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से वहां की शिक्षा हो, माध्यमिक और आरम्भिक और राज-काज उन विभिन्न प्रदेशों की प्रादेशिक भाषाओं के द्वारा चले, यह भी हम चाहते हैं। पर आज वह स्थिति नहीं है। आल इंडिया सर्विसेज में अंग्रेजी का अपना एक स्थान है, मान्यवर, समस्त विज्ञान की उन्नति, टेक्नालाजी की उन्नति और मैं कहूं आधुनिक विश्व के विचारों की जानकारी और उसके चिंतन का कुछ ज्ञान, यह सब तो उसके द्वारा है ही। साथ ही साथ यह देखें कि आल इंडिया सर्विसेज में अंग्रेजी का स्थान है और रहेगा। हम अपने यहां अंग्रेजी को हटा चुके हैं। आज भी उसका यह परिणाम होता है कि हमारे यहां के जो विद्यार्थी, नवयुवक अखिल भारतीय प्रतिद्वन्दिताओं में बैठते हैं वहां हम कमजोर पड़ते हैं। यह मानी हुई बात है यदि आज एकदम से उसे हटा दें, किसी का सम्बन्ध न रहे, वैसे ही अंग्रेजी का ज्ञान हमारे प्रदेश में १ प्रतिशत भी नहीं है, ९९ फीसदी आदमी अंग्रेजी नहीं जानते हैं, पर १ फीसदी जो जानते हैं, उन्हें भी अगर आप उससे अलग कर दें तो फिर अखिल भारतीय सर्विसेज जो हैं उनमें, विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नालाजी के क्षेत्र में, जिसका कि आज विकास करना है, उनमें हमारा प्रदेश पीछे पड़ जाय। तो इन तमाम परिस्थितियों से अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में कैरीक्यूलम में स्थान दे देना, जैसे बहुत सी भाषाओं को हमने स्थान दिया है, इससे आपकी हिन्दी का कोई सर्वनाश नहीं होता है। बल्कि उसके ज्ञान की वृद्धि करेगा। कोई कारण नहीं कि समस्त अंग्रेजी लिट्रेचर, हर क्षेत्र का, हिन्दी में न आ जाय। एम० ए० और बी० ए० में पढ़ने के लिये अंग्रेजी में जो पुस्तकें हैं, समस्त वैज्ञानिक और यांत्रिक और विज्ञान के जो अनेक अंग हैं, उन सब के विषयों को पढ़ने के लिये हिन्दी में आज पुस्तकें हैं क्या? पढ़ कैसे सकेगा। उसको ले आना है और इसके लिये महान तपस्या और महती साधना करनी पड़ेगी, तब पठन-पाठन हो सकेगा इस योग्य कि उच्चतर और उच्चतम शिक्षा दे सकें और अनुशीलन व अनुसन्धान के सिलसिले में हम ऐसे नवयुवक प्राप्त कर सकें। इसके लिये बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी और बड़ी साधना करनी पड़ेगी, हिन्दी के भक्तों को जुटना पड़ेगा ताकि भंडार बढ़े। बड़ी तेजी से इस ओर प्रयास हो रहा है लेकिन आज जो अभाव है उस अभाव को भी समझना चाहिये, नहीं तो दसियों वर्ष पीछे हट जाइये। कोई विद्यार्थी अगर अंग्रेजी नहीं जानता है तो वह विज्ञान की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता। चिकित्सा विज्ञान, भौतिक विज्ञान, प्राणि विज्ञान इत्यादि, कहां हैं इन चीजों में। हमारे यहां उतनी गति हिन्दी को मिली नहीं।

इन चीजों को देखते हुये यह आवश्यक है कि अंग्रेजी से हमारा सम्पर्क बना रहे और अंग्रेजी का ज्ञान लोग प्राप्त करें, इस विचार से कि उसके माध्यम से हिन्दी का भंडार भरा जा सके, उसके माध्यम से उस ज्ञान, विज्ञान को हम प्राप्त कर सकें जो हमारे दुर्भाग्य से और हमारी परतंत्रता के फलस्वरूप हिन्दी में हमको उपलब्ध नहीं है। विदेशी भाषा के समूह में चाहे जर्मनी पढ़ लीजिये, चाहे फ्रेंच पढ़ लीजिये और चाहे आप अंग्रेजी पढ़ लीजिये।

क्यों अंग्रेजी की तरफ आकर्षण होता है, कोई दूसरी भाषा विद्यार्थी नहीं लेते उसका एक मात्र कारण यह है कि आज जो सरकारी सेवायें हैं उनमें आज अंग्रेजी को भी स्थान प्राप्त है और अखिल भारतीय स्तर पर जो परीक्षायें होती है उनमें अगर अंग्रेजी का ज्ञान किसी को नहीं है तो फिर वह प्रतिद्वन्दिता में पीछे पड़ जायगा। धीरे-धीरे आपकी भाषा इतनी प्रौढ़ होनी चाहिये, इतना उसका विकास होना चाहिये कि समस्त प्रदेशों में लोग उसे आत्मसात् कर सकें और वह स्थान

उसको प्राप्त हो जाय जो स्थान कि उसको मिलना चाहिये । उस समय भी इन भाषाओं को आप पढ़ेंगे । तो जब आप विदेशी भाषाओं को रखेंगे और विद्यार्थी कोई एक विदेशी भाषा ले सकता है तो उसमें अंग्रेजी का स्थान भी रहेगा उस जमाने में जो स्थान कि आज उसको इस करीकुलम में है । फिर उसका विरोध, मैं तो समझता हूं, न तो प्रदेश के ही हित में है, न हिन्दी के हित में है, यह मैं हिन्दी के सेवक के नाते कह रहा हूं ।

ऐसी स्थिति में इस प्रस्ताव का लाना मेरी दृष्टि में कुछ ऐसा लगता है कि कुछ अनुचित सा होगा । जो प्रस्ताव लाया गया है उससे कहीं अच्छी व्यवस्था तो चल ही रही है और इस प्रस्ताव से कोई नई व्यवस्था न लाकर, जो प्रचलित व्यवस्था है और जो अधिक प्रगतिशील है, उसे पीछे ले जाने वाला यह साबित होगा । यह बात व्यावहारिक दृष्टि से मन में बैठती नहीं कि डिग्री कालेजेज में हम अंग्रेजी पढ़ायें । मैं अपने मित्र भाई सीताराम जी से यह कहूंगा कि वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लें । उनका जो लक्ष्य है कि हिन्दी माध्यम हो शिक्षा के पाठ्य क्रम में इसमें कोई दो रायें है नहीं । वह माध्यम है और दिन प्रतिदिन वह विशेष रूप से स्थान ग्रहण करती चली जायगी सरकारी दफ्तरों में और राज-काज में, आज नहीं तो कल सरकारों को बाध्य होना पड़ेगा कि अपनी प्रादेशिक भाषाओं में राज-काज चलायें ।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करूं कि हमारे प्रदेश में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या .१ परसेंट है । कोई लोकतंत्र जो कि प्रदेश में अपना शासन करना चाहता है और जिसका सम्बन्ध सुदूर देहातों में पड़ी हुई जनता के साथ होगा उसे अपने प्रदेश की भाषा में राज काज चलाने के लिये बाध्य होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल बाध्य होना पड़ेगा । आपका प्रदेश इस दिशा में बहुत अग्रसर है । हिन्दी के यहां ऐसे भक्त हैं जिन्होंने हिन्दी की लड़ाई उसे राष्ट्रभाषा बनाने के लिये संविधान सम्मेलन में और विधान सम्मेलनों में लड़ी है । तो यहां हिन्दी का प्रसार और प्रचार अधिकाधिक बढ़ता चलेगा, बढ़ता जा रहा है और उसका एक सहज स्वाभाविक प्रवाह जो चल रहा है उसे चलना चाहिये, गतिशील बनाना चाहिये । किसी एक मुकाबले को उत्पन्न करके उसको कुंठित न करना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं शुक्ल जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को वापस ले लें । मुझे आशा है कि वह वापस ले लेंगे ।

श्री सीताराम शुक्ल---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं तो पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि मैं वालंटियर हूं और हुक्म मानता हूं । इसलिये वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया ।)

कोआपरेटिव सोसाइटियों तथा सरकारी एजेंसियों द्वारा किसानों से गल्ला खरीदने के संबंध में संकल्प

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी इजाजत से यह संकल्प पेश करता हूं कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि जब तक उत्तर प्रदेश खाद्यान्न के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर न हो जाय तब तक के लिये सरकार किसानों से गल्ला कोआपरेटिव सोसाइटीज तथा सरकार एजेंसीज द्वारा खरीदने की व्यवस्था करे ।

श्री अधिष्ठाता---क्या आपका मतलब है कि डायरेक्टली काश्तकारों से न खरीदें ?

श्री शिवराजसिंह यादव---मैं अभी निवेदन कर रहा हूं ।

इस संकल्प का आशय यह है कि इस अन्नाभावकालीन समय में खाद्यान्न के सम्बन्ध में जो सरकार की *laissez faire* पालिसी है उसको एक मुश्त बदल दिया जाय । आज खाद्यान्न के थोक व्यापारियों को मन चाहे दामों पर हार्वेस्ट के जमाने से सारे साल के अन्दर गल्ला खरीदने की जो पूरी छूट रहती है उसको एक मुश्त खत्म कर दिया जाय और उसके बजाय किसानों के खेतों की पैदावार सुनिश्चित दामों पर न्यूनतम, जिसका एलान खेतों में फस्ल बोने से पहले

[श्री शिवराजसिंह यादव]

ही कर दिया जाय, उससे भी यदि सम्भव हो तो कुछ ऊपर कोआपरेटिव सोसाइटीज द्वारा तथा सरकारी एजेंसीज द्वारा खरीद की जाय । निश्चय ही इस संकल्प को कार्यान्वित करने से जो आज के गल्ले के थोक व्यापारी हैं उनका व्यवसाय उनसे छिन जायगा । इससे यह भ्रम पैदा हो सकता है कि यह संकल्प संविधान के आर्टिकिल १९, सब-आर्टिकिल १ (जी) जिसके तहत में हर नागरिक को व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, उसका उल्लंघन करता है । इस भ्रम को दूर करने के लिये, श्रीमन्, मैं केवल आर्टिकिल १९ के सब-आर्टिकिल ६ (२) की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है कि यदि जनहित में होवे तो सरकार कोई भी व्यवसाय अपने हाथ में या किसी कारपोरेशन के हाथ में ले सकती है, चाहे भले ही उससे कुछ लोग या सारे लोग जो पहले से व्यवसाय को करते हों व्यवसायहीन हो जायं ।

श्रीमन्, अब मेरा फर्ज यह हो जाता है कि यह साबित किया जाय कि यह संकल्प जनहित में है और आज के जो हालात हैं, जो आबोहवा है उसके लिहाज से इसको कार्यान्वित करना आवश्यकीय है । यह आम फहम बात है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विशेष जोर औद्योगीकरण पर दिया गया है और खास तौर से हैवी इंडस्ट्रीज पर, लेकिन अभी हाल में प्लानिंग कमीशन ने तथा देश के जो बड़े अर्थ शास्त्र के पण्डित हैं उन्होंने इस बात को एक राय से स्वीकार कर लिया है कि उद्योग के क्षेत्र में तरक्की करना और जो तरक्की कर भी लें उसको कायम रखना तभी सम्भव है जब कि खेतों की पैदावार हमारी इतनी बढ़ जाय कि दूसरे देशों की ओर हमें गल्ले के दायरे में देखना न पड़े और जब इतना गल्ला पैदा हो जाय तो देश के अन्दर ऐसी वितरण की व्यवस्था कायम कर सकें कि हम स्वावलम्बन की सांस लें सकें । ऐसी अवस्था में मेरा विश्वास है कि आज जो योजनायें अन्न उपार्जन के लिये चालू हैं उनको अधिक तेजी से चलाने के लिये, उनको सही तरीके से चलाने के लिये तथा उनके अतिरिक्त कुछ और योजनाओं को अन्न के संबंध में प्रदेश को आत्मनिर्भर करने के लिये जो योजनायें चलानी है उसके लिये मेरा ऐसा विश्वास है कि यह अत्यावश्यक है कि आज जो गल्ले के थोक व्यापारियों को पूरी छूट दी हुई है यह समाप्त करके जो व्यवस्था इस संकल्प में कही गयी है वह कायम की जाय ।

श्रीमन्, यह हम सब जानते हैं कि खेतों की पैदावार बढ़ाने के लिये अच्छे बीज, खाद और पानी की जरूरत होती है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसकी पूरी व्यवस्था की गयी है । लेकिन क्या मैं यह जान सकता हूं कि अच्छी खाद, अच्छा बीज और पानी क्या किसान की क्रय शक्ति बढ़ाये बगैर उसके खेत तक पहुंचाना सम्भव होगा । साथ ही क्या मैं यह जान सकता हूं कि किसान को जब पैदावार बढ़ाने से ज्यादा लाभ ही न हो, उसको इन्सेन्टिव ही न हो तो वह क्यों कोशिश करने लगा कि वह अच्छी खाद और अच्छे बीज को अपने खेत में डाले । पिछले ५–६ साल के जो तजुर्बात हैं वे इस बात को बतलाते हैं कि किसान ने अधिक मेहनत करके खेतों की पैदावार बढ़ाई । आज की जो व्यवस्था है उसने उसका क्या इनाम दिया ? उसकी गरीबी को बढ़ाया । मैं राष्ट्रीय आय जांचने के जो सरकारी आंकड़े हैं उनको पेश करके यह साबित करना चाहता हूं कि सन् १९५२–५३ से सन् १९५४–५५ में खेतों की पैदावार में बहुत बड़ी वृद्धि हुई जिसके कारण एक दफा ऐसा महसूस हुआ कि खाद्यान्न के संबध में हम स्वावलम्बी हो गये हैं । पैदावार की मिकदार में जरूर बढ़ोत्तरी हुई लेकिन उसका जो मूल्यांकन हुआ वह सन् १९५२–५३ की पैदावार के मूल्य से ९·५ प्रतिशत कम हुआ । इसका मतलब यह हुआ कि हर किसान के खेत में सन् १९५४–५५ में सन् १९५२–५३ के मुकाबले में पैदावार तो कई गुना ज्यादा हुई लेकिन उसकी क्रय शक्ति सन् १९५२–५३ के मुकाबले में सन् १९५४–५५ में ९·५ प्रतिशत कम रही । जब यह व्यवस्था हो कि खेतों में ज्यादा मेहनत करके गल्ला ज्यादा पैदा करके किसान को कम पैसे मिलें, उसकी क्रय शक्ति घटे तो मैं नहीं समझ पाता कि क्योंकर किसान में अधिक अन्न उपार्जन के लिये इन्सेन्टिव पैदा होगा । साथ ही यह भी मान लिया जाय कि राष्ट्रीय भावना के तहत में या आज बड़े-बड़े नेताओं की अपील के तहत में वह काम

भी करना चाहें तो कब तक कर सकेगा ? अगर उसकी क्रय शक्ति घटती गयी तो मैं यह नहीं समझ पाता कि यह कैसे उसके लिये संभव होगा कि अपना पेट पालने के अलावा वह अपनी बढ़ती हुई गरीबी में अच्छी खाद और अच्छे बीज का इस्तेमाल करता रहे। उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े हैं उनके आधार पर जो रूरल पापुलेशन की ऐवरेज आय आती है उसको मैं आपकी इजाजत से पेश करना चाहता हूं। सन् १९५४–५५ में रूरल पर कैपिटा इन्कम १९९ रुपये थी जो सन् १९५५–५६ में घट कर १८९ रुपये रह गयी और सन् १९५६–५७ में १९४·९ रह गयी। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक खेतों की पैदावार के न्यूनतम दाम उसकी खेती की लागत देखते हुए हम पहले तय नहीं कर देंगे तब तक न तो किसान के अन्दर इन्सेन्टिव पैदा होगा और न उसकी क्रय शक्ति ही बढ़ पायेगी जिससे कि आपकी योजना के तहत में जो अच्छी खाद, अच्छा बीज और ज्यादा पानी देने की आपकी कोशिश है उससे वह लाभ उठा सकेगा। श्रीमन्,इंटरनेशनल बैंक आफ रिकांस्ट्रक्शन ऐंड डेवलपमेंट, जिसने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट आफ इंडिया को सन् १९५७ में दी उसने भी यही कहा कि खेतों की पैदावार के दामों के बारे में कोई साबित कदमी न होने की वजह से यहां की पैदावार पर एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। अशोक मेहता फूड ग्रेन कमेटी की रिपोर्ट में इस बात को माना है कि १९५४–५५ में खेतों की पैदावार उतनी नहीं बढ़ी जितने कि गल्ले के दाम गिर गये।

श्रीमन्, आज प्रदेश की जनता को गल्ले की खरीद फरोख्त के संबंध में तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तबका गल्ला पैदा करता है यह बहुत बड़ा तबका है लेकिन अक्सरियत इसमें गरीबों की है। ९५ प्रतिशत आदमी लाभहीन जोतों पर काम करते हैं। दूसरा तबका गो छोटा है लेकिन धनवानों का है। वह थोक व्यापारियों का है जो किसानों की पैदावार को खरीदता है। तीसरा तबका कंज्यूमर्स का है। यह भी बड़ा तबका है लेकिन बेश्तर हिस्सा इसका गरीब है। यह रोज कुंआ खोदता है और रोज पानी पीता है।

श्रीमन्, किसानों की आमदनी साल में दो मर्तबा होती है लेकिन उसकी जरूरियात रोज पैदा होती है और वह जरूरियातें छः महीने में इकठ्ठा हो जाती हैं और मालगुजारी तथा नहर रेट आदि सरकारी मतालबे भी उसको देय हो जाते हैं। इन तमाम दबावों के मातहत उसको अपना गल्ला बेचना पड़ता है और जो गल्ला रह जाता है वह उसके खाने भर के लिये भी मुश्किल से होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब किसान के खलिहान में गल्ला आता है तो उसे मजबूरन बेचना पड़ता है। हालांकि वह जानता है कि आगे आने वाले जमाने में गल्ले के दाम बढ़ जायेंगे। इस प्रकार किसानों की अधिक कमजोरी का फायदा उठाते हुये थोक व्यापारी उनका गल्ला सस्ते दामों पर खरीद लेते हैं और फिर कंज्यूमर्स को भारी दामों पर बेचकर घर बैठे मुनाफा कमाते हैं।

श्रीमन्, हम समाजवाद की ओर बढ़ना चाहते हैं। क्या समाजवाद जिस मुल्क में आता है वहां यही होता है कि जो ज्यादा मेहनत करते हैं उनको कुछ नहीं बचता है और जो लोग मुल्क की दौलत को बढ़ाने में कोई सक्रिय कदम नहीं उठाते हैं कुछ ही अर्से में आराम से दौलत के ढेर पर काबिज हो जाते हैं। आज श्रीमन्, हमारे यहां जो अवस्था है वह इससे अलग नहीं है। श्रीमन्, आज जो थोक व्यापारियों के कारण देश पर असर हुआ है उसी के कारण कीमतों में उतार-चढ़ाव हुये। इससे दो बड़े नुकसान हुये हैं। एक तो यह कि किसान जो गल्ला रोक सकते थे उन्होंने गल्ला रोक लिया है जिससे बाजारों में गल्ला आना बहुत कम हो गया है। दूसरा परिणाम यह हुआ है कि लोगों ने देखा कि गल्ले का व्यवसाय करने से जल्दी मालदार बन जाते हैं। इससे प्रदेश के थोक व्यापारियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। आज हम आंकड़े इकट्ठा करें तो यह बात साबित हो जायगी कि पिछले ५–६ सालों में थोक व्यापारियों की संख्या में कई गुनी वृद्धि हुई है। श्रीमन्, मैं अपने जिले और क्षेत्र के अनुभव से कह सकता हूं कि उन मंडियों में जहां चंद व्यापारी थे आज वहां भारी भीड़ दिखाई पड़ती है। इस बात को साबित करने के लिये श्रीमन्, मैं आंकड़े भी पेश करता हूं जो इसी अशोक

[श्री शिवराजसिंह यादव]

मेहता फूड ग्रेन कमेटी के हैं। श्रीमन्, उसमें लिखा है कि 20 Scheduled बैंकों से जितना रुपया इस व्यवसाय के लिये एडवान्स लिया गया। इसके आंकड़े एक ही माह के हर वर्ष के यह हैं। मई १९५५ में इन बैंकों से इस रोजगार के लिये १८·८५ करोड़ रुपया लिया गया, मई १९५६ में ३८·६७ करोड़ रुपया और मई १९५७ में इन बैंकों से ४२·५२ करोड़ रुपया लिया गया। श्रीमन्, यह इस बात का द्योतक है कि कितना ज्यादा वाल्यूम इन थोक व्यापारियों का बढ़ा है।

श्रीमन्, पश्चिमी जिले हमेशा से खाद्यान्नों के सिलसिले में सरप्लस माने गये हैं, लेकिन व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण पिछले वर्ष से मूल्यों में उधर भी भारी बढ़ोत्तरी हुई है। इसका एक कारण यह भी है कि पश्चिमी जिलों में बहुत बड़ी संख्या में थोक व्यापारी लोग बढ़े हैं। तो श्रीमन्, आवश्यक है कि कीमतों पर नियंत्रण किया जाय अन्यथा किसान अपने घरों में गल्ला जमा करेंगे और व्यापारियों की संख्या बढ़ेगी। आज जरूरत इस बात की है कि प्राइवेट सेक्टर के अन्दर जो लोगों के पास रुपया है वह बजाय इसके कि ऐसे अनप्राडक्टिव व्यवसायों में लगे, जिसमें देश की दौलत में इजाफा नहीं हो सकता, उसके बजाय उसको उन कामों में लगाना चाहिये जिससे देश की दौलत में इजाफा हो। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि किसी राज्य की आमदनी ३, ४ परसेंट बढ़ाने के लिये ११ प्रतिशत अपनी आय को इनवेस्ट करना पड़ता है। उद्योग करने के लिये आज देश में धनाभाव है। तो जरूरत यह है कि ज्यादा से ज्यादा जो पैसा प्राइवेट सेक्टर से हम बचा सकें उसको उद्योगीकरण में लगाएं। मेरा विश्वास है कि जब हम थोक व्यापार बन्द कर देंगे उससे दूसरा लाभ यह होगा कि यह पैसा जो बहुत बड़ी तादाद में गल्ला खरीदने में लगता है देश के उद्योगीकरण में लगेगा।

श्री अधिष्ठाता--मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं इस प्रस्ताव के संबंध में कि यदि सरकार काश्तकार से डाइरेक्टली गल्ला खरीदना चाहे तो खरीद सकेगी या नहीं। इस प्रस्ताव से मालूम होता है कि सरकार कोआपरेटिव सोसाइटी या एजेंसी से ही खरीद सकती है। तो अगर सरकार किसी काश्तकार से खरीदना चाहे तो उससे खरीद सकती है?

श्री शिवराजसिंह यादव--मैं सरकार को एजेंसी समझता हूं। उसके अतिरिक्त कोई शक्ल सरकार की मेरे दिमाग में नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--यह प्रश्न तो साफ नहीं हुआ कि सरकार अगर किसी काश्तकार से गल्ला खरीदना चाहे तो खरीद सकेगी या नहीं?

श्री शिवराजसिंह यादव--श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की कुछ एजेंसीज होंगी जो कि गल्ला निश्चित रूप से खरीदेंगी। इससे दूसरा लाभ जो आपने सुझाव दिया वह यह है कि एक अच्छा खासा बफर स्टाक सरकार के पास मौजूद रहेगा। आज कीमतें बढ़ने की एक वजह यह भी है कि हमारी सरकार के पास उन कीमतों को नीचे लाने के लिये बड़ा बफर स्टाक नहीं है। और व्यापारियों को यह मालूम है। जो व्यवस्था इस संकल्प में है वह कायम रहेगी तो सदैव सरकार के पास अच्छी मात्रा में बफर स्टाक रहेगा जो कि किसी भी समय बाजार के भावों को इतना ऊंचे नहीं जाने देगा जिससे दुर्व्यवस्था पैदा हो सके।

अन्य देशों में जिनको वेलफेयर स्टेट होने का दावा है वहां पर गल्ले की खरीद फरोख्त पर सरकारी नियंत्रण है। मिसाल के तौर पर आज कैनाडा के अन्दर कैनेडियन व्हीट बोर्ड है जो सरकार का कारपोरेशन है और गल्ले की खरीद फरोख्त पर उसका पूरा नियंत्रण है। कैनाडा के अन्दर वही पूरा काम चलाता है। जो प्राइवेट कम्पनीज हैं वह उसके तहत और उसके नियंत्रण के तहत काम करती हैं। आज आस्ट्रेलिया के अन्दर भी पूरी मानोपली गेहूं की खरीद में सरकार की है। वहां प्रोक्योरमेंट और तकसीम के ऊपर पूरा नियंत्रण

सरकार का है। दूर न जाकर मैं बर्मा का जिक्र करता हूं। वहां सरकार ही सारा चावल खरीदती है। इसी प्रकार इटली और जापान के अन्दर चावल खरीदने पर पूरा सरकार का कंट्रोल है। मुझे तो खेद है कि आज हमारा देश जो इतना कृषि प्रधान है, जहां गल्ले की पैदावार पर उसकी आमदनी मुनहसर है, वहां गल्ले की बिक्री के संबंध में इतना कम कानून हमारे देश में है। अगर हम दूसरे देशों के इकानोमिक डेवलपमेंट का इतिहास पढ़ें, और वह कानून मालूम करने की कोशिश करें जो उन्होंने गल्ले की खरीद फरोख्त के संबंध में बनाये हैं तो देख कर आश्चर्य होता है। इंग्लैंड के अन्दर ही आज से लगभग ४० वर्ष पहले १९१७ में जब उसने गल्ले की पैदावार बढ़ाने की कोशिश की तो उन्होंने कार्न प्रोडक्शन ऐक्ट बनाया जिस के तहत में गेहूं और ओट की कीमतों को पहले से तय किया। इसी प्रकार की पूरी मार्केटिंग की स्कीम वहां इंग्लैंड में आज भी रायज है। एग्रीकल्चरल मारकेटिंग ऐक्ट, १९३१, एग्रीकल्चरल ऐक्ट, १९४७ और एग्रीकल्चरल मारकेटिंग ऐक्ट, १९४९ इस तरह के ऐक्ट गाहे बगाहे इंग्लैंड में काश्तकारों को उचित दाम देने के लिये पारित होते रहे हैं। मुझे दुख है कि हिन्दुस्तान के अन्दर जहां इस कदर किसानों की हालत खराब है और उनकी खेती की पैदावार की अच्छी कीमत देने की जरूरत है वहां पर इस प्रकार के कानून नहीं हैं। मैं आपकी आज्ञा से इस किताब से जो माडर्न इकानोमिक डेवलपमेंट के बारे में है, एक पैरा पढ़ देना चाहता हूं कि इंग्लैंड में खेती की पैदावार पर सरकार का कितना नियंत्रण है:

"The Ministry of Food buys most of the output of British farmers at fixed prices and through various channels re-sells it to consumers at prices designed to hold the cost of living steady at a comparatively low figure, the difference being met by means of subsidies, these are subsidies to the consumer rather than to the farmer, but at the same time they benefit the farmer by widening the market for this produce. These consumer subsidies amounted in 1950-51 to £400.3 millions of which £ 246 millions were paid on home produced food."

कहने का मतलब यह है कि नियंत्रित दाम देने की बात इस किताब में कही गई है। वहां की खाद्य मिनिस्ट्री करीब-करीब काश्तकारों की सारी पैदावार स्वयं निश्चित दाम पर खरीदती है और उस खरीदे हुये सामान को मार्केट में उचित दाम पर बेचने की कोशिश करती है। इस तरह से उसको वहां सरकार बेचती है कि वहां के रहन-सहन का इनडेक्स बहुत न बढ़े। इस तरह से कुछ सबसिडी देकर वहां कंज्यूमर की मदद करनी पड़ती है। सस्ते दाम पर सरकार कंज्यूमर को बेचती है और इस तरह से १९५१–५२ में सरकार ने ४००·३ million पाउंड से २४६ million पांउड अपने पास से खर्च किया।

मेरा ऐसा विश्वास है कि आज इस देश और प्रदेश की खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये यह अत्यावश्यक है कि खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये खेतों में ज्यादा अच्छा बीज और ज्यादा पानी दिया जाय। लेकिन इन मोटी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये यह भी आवश्यक है कि किसानों में ज्यादा पैदा करने की शक्ति और इन्सेन्टिव बढ़े। इस इन्सेन्टिव और पैदावार बढ़ाने की शक्ति बढ़ाने के लिये यह स्पष्ट है कि उसको खेती का व्यवसाय लाभदायक बने। जितनी मेहनत और जितना धन वह उसमें लगाना चाहता है उसके बदले में इस प्रकार का माल साल के अन्त में उसके पास बचना चाहिये जिसे आइन्दा वह अपने खेत में लगा सके। अपना खर्च करने के बाद उसके पास खेती की उन्नति के लिये इतना बचना चाहिये कि जिससे वह आइन्दा खेती की उन्नति कर सके। यह तभी मुमकिन हो सकता है जब कि खेती की पैदावार के मुनासिब दाम उसको मिलें। पहले यह तय कर दिया जाय जिससे बाजार में खेती की पैदावार के दामों में उतार-चढ़ाव ज्यादा न हो। जो दाम कन्ज्यूमर दे उसका मुनासिब हिस्सा किसानों को मिले। दौलत उन के हाथ में जाना

[श्री शिवराजसिंह यादव]

चाहिये जो दौलत पैदा करने में देश में सहायक होते हैं। तो इसके लिये यह आवश्यक है कि जो आज व्यवसाय करते हैं उनकी जगह पर सरकारी एजेन्सी कायम की जायं और खेती की पैदावार की समुचित कीमत मुकर्रर की जाय जिस कीमत पर यह एजेंनसीज किसानों के खेतों की पैदावार की खरीद करेंगी।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा संशोधन यह है कि संकल्प के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"तथा ऐसा करने से जितने गल्ले के व्यापारी बेकार हों उन्हें जल्द से जल्द कोई दूसरा काम दे दिया जाय और जब तक दूसरा रोजगार न दे दिया जाय तब तक उन्हें बेकारी का भत्ता दिया जाय।"

मेरी बातों को सुन कर कुछ हमारे माननीय सदस्यों में हल्का सा कोलाहल मचा जो कि मचना ही चाहिये। शायद लोगों ने ऐसा अर्थ लगाया है कि यह हमदर्द है व्यापारियों का। एक साहब ने कहा है, जमींदार था। रस्सी जल गयी ऐंठन नहीं गयी। हो सकता है कि वही हो। छुटती नहीं है काफिर मुंह से लगी हुई। इसलिये कोलाहल होना आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जब मैं दलील दूंगा तो मुझे उम्मीद है कि लोग मेरी बातों को सुनेंगे और मुमकिन है कि उसको मंजूर भी कर लें।

मेरी प्रार्थना है कि आजकल मुल्क की गरीबी को, किसानों और मजदूरों की परेशानी और उनकी दिक्कतों को देख कर दूकानदारों से रोजगार छीनने की बात क्या, कुबेर का खजाना भी छीन कर उनको देने की इच्छा होती है ताकि गरीबों की माली हालत सुधर जाय। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उनकी गरीबी का दृश्य आपके सामने रख कर आपका दिल नहीं दुखाना चाहता। मैं तो देहात का रहने वाला हूं। मैंने इन कमबख्त आंखों से उनकी गरीबी को देखी है और उसका ही यह नतीजा है कि मैंने अपना घर छोड़ा और कुल टाइम के लिये जनता की खिदमत में आया और आज भी मेरे पास कोई दूसरा रोजगार नहीं है। (व्यवधान) एक साहब फरमा रहे हैं कि गल्ले की दूकान कर लीजिये।

श्री अधिष्ठाता---आप उनकी बातें न सुनें।

श्री सीताराम शुक्ल---गल्ले की दूकान तो आप कोआपरेटिव में लेना चाहते हैं, वह आप मुझे कहां से करने देंगे? तो मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि गरीबी है और बड़े जोर की है तथा जिस भावना से यह प्रस्ताव लाया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। ठीक है कि अधिक मुनाफा किसानों को मिलना चाहिए। उनको खाना कपड़ा मिलना चाहिये, समय पर बीज मिलना चाहिये। मगर सवाल यह है कि वह व्यावहारिक कैसे होगा? केवल चाहने से तो काम नहीं चलेगा। कोआपरेटिव सोसाइटीज बनी हुई हैं। आपके शहर में वह दूध बेंचती हैं, शिकायत है कि दूध में पानी मिला रहता है। घी वहां मिलता है, मशीन लगा कर देखिये तो पता चलेगा कि उसमें भी शिकायत है। कोआपरेटिव सोसाइटीज की दूकानें खोली गयीं, नुकसान हुआ इसलिय बाद में उनको बन्द कर दिया गया, कोआपरेटिव सोसाइटीज में गबन के मुकदमे चलते हैं। सरकार ने कर्ज दिया और उन्हें माफ किया। तो मेरी गुजारिश यह है कि कहीं ऐसा न हो कि एक दिक्कत से बचने के लिये आप दूसरी दिक्कत में पड़ जायं। नीयत तो अच्छी है कि हम फायदा पहुंचायें, मगर नुकसान होने लगे ऐसा नहीं होना चाहिये। क्या सबूत है कि जो लोग कोआपरेटिव सोसाइटीज के खरीदार होंगे वह ब्लैक नहीं करेंगे? क्या सबूत है कि उनको पैसा नहीं कमाना पसन्द आयेगा? आज कांग्रेस मैनों ने सिफारिश करके दूकानें दिलवायी हैं। कांग्रेसमैनों की चिट्ठियों से दूकानें मिली ह, लेकिन जब गल्ला जाता है तो थोड़ा सा गरीबों को मिलता है और बाकी सब ब्लैक में चला जाया करता है। यहीं मुझसे एक आनरेबिल मेम्बर ने कहा था कि उनसे एक दूकानदार ने कहा कि ५ हजार रुपया मुझे दे दीजिये और मैं दो महीने

के अन्दर आपको १०,००० रुपया दे दूंगा, अथवा आप साक्षी हो जाइये। यहां से अनाज गया, उसमें से थोड़ा सा गरीबों को मिल गया और बाकी ब्लैक में निकल गया। इससे गरीबी जहां की तहां रह जाती है। मगर आनरेबिल मेम्बर जानते होंगे कि जब गल्ले का काम करने वाले लोग बेकार होंगे तो क्या होगा। एक दिन में नया रोजगार करना नहीं आता है। मैं राजनीति में हूं। किसी दूकान पर बिठा दीजिये जहां लोग साहु कहलाते हैं, मैं वहां घाटा दे दूंगा। मगर जो जिस पेशे को करता आया है वही उसे ठीक कर सकता है। हमारे संशोधन को पेश करने के बाद आनरेबिल मेम्बर ने मुस्करा दिया। लेकिन जवाब दीजिये कि क्या आप चाहते हैं कि हमारे देश में कोई आदमी भूखा मरे। जरा कोआपरेटिव सोसाइटीज को भी देखिये। क्या वहां का काम ठीक-ठीक होता है? क्या वहां बेईमानी नहीं होती? होती है और फिर भी होगी क्योंकि बेईमान हर जगह बेईमानी करेगा। यह बदअमनी फैलाना होगा कि कुछ आदमियों को बेकार कर दिया जाय। कुछ अकल लगाकर ऐसा रास्ता निकालिये जिसमें गरीबों को फायदा हो। साथ ही व्यापारी वर्ग बेकार भी न हो। ये पढ़े-लिखे व्यापारी फावड़ा नहीं चलावेंगे। वे चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, बेईमानी, धोखेबाजी और ठगी करेंगे। कारण कि पेट खाली ईमान खाली। इसलिये आपको और जेलखाने बनवाने पड़ेंगे। फ्रंटियर के कबायली लोग डकैती करते थे, क्योंकि वे गरीब थे। तो चार करोड़ रुपया साल अंग्रेज उनको देते थे कि खाना खाओ किन्तु डकैती मत करो। इसलिये मेरी गुजारिश है कि कहीं सेंटीमेंट में आकर उन लोगों को नुक़सान न कर दें। जरा हिसाब लगा लीजिये। रूस में जहां साम्यवाद है, प्राईवेट प्रापर्टी नहीं है, वहां के किसानों को खाना कपड़ा अच्छा मिलता है, या अमरीका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस के किसानों और मजदूरों को खाना कपड़ा अच्छा मिलता है? हमारी रिपोर्ट तो यह है कि अमरीका के गरीबों को वहां से अच्छा खाना कपड़ा मिलता है। यह अच्छा होगा कि आप गरीबों को गारन्टी कर दें कि तुम ताक़यामत गरीब बने रहोगे या यह अच्छा होगा कि मजदूर मिल मालिक बन कर हवाई जहाज पर उड़ें? मुझे जवाब दीजिये कि मजदूर का फायदा किसमें है, प्राइवेट प्रापर्टी रहे या नहीं। जिन्हें आप आज मिलमालिक देख रहे हैं वे पहले गरीब थे। वे अक़्ल और परिश्रम से पैसा पैदा करके आज हवाई जहाज पर घूम रहे हैं। हम टैक्स लगा सकते हैं। जिसके पास ज्यादा पैसा होगा उससे हम जितना ज्यादा चाहें टैक्स ले सकते हैं। जैसे शहद की मक्खी बड़ी मेहनत से शहद जमा करती है और निकालने वाला निकाल लेता है, वैसे ही हम भी टैक्स लेकर जिस जगह चाहें उसे पहुंचा सकते हैं। इसलिये अगर उनसे उनका काम छीना जाय तो उनकी रोटी का भी प्रबन्ध कीजिये, क्योंकि इसी व्यापारी वर्ग ने दिल खोल कर स्वराज्य की लड़ाई में आपका साथ दिया था।

इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन पेश करता हूं।

विधान सभा के सदस्य सर्वश्री टीकाराम (बदायूं), नन्दराम गुप्त तथा राजनारायण की गिरफ्तारी के संबंध में सूचना

श्री अधिष्ठाता--इस पर और भाषण होने से पहले मुझे यह सूचनायें देनी हैं कि आज १० बजे माननीय श्री टीकाराम जी बदायूं के गिरफ्तार कर लिये गये जो सोशलिस्ट हैं। माननीय राजनारायण जी आज बनारस में गिरफ्तार हुये हैं दफा १०७/११७, सब क्लाज (३) सेक्शन ११४ क्रिमिनल प्रोसीज्योर कोड में तथा माननीय नन्दराम गुप्त पीलीभीत में गिरफ्तार हुये हैं दफा १४४ के डिफायेंस में।

श्री कैलाशकुमार सिंह (जिला बदायूं)---श्री टीकाराम जी किस स्थान पर गिरफ्तार हुए हैं?

श्री अधिष्ठाता--यह तार बदायूं से आया है। वे बदायूं में ही गिरफ्तार हुए होंगे। उनको धारा १०७, १५१, ११७ के अधीन गिरफ्तार किया गया है।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९५८

सचिव विधान सभा--मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से प्राप्त सन् १९५८ ई० का उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५८ सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४७३ पर)

कोआपरटिव सोसाइटियों तथा सरकारी एजेन्सियों द्वारा किसानों से गल्ला खरीदने के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---अधिष्ठाता महोदय, श्री शिवराज सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है और साथ में जो श्री सीताराम जी ने संशोधन उपस्थित किया है, मैं उन दोनों का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

अधिष्ठाता महोदय, इसी खाद्यान्न की कमी को लेकर आज यह विरोधी कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं लेकिन एक विरोधी सदस्य होते हुए भी मैं बराबर इसी कुर्सी पर आकर यहां बैठ कर इस सदन की कार्यवाही में भाग लेता रहा हूं, इसका भी कोई कारण है। मैं आपके द्वारा इस सदन को यह बता देना चाहता हूं कि यदि हमारे प्रदेश की यही गति रही तो हमारी सरकार कभी भी खाद्यान्न की स्थिति पर काबू नहीं पा सकती है। इसका एक मात्र कारण यह है कि सरकार खाद्यान्न-खाद्यान्न चिल्लाती तो है लेकिन क्या हमने कभी इस बात पर भी गौर किया है कि हमारे इस प्रदेश में खाद्यान्न की कमी क्यों होती जा रही है? मेरी बराबर की कुर्सी पर बैठने वाले श्री गेंदा सिंह जी ने जो पिछले सदन में विरोधी दल के नेता थे, उन्होंने पूर्वी यू० पी० के प्रश्न को लेकर गत वर्ष भूख हड़ताल की थी। उस समय इस सदन के नेता माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने एक भाषण दिया था, जिसकी छाप मेरे हृदय पर आज तक पड़ी हुई है। मैंने सभी विरोधी साथियों और नेताओं से उस वक्तव्य के विरोध में तर्क उपस्थित करने के लिये आवाहन किया और मैं आज फिर इस सदन में कहता हूं, जब कि यहां विरोध में कोई नहीं है कि मेरे कहने के बावजूद भी कोई भी विरोधी सदस्य माननीय सम्पूर्णानन्द जी के विरोध में तर्क उपस्थित न कर सके। मैं आज फिर अपने कांग्रेस भाइयों के सामने वही बयान रखना चाहता हूं और कहना चाहता हूं माननीय शिवराज सिंह जी से भी कि आप खाद्यान्न की कमी को किस प्रकार से रोक सकेंगे जब कि आप खाद्यान्न की जगह गन्ने की कैश क्राप को बढ़ाते चले जा रहे हैं। देवरिया भुखमरी का जिला है, अभावग्रस्त जिला है, लेकिन गत वर्ष श्री सम्पूर्णानन्द द्वारा देवरिया के आंकड़े प्रस्तुत किये गये; उसे सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ कि सन् १९५७ में अकेले देवरिया जिले में साढ़े ३ करोड़ रुपये का गन्ना मिलों को बेंचा गया। इसके अतिरिक्त वहां के किसानों को जिन्हें गन्ना के रस पीने की आदत पड़ गयी है और जो उनके भोजन का मुख्य अंग बन गया है, मैं समझता हूं कि वह भी लगभग एक करोड़ रुपये का होगा। इस तरह से करीब ५ करोड़ रुपये का गन्ना एक वह जिला पैदा करता है जो खाद्यान्न के सम्बन्ध में अभाव का जिला डिक्लेअर किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि खाद्यान्न पैदा करने वाले जिलों में से इस प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जहां ५ करोड़ रुपये का खाद्यान्न पैदा होता है। किसान भी अब अधिक दिनों तक मूर्ख नहीं रह सकता, किसान भी इस प्रदेश की जमीन में वही खेती करेगा जिसमें उसको अधिक पैसा मिले और उसकी मेहनत का उसको अधिक फल मिले। आज हमारे यहां के जो पश्चिम के जिले हैं जो अन्न के भंडार वाले जिले हैं, या मध्य के जिले हैं या पर्वतीय जिले हैं, सभी जगह गन्ने की खेती दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जैसा कि मैंने कहा कि अब किसान अधिक दिनों तक मूर्ख नहीं रह सकता, वह भी अपनी मेहनत का अधिक से अधिक फल चाहता है, वह चाहता है कि उसकी मेहनत के बदले में उसे अधिक दौलत मिले।

मैं आपको आंकड़े देकर बतलाऊं कि एक एकड़ खेत में ५०० मन तक गन्ना पैदा होता है और एक बार का बोया हुआ गन्ना ५, ७ साल तक चलता रहता है। इस तरह से ५०० मन

गन्ने की कीमत एक एकड़ खेत में किसान को ७०० रुपये से अधिक मिलती है, जब कि एक किसान जो एक एकड़ खेत में गेहूं की खेती करता है तो उसमें मुश्किल से ७ मन गेहूं पैदा होता है और अगर आज की कीमत से भी हिसाब लगायें तो १५० रुपये कीमत उसकी मिलती है। मैं आपसे पूछता हूं कि एक किसान तो एक एकड़ खेत में गन्ना बोकर ७०० रुपये पैदा करता है और दूसरा किसान उसी खेत में गेहूं बोकर १५० रुपये पैदा करता है, फिर वह क्यों न गन्ना बोकर ही अधिक दौलत पैदा करे। उसे गेहूं का बीज भी हर साल बदलना पड़ता है जब कि गन्ने का बीज उसे ५, ७ साल तक नहीं बदलना पड़ता। मैं समझता हूं कि ऐसी हालत में कोई भी किसान गन्ना छोड़ कर गेहूं की खेती करना पसन्द नहीं करेगा। खाद्यान्न का उत्पादन तो कम होता जाता है लेकिन गन्ने का उत्पादन बढ़ता ही जाता है। जिन्होंने चीनी मिलों के सम्बन्ध में रिपोर्ट को पढ़ा होगा, उनको मालूम होगा कि बिहार और यू० पी० को मिला कर जितना उत्पादन चीनी का होता है वह सारे भारत के उत्पादन का ८० प्रतिशत होता है। आज जिन प्रान्तों में चीनी का उत्पादन होता है वे ही अभावग्रस्त प्रान्त कहे जाते हैं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं कुछ स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता---अभी तो वह भाषण दे रहे हैं, उसके बाद आप उनसे स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री जगन्नाथ लहरी---माननीय गेंदा सिंह द्वारा भुखमरी पर हड़ताल करने पर माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने उस वक्त जो स्पीच दी थी उसको पढ़ने से उसका उत्तर आपको स्वयं ही मिल जायगा।

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कह रहा था कि ८० प्रतिशत चीनी का उत्पादन बिहार और यू० पी० को मिला कर होता है। कपड़े के उत्पादन के लिये तो हो सकता है कि रूई प्रदेश के बाहर से या विदेशों से मंगा ली जा सकती थी किन्तु चीनी के उत्पादन के लिये क्या कह सकते हैं? गन्ना किसी और प्रदेश से नहीं आता है बल्कि इसी प्रदेश की भूमि से मिलों को गन्ना सप्लाई किया जाता है। जब इस प्रदेश में किसान अधिक दौलत के लालच में गन्ने की पैदावार बढ़ाता चला जा रहा है तो आप किस तरह से खाद्यान्न के उत्पादन की आशा रखते हैं? हां, एक बात हो सकती है। आप चीनी के उत्पादन पर तो रोक नहीं लगा सकते, गन्ने के उत्पादन पर रोक नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आपकी सरकार में हिम्मत हो तो मैं समझता हूं कि हम इसकी कमी पूरी कर सकते हैं। हमारे प्रदेश को आज यह सौभाग्य प्राप्त है कि देश की ६० प्रतिशत से अधिक चीनी का उत्पादन हमारे उत्तर प्रदेश से होता है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार भारत सरकार के सामने इस बात का प्रस्ताव करे---जब कि हमारा प्रदेश भारत की ६० प्रतिशत से अधिक चीनी का उत्पादन करता है, उस उत्पादन के लिए गन्ने की खेती बढ़ती चली जा रही है, खाद्यान्न की खेती कम होती चली जा रही है तो हम भारत सरकार से इस बात की मांग करें कि वह चीनी के बदले में हमें खाद्यान्न दे, तब हम अपने यहां से चीनी देंगे। अगर भारत सरकार के ऊपर हम यह रोक नहीं लगाते कि इस प्रदेश से चीनी तभी बाहर जा सकती है जब हमें उसके बदले में गल्ला मिले, तो हमारा प्रदेश अन्न के मामले में कभी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। अगर हम यह रोक लगा दें तो हमारी अन्न की कमी दूर हो सकती है और हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। लेकिन अगर हम चीनी के उत्पादन के बदले में गल्ले की मांग नहीं करेंगे तो चाहे आप कितना ही प्रयत्न करिये यह समस्या बनी ही रहेगी। अभी तो आपको गन्ने के उत्पादन की यह शिकायत है। आपका प्रदेश जो अन्न का भंडार था प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह आंकड़े दिखाये गए कि हम गल्ले के सिलसिले में आत्मनिर्भर ही नहीं हो गए बल्कि ३ प्रतिशत हमने एक्सपोर्ट भी किया, अगर ऐसी ही आपकी धारणा रही तो यह आपकी नितान्त भूल होगी। इसलिये मैं आपसे मांग करता हूं कि आप सोचिए, गम्भीरतापूर्वक सोचिए। जैसा कि रोजाना कहा जाता है, खाद्यान्न की कमी

[श्री जगन्नाथ लहरी]

इसलिए भी हो गई कि प्रकृति का प्रकोप निरन्तर चार वर्षों से हमारे प्रदेश पर है। मैं मानता हूं कि प्रकृति का प्रकोप है। उसके कारण भी हमारे प्रदेश की फसल काफी नष्ट हो गई। अगर वह नष्ट न हुई होती तो हो सकता था कि हमारे प्रदेश में खाद्यान्न की इतनी कमी न पड़ती। परन्तु कमी का मुख्य कारण चीनी के लिये गन्ने का उत्पादन ही है।

अब मैं मूल विषय पर आना चाहता हूं। यह तो मैंने एक सुझाव दिया। शिवराज सिंह जी का जो प्रस्ताव है वह हमारे प्रदेश के सभी व्यापारियों के ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से एक रोक लगाता है। इस सदन का यह निश्चित मत है कि जब तक उत्तर प्रदेश खाद्यान्न के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर न हो जावे तब तक के लिए सरकार किसानों से गल्ला कोआपरेटिव सोसाइटीज तथा सरकारी एजेन्सीज द्वारा खरीदने की व्यवस्था करे। इसका मतलब है कि शिवराज सिंह जी इस खाद्यान्न की कमी की एकमात्र जिम्मेदारी, उसका एकमात्र दोष वह इस प्रदेश के व्यापारियों के ऊपर थोपना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव के मुताबिक उनका यह कहना है कि अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रदेश के व्यापारी इस खाद्यान्न की कमी के जिम्मेदार हैं, इस प्रदेश के व्यापारियों की वजह से ही यह कमी हुई। अगर हम प्रदेश के खाद्यान्न को सरकारी एजेन्सीज या कोआपरेटिव सोसाइटीज से खरीदते तो उनके कहने के अनुसार शायद यह कमी न होती। हो सकता है कि आपकी निगाह में व्यापारियों का यह दोष हो। लेकिन मुझे एक कहावत याद आती है। एक दिन एक नदी में बहाव की तरफ एक बकरी का बच्चा पानी पी रहा था। एक भेड़िया ऊपर की तरफ आया और पानी पीने लगा। भेड़िये ने जब बकरी के बच्चे को देखा तो उसे खाने की इच्छा हुई। उसने बकरी के बच्चे से कहा कि ए बकरी के बच्चे, तू देखता नहीं कि मैं पानी पी रहा हूं, तूने मेरा पानी जूठा कर दिया। इस पर बकरी के बच्चे ने कहा कि मैं तो नीचे बहाव का पानी पी रहा हूं, आपका पानी कैसे जूठा हो सकता है। भेड़िये ने उससे कहा कि हां, याद आया तूने नहीं, गत वर्ष तेरे पिता ने मेरा पानी जूठा किया था। पिता के कसूर की सजा पुत्र को मिलनी ही चाहिए। यह कह कर वह उस बकरी के बच्चे को खा गया। शिवराज सिंह जी का यह प्रस्ताव बिल्कुल उसी कहावत को चरितार्थ कर रहा है। उन्होंने जब देखा कि यह सरकार खाद्यान्न की स्थिति का मुकाबला किसी तरह नहीं कर पा रही है, उसमें वह बिल्कुल असफल रही तो उन्होंने सारा दोष बकरी के बच्चे पर, प्रदेश के व्यापारियों पर मढ़ दिया। आज वह व्यापारियों को दोषी कह करके उनका एक तरह से निर्वासन करना चाहते हैं। आप चाहे जो कुछ कर सकते हैं। सत्ता आपके हाथ में है। आप सत्ताधारी पार्टी के सदस्य हैं। आप व्यापारियों को फांसी का हुक्म भी दे सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आप एक भी व्यापारी को गल्ला न लेने दें तब भी आप इस समस्या को हल नहीं कर सकेंगे। जब आप सरकारी एजेंसी से गल्ला खरीदेंगे उस समय सरकार का यह कर्तव्य हो जायगा कि प्रदेश के हर व्यक्ति के लिए वह गल्ले का प्रबन्ध करे। आज भी जो सस्ते गल्ले की दूकानें खुली हैं वह शहरों से बढ़ करके खाद्यान्न की भीषण परिस्थिति को देख करके कस्बों तक सीमित हो गई हैं। हो सकता है कि पूर्वी जिलों के कुछ अदालती क्षेत्रों के गांवों में दूकानें खुली हों। लेकिन जहां तक मध्य उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है वहां पर कस्बे तक ही सीमित हैं। जब सस्ते गल्ले की दूकानें गांवों तक नहीं पहुंची तो मैं पूछना चाहता हूं कि गांवों में क्या हर किसान गल्ला पैदा करता है। वहां खेतिहर मजदूर नहीं रहते। एक गांव में ३० से ६० फीसदी तक खेतिहर मजदूर रहते हैं। जब वे गल्ले का उत्पादन नहीं करते तो उनके लिये गल्ले का प्रबन्ध कहां से करेंगे ?

साथ ही साथ एक तरह से यह कन्ट्रोल हो जायगा। कन्ट्रोल की बुराई आप जानते हैं। महात्मा गांधी जी ने जो कंट्रोल के बारे में कहा है उसे मैं दोहराना नहीं चाहता, आप भी उसकी बुराई जानते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोआपरेटिव सोसायटीज और सरकारी एजेन्सीज के द्वारा गल्ला खरीदने का मलतब है कि आप एक तरह से गल्ले के उत्पादन पर

कंट्रोल करना चाहते हैं; किसान गल्ला उत्पादन करे और मालिक सरकार होगी और सरकार जिस तरह से चाहे उसकी बिक्री की व्यवस्था करेगी। जब कंट्रोल होगा और व्यापारी के पास गल्ला नहीं आयेगा तो क्या व्यापारी वर्ग को आप इतना असहाय समझते हैं कि वह भूखा मरने लगे ? क्योंकि आप जानते हैं शुक्ल जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि खाद्यान्न के व्यापारी जो बेकार हो जायंगे उन्हें सरकार बेकारी भत्ता दे। यह सरकार कभी भी बेकारी का भत्ता नहीं देगी। तो वह व्यापारी ऊंचे दामों पर गल्ला खरीद करके उसे चोर बाजारी में ले जायगा। इसलिये समझिये कि आज हमको इस प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था तथा भीषण खाद्य स्थिति पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना है। हमें सोचना चाहिये कि प्रदेश में और देश में खाद्यान्नों की कमी क्यों हुई। आचार्य लक्ष्मीरमण जी मेरे नगर फीरोजाबाद में गये, जैसा मैंने कहा माननीय सम्पूर्णानन्द जी के भाषण की छाप मेरे पर आज तक है, लेकिन मैं निहायत ईमानदारी से मंजूर करता हूं कि मेरा दिमाग परिवर्तन करने में आचार्य जी का भी विशेष हाथ ह। जब खाद्य उपमंत्री आगरे में गये तो वहां पूर्ण हड़ताल हुई और बीमारों को, बच्चों को पीने को दूध तक नहीं मिला। लेकिन जब वे फीरोजाबाद में आये तो हम लोगों ने हड़ताल का नारा देने वालों का मुकाबला किया और जनता को इस बात पर तैयार किया कि उनके आगमन पर हड़ताल न हो। हमने उनके भाषण को सुना। उन्होंने अशोक मेहता कमेटी का एक उद्धरण दिया, उन्होंने कहा जैसे-जैसे इस देश का स्टैन्डर्ड आफ लिविंग बढ़ता चलेगा तैसे तैसे खाद्यान्नों की कमी होती जायगी। जब किसान का स्टैन्डर्ड बढ़ेगा तो किसान चाहेगा कि वह गेहूं खाये, चना और मटर नहीं खायेगा। वह अपने खाद्यान्न की पूर्ति स्वयं करेगा। पहले वह अपने खाने के लिये गेहूं रखेगा उसके बाद में शहर के निवासियों के लिये और उन आदमियों के लिये जो गल्ले का व्यापार करते हैं अपना सरप्लस गल्ला बेचने के लिये तैयार होगा। जब किसान का स्टैन्डर्ड बढ़ता चला जा रहा है, जैसा कि आपके आंकड़े बताते हैं, तो इस बात की नितांत आवश्यकता है कि हम गम्भीरतापूर्वक इस पर सोचें कि इस प्रदेश में खाद्यान्नों की कमी क्यों है। इसलिये मैं पुनः माननीय शिवराज सिंह जी से कहना चाहता हूं कि कोआपरेटिव सोसायटियों और सरकारी एजेन्सीज के हाथ में यदि गल्ले की खरीद का अधिकार दे दिया तो जो आज स्थिति गम्भीर है वह और भीषण हो जायगी और उसका मुकाबला करने के लिये शायद हम और आप असमर्थ हो जायं। इन शब्दों के साथ में एक बार पुनः माननीय शिवराज सिंह जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपने प्रस्ताव पर अच्छी तरह से विचार करें।

अब मैं दूसरा संकेत माननीय सीताराम शुक्ल जी से करना चाहता हूं। क्या आप बतला सकते हैं कि बेकारी का भत्ता आप कहां से देंगे ? क्या भारत के संविधान में इस तरह की सुविधा है, या प्रदेशीय सरकार के बजट में रुपया है जहां से बेकारों को भत्ता देने की सुविधा दे सकेंगे ? आज सभी पोलिटिकल पार्टीज यह मांग कर रही ह कि जो सरकार काम न दे सके वह बेकारी का भत्ता दे। लेकिन जब हमारी छोटी-छोटी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये जहां धन की कमी का कारण बता करके असेम्बली में प्रति दिन उत्तर दिये जाते हैं कि सरकार धनाभाव के कारण इस योजना को लागू नहीं कर सकती, अस्पतालों की बनती हुई इमारतों को रोक दिया जाता है, नहरों का काम रोक दिया जाता है तो फिर इन हजारों आदमियों को बेकारी का भत्ता कहां से देगी ?

श्री अधिष्ठाता--अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री हरिश्चन्द सिंह (जिला बदायूं)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो संकल्प श्री शिवराज सिंह ने रखा है मैं समझता हूं कि उन्होंने जो इस प्रदेश के किसान हैं या काश्त करने वाले लोग हैं उनके लिये एक बहुत बड़े सवाल के हल करने का प्रयत्न किया है। इस समय जो सबड़े बड़ी समस्या नजर आ रही है वह खाद्यान्न की कमी है।

[श्री हरिश्चन्द्र सिंह]

पिछले समय जब इस सदन में खाद्यान्न पर वादविवाद हुआ था उस समय मुझे बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैंने उस वक्त भी यह कहा था कि हमारे यहां खाद्यान्न की कमी है और उस कमी को हम किस तरह से पूरा करते हैं यह हमारे लिये एक बड़ी विशाल समस्या हो गयी है। हमारा लक्ष्य एक कल्याणकारी प्रजातंत्र तथा समाजवादी समाज की स्थापना करना है और उसकी पूर्ति के लिये एक यह संकल्प जो आज शिवराज सिंह जी ने रखा है एक महत्वपूर्ण कदम है।

संसार में काम करने वाला, खेती करने वाला या उत्पादन करने वाला अपनी पूरी कीमत को न पा सके तो इससे बड़ी और कोई कठिनाई उसके लिये नहीं हो सकती है। वह अन्न पैदा करता है, बाजार में लाता है, गरीबी के कारण वह उसको रोक नहीं सकता, उसको बेचना पड़ता है और उसके बेचने में जो उल्टे सीधे दाम उसको मिलते हैं उन्हीं पर उसको भरोसा करना पड़ता है।

हम समाजवादी समाज की स्थापना करने के लिये बीच में जो फायदा उठाने वाले हैं उन सभी को खत्म करना चाहते हैं। पहले एक प्रथा जमींदारी की थी उसे सरकार ने लुप्त कर दी और सीधा सम्बन्ध सरकार और काश्तकार के बीच में हो गया। इसी प्रकार से दूसरा कदम हमको यह उठाना है समाजवादी समाज की रचना के लिये कि काश्तकार जो गल्ला पैदा करता है उस पर उसका स्वयं ही अथवा सरकार का कंट्रोल हो, खुद ही वह उसको बेंच सके, खुद ही उसको जमा कर सके और खुद ही उसका फायदा उठा सके। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये ही गोदाम बिल सरकार ला चुकी है। उसका आशय यही है कि काश्तकार जो गल्ला पैदा करे वह गल्ला सरकार के गोदाम में आये और जब जरूरत हो तो वह उसको उचित दामों पर बेच सके।

श्री अधिष्ठाता--अब आप अगले दिन बोलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, १५ सितम्बर १९५८, के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१२ सितम्बर, १९५८।

उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०२ पर)

सरकार द्वारा बिजली कम्पनियों को दिये गये कर्ज का विवरण

कम्पनी का नाम	कर्ज की रकम	व्याज की दर	कर्ज दिये जाने की तिथि
१—आगरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, आगरा ..	१२ लाख रुपया	५ प्रतिशत साधारण व्याज	२९ मार्च, १९५६
२—बरेली इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, बरेली ..	८ लाख रुपया	५ प्रतिशत साधारण व्याज	३ लाख २९ मार्च, १९५५ को तथा ५ लाख ३१ मार्च, १९५६ को दिया गया।
३—बनारस इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कम्पनी लिमिटेड, वाराणसी ..	२५ लाख रुपया	५ प्रतिशत साधारण व्याज	१० लाख २९ मार्च, १९५५ को तथा १५ लाख ३१ मार्च, १९५६ को दिया गया।
४—झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, झांसी ..	२ लाख रुपया	५ प्रतिशत साधारण व्याज	३१ मार्च, १९५५
५—कोसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, कोसी कलां, जिला मथुरा ..	३ लाख रुपया	५ प्रतिशत साधारण व्याज	३० मार्च, १९५५
६—रोहतक एंड हिसार डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, इलाहाबाद ..	५ लाख रुपया	५ प्रतिशत साधारण व्याज	२९ मार्च, १९५७
७—पीलीभीत इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, पीलीभीत	५० हजार रुपया	५ प्रतिशत साधारण व्याज	२९ मार्च, १९५७

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१६ पर)

वर्ष	ग्रेन	तादाद गोलियां
१९५४–५५	५	११,१२,३००
१९५४–५५	३	१,५२,८११
१९५५–५६	५	१७,०१,०००
१९५६–५७	५	१२,८८,०००
१९५६–५७	३	४,६६,६००
१९५७–५८	५	७,५२,५००

संसद सदस्य सचिवालय

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१९ पर)

राजकीय कृषि फार्मों में भिन्न-भिन्न फसलों के उत्पादन की तालिका

फसल का नाम	कुल उत्पादन								
	१९५४–५५			१९५५–५६			१९५६–५७		
	मन	सेर	छ०	मन	सेर	छ०	मन	सेर	छ०
१—गेहूं	७६,१६८	२६	६	६४,४०७	७	१४	७८,३२४	८	७॥
२—चना ..	१७,२११	३०	१३	१०,६३८	११	२	११,७१३	३२	१३
३—लाही ..	१०,३९२	३८	८	६,५०५	३१	८	७,०९६	२३	१२
४—मटर ..	३,१६३	८	५	४,०५२	३१	१४	५,३०७	३	१३
५—जौ ..	१२,७८१	२२	७	१०,३१३	३२	४	९,७९४	३७	१२
६—जई ..	५,६०८	३०	१२	५,९५३	१८	०	१०,४१७	३०	०
७—तारा	२६०	०	०	२७२	०	०	७२	३३	०
८—बरसीम	१,१८३	१४	८	४९८	२६	५	७०८	८	४
९—मसूर	९३	३	८	२४२	१३	७	२४५	१६	०
१०—अलसी	११४	२३	१३	१८७	१६	१२	११४	३४	६
११—धान	३७,४७७	२८	११	३४,०७३	१२	१०	३३,५०७	९	२
१२—मक्का	१६,०३५	५	४	४,५२७	१	१५	५,६८३	५	१४
१३—मीलो ..	२४३	०	०	६००	२०	०	१,०४४	०	०
१४—ढैंचा	४,१७२	१०	१२	३,३००	३१	०	१,६७८	३८	८
१५—कपास	९३१	२५	०	८८१	१६	६	१,५२२	२२	१
१६—गुवार	७२८	१३	८	६४२	१५	०	४३६	३१	१०
१७—गन्ना	१७,०१,५७९	२६	०	२०,६९,८२२	३८	९	१७,६६,३९७	२४	५
१८—जूट ..	११४	१७	०	७०	८	०	७८४	१७	०
१९—उर्द ..	७०	२४	१२	८३	३०	५	५१	१३	६
२०—ज्वार ..	५,४९८	६	५	९९१	३२	१४	१,९४७	२९	८
२१—बाजरा	४५१	३४	१३	२२८	३१	१५	१२४	३६	३
२२—अरहर	१,२८५	२९	३	८८८	२३	१	१,४३१	१३	९
२३—लोबिया	२७८	३९	२	१८६	६	१०	१४१	१	१३
२४—तिल ..	१४२	२३	१२	१०६	८	४	६३	१२	१४
२५—राई ..	१,६५९	३३	८	५०२	१७	८	२,४९७	१५	३
२६—मूंग ..	२७७	१२	११	२९५	६	१०	२६३	७	४
२७—सूरजमुखी फ्लोवर	३६	११	८	१,२७१	४	०	४०	२७	४

फसल का नाम	कुल उत्पादन								
	१९५४–५५			१९५५–५६			१९५६–५७		
	मन	सेर	छ०	मन	सेर	छ०	मन	सेर	छ०
२८—अक्सा	६	१	४	१७	२०	०	२१	२४	०
२९—बेजरा	५१४	३९	०	७०४	३३	०	—	—	—
३०—संजी ..	०	२	८	—	—	—	—	—	—
३१—मोथी ..	०	—	—	०	३	१४	—	—	—
३२—चनवां	—	—	—	१४	८	—	—	—	—
३३—सांवां	३८	३७	०	१५	४	०	—	०	—
३४—कुलथी	१७	२५	९	१३	५	२	१७	३०	७
३५—मड़ुवा	५	१८	०	१३	२०	१२	—	—	—
३६—पिंजी	०	०	०	१२	०	०	—	—	—
३७—पेठा ..	—	—	—	११०	०	०	८४	१३	०
३८—लूसड़	१५	२३	१२	०	३७	५	—	—	—
३९—सरसों	१३८	३४	९	५९	१५	५	१७०	२८	२
४०—सनई	१८०	६	१	१३१	५	०	११०	६	०
४१—पटुआ	१०	२७	६	१४	१९	११	२०	१६	१२
४२—मेथी	३९	५	८	१६	८	०	१६	२६	०
४३—रेंडी ..	४४	२७	०	३६	६	०	२५	२९	०
४४—शफताल	२	०	०	२	२०	०	१	२०	०
४५—धनिया	८	६	०	११	०	०	५	३०	०
४६—मूंगफली	१२८	३८	३	१७०	०	१२	२५७	४	०
४७—नैपियर	१	१०	०	—	—	—	—	—	—
४८—मकचरी	—	—	—	१	३९	०	—	—	—
४९—मिर्च ..	०	—	—	०	—	—	४०	२४	०
५०—डान ..	—	—	—	०	२९	०	—	—	—
५१—तम्बाकू	४९	१	०	२५३	३५	०	४७५	०	०
५२—तरकारी	२,९९२	३८	१३	१,६४४	२७	८	६०२	२७	६
५३—विविध	९,९८८	३०	१३	३,६००	३८	११	६,३५१	८	३

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१९ पर)

उत्तर प्रदेश के राजकीय कृषि फार्मों की तालिका

कृषि क्षेत्र का नाम	जिला	आय	व्यय
	(१) बीजोत्पादक क्षेत्र	रु०	रु०
१—अतर्रा ..	.. बांदा	४८,१९९	२९,३०९
२—कलाई ..	.. अलीगढ़	५३,९६१	४०,२५७
३—मेरठ ..	.. मेरठ	२४,९७२	११,८७५
४—नवाबगंज ..	.. बरेली	२४,००९	१६,५१३
५—प्रतापगढ़ ..	.. प्रतापगढ़	१७,१५९	१४,०४९
६—हरदोई ..	.. हरदोई	३१,०२२	४२,२८५
७—मैनपुरी ..	.. मैनपुरी	२५,९३२	१६,५९४
८—फैजाबाद ..	.. फैजाबाद	२६,३५०	१,२२,११८
९—गुरसहायगंज	.. फर्रुखाबाद	१०,२२९	८,५६०
१०—वाराणसी ..	.. वाराणसी	५३,०७३	२३,८२३
११—बहराइच ..	.. बहराइच	७६,७५५	७१,६५१
१२—इटावा ..	.. इटावा	३७,५५२	२९,०७२
१३—तूरखेरा ..	.. रामपुर	१६,२४५	१०,८७७
१४—धनौरी ..	.. सहारनपुर	१८,६६८	९,३६०
१५—चन्दौली ..	.. वाराणसी	११,७५७	११,१८१
१६—लालपुर ..	.. सीतापुर	१५,९९५	१४,०८४
१७—अमरूख ..	.. झांसी	३५,२१६	२१,५६७
१८—उन्नाव ..	.. उन्नाव	१३,९८१	१३,१५८
१९—बाराबंकी ..	.. बाराबंकी	५,९९६	४,५७४
२०—हैदरगढ़ ..	.. बाराबंकी	७६५	५,२२३
२१—लछबर ..	.. बाराबंकी	१,२११	१,३५२
२२—निगोही ..	.. शाहजहांपुर	१३,१०६	११,८७६
२३—तिसुही ..	.. मिर्जापुर	२१,४९६	१९,९७३
	(२) शिक्षात्मक क्षेत्र		
२४—शिक्षात्मक कृषि क्षेत्र, कानपुर	कानपुर	७८,५६५	७१,२६०
२५—शिक्षात्मक कृषि क्षेत्र बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	२३,७९३	११,९०७
२६—शिक्षात्मक कृषि क्षेत्र, गोरखपुर	गोरखपुर	२२,१३६	१५,३१३
२७—शिक्षात्मक कृषि क्षेत्र चिरगांव	झांसी	१३,९४६	१३,७०५
	(३) अनुसंधान कृषि क्षेत्र		
२८—गन्ना क्षेत्र, शाहजहांपुर ..	शाहजहांपुर	७७,०५४	५९,५२८
२९—गन्ना क्षेत्र, मुजफ्फरनगर ..	मुजफ्फरनगर	५१,५८३	३५,११२
३०—गन्ना क्षेत्र, गोरखपुर ..	गोरखपुर	१९,८१९	१९,५००
३१—कानपुर अनुसंधान क्षेत्र ..	कानपुर	२७,२७७	१९,७४३
३२—शाली अनुसंधान क्षेत्र, नगीना	बिजनौर	१,०३,५५०	८७,४१८

कृषि क्षेत्र का नाम	जिला	आय	व्यय
		रु०	रु०
३३—शाली क्षेत्र, गोरखपुर ..	गोरखपुर	२,८०५	३,१५७
३४—शाली कृषि क्षेत्र, पचपेड़वा ..	गोंडा	९,८१४	८,०६०
३५—कपास कृषि क्षेत्र, गया ..	मथुरा	१,४९,१८८	१,२३,२१३
३६—कपास कृषि क्षेत्र, बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	११,११८	३,८३५
३७—तिलहन बीज क्षेत्र, कल्यानपुर	कानपुर	१६,४९१	२७,५००
३८—तिलहन कृषि क्षेत्र, लरीखेत	अल्मोड़ा	५९३	२,५००
३९—केसरवा कृषि क्षेत्र ..	बदायूं	३,२०३	३,६००
४०—कृषि क्षेत्र, बेलाताल ..	हमीरपुर	५,२३९	५,३००
४१—आलू कृषि क्षेत्र, फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	१२,२८३	५,८५४
४२—दिलकुशा क्षेत्र, लखनऊ ..	लखनऊ	७,०२६	३,९३७
४३—तम्बाकू अनुसंधान क्षेत्र, सरांयमीरा	फर्रुखाबाद	११,४१८	७,४४६
४४—चकेरी कृषि क्षेत्र ..	कानपुर	१८,६९८	१३,८१८
४५—अनुसंधान क्षेत्र, पुरा ..	कानपुर	१९,९०६	१०,७०२
४६—जूट कृषि क्षेत्र घाघराघाट ..	बहराइच	७८,७३०	७२,१२०
(४) ऊसर क्षेत्र			
४७—ढकौनी ऊसर कृषि क्षेत्र ..	हरदोई	१,८५,८५३	२,५४,८०६
४८—रहीमाबाद ऊसर क्षेत्र ..	लखनऊ	८७,१८३	१,०२,३१३
४९—कटियार ऊसर क्षेत्र ..	लखनऊ	८२,३२४	१,००,६९०
५०—रहमान खेड़ा भूमि कृषि क्षेत्र	लखनऊ	१,३७,२४२	१,५४,४६९
(५) यान्त्रिक कृषि क्षेत्र			
५१—हस्तिनापुर	मेरठ	४,७३,९३३	५,५२,१४६
५२—बाबूगढ़	मेरठ	६,४१,५२७	५,७४,८३८
५३—सैदपुर	झांसी	२,२४,८८०	२,४४,९८६
५४—भरारी	झांसी	२,६८,३४२	३,४८,८३७
५५—माधुरीकुन्ड ..	मथुरा	४,३१,७८९	४,६४,०७३
५६—नीलगांव	सीतापुर	१,३६,४१८	१,८१,७४२
५७—आराजी लाइन्स ..	वाराणसी	१,१७,६५८	१,७४,६३९
५८—मंझरा	लखीमपुर खीरी	२,६३,५८७	३,०२,४२७
५९—निबलेट	बाराबंकी	६९,४५२	८६,८७३
६०—अन्देशनगर ..	लखीमपुर खीरी	२,५४,७२५	२,३९,५८२
(६) तराई राजकीय क्षेत्र			
६१—तराई कृषि क्षेत्र ..	नैनीताल	३४,२८,२४९	२७,६४,४५४
६२—हल्द्वानी कृषि क्षेत्र ..	नैनीताल	११,१८६	२१,२२०
६३—हेमपुर क्षेत्र ..	नैनीताल	७,१९,४४२·६२	३,६९,१२९·९९

नत्थी 'ङ'

(देखिए पीछे पृष्ठ ४६२ पर)

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५८

यू० पी० ऐक्ट ६, १९४७।

यू० पी० एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) ऐक्ट, १९४७ को कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधित करने का

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट ६, १९४७।

यह इष्टकर है कि यू० पी० एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) ऐक्ट, १९४७ को कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधित किया जाय ;

अतएव, भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारंभ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

यू० पी० ऐक्ट ६, १९४७ की धारा १ का संशोधन।

२—यू० पी० एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) ऐक्ट, १९४७ की धारा १ की उपधारा (४) में संख्या "1958" के स्थान पर संख्या "1963" रख दी जाय।

उद्देश्य और कारण

यू० पी० एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) ऐक्ट, १९४७ में बिजली के उत्पादन, सप्लाई एवं वितरण तथा उसके वाणिज्य और व्यवसाय पर एक सीमित अवधि तक नियंत्रण की शक्तियों की व्यवस्था की गयी है। बिजली की मांग सप्लाई से कहीं अधिक होने के कारण इस विधि के बनाने की अपेक्षा हुई तथा यह आवश्यक समझा गया कि सरकार के पास बिजली के उत्पादन, सप्लाई, वितरण आदि पर नियंत्रण की शक्ति होनी चाहिए।

२—इस अधिनियम की वर्तमान अवधि ३० सितम्बर, १९५८ को समाप्त होती है। बिजली सप्लाई की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है, किन्तु बिजली की मांग उससे कहीं अधिक है जितनी कि व्यवसाय सप्लाई कर सकता है। अतएव, यह आवश्यक है कि यह अधिनियम पांच वर्षों के लिये और बढ़ा दिया जाय।

३—प्रस्तावित विधेयक इसी उद्देश्य से पुरःस्थापित किया गया है।

हुकुमसिंह विसेन
विद्युत मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१७२ एल० ए०—१९५८—८४०।

बिहार विधान सभा